(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] दसवीं विधान सभा के पंचम सत्र का पांचवां दिवस [संख्या : 3

सोमवार
30 अक्टूबर, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी गहलोत।

नगर निगम, जोधपुर में सफ़ाई कर्मचारियों की आपूर्ति

51. **श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर निगम, जोधपुर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की संख्या वर्ष 1970, 1980, 1990 व 1994 में कितनी थी तथा उन वर्षों में शहर की जनसंख्या व क्षेत्रफल क्या था ?

(2) क्या 1994 में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का अनुपात जनसंख्या के हिसाब से उचित है ? यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) वर्ष 1970, 1980, 1990 व 1994 में जनगणना नहीं की गयी थी इसलिए इन वर्षों के जोधपुर शहर की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कार्यरत सफाई कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	कार्यरत सफाई कर्मचारियों की संख्या
1.	1970	1345
2.	1980	1832
3.	1990	1753
4.	1994	1904

नगर निगम, जोधपुर का क्षेत्रफल 12 जून, 1970 से अब तक 78.57 वर्ग किलोमीटर है।

(2) स्थानीय निकायों की 1981 की जनगणना के आधार पर सफाई कर्मचारियों का अनुपात राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है क्योंकि यह जनसंख्या 1981 के आधार पर निर्धारित थी लेकिन जनसंख्या तो बढ़ती रहती है इसलिए नगर में सफाई कैसे हो, उसके लिए समय-समय

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पर विशेष नियुक्तियों के अधिकार दिये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :–

21.12.1994 को 400 कर्मचारी तीन माह के लिए दिये हुए हैं।

25.1.1995 को 400 कर्मचारी
18.2.1995 को 400 कर्मचारी
18.4.1995 को 800 कर्मचारी
14.9.1995 को 400 कर्मचारी

तीन माह के लिए अतिरिक्त सफाई के लिए व्यवस्था की गयी है और उसके आधार पर नगर की सफाई हो रही है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है यह सही बात है कि 1970 के अन्दर जनगणना नहीं हुई। 1971, 1981 और 1991 को जो जनगणना हुई, उनके आंकड़ों के अनुसार जोधपुर में जो सफाई कर्मचारी हैं, वे अपर्याप्त हैं। इसके साथ ही 1970 से लेकर आज तक जितने सेवानिवृत्त हुए हैं, उन सेवानिवृत्त पदों पर नयी नियुक्तियां भी अभी तक नहीं हुई है जिसके कारण सफाई व्यवस्था में दिक्कत आ रही है।

माननीय अध्यक्षजी, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि 1981 में जोधपुर की जनसंख्या और जोधपुर का जो क्षेत्रफल था, वह बहुत कम था और आज 1971 का क्षेत्रफल मानकर जोधपुर में सफाई व्यवस्था की जा रही है, जिसके कारण जोधपुर का आज जो क्षेत्रफल है, वह कम से कम 30 किलोमीटर क्षेत्र में जोधपूर बढ़ चुका है, नयी कालोनियां बन चुकी हैं। साथ ही हाउसिंग बोर्ड की भी कई कालोनियां बनी है, उनकी सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हैं इसलिए कर्मचारियों में वृद्धि 1991 की जनगणना के अनुसार की जानी चाहिये। साथ ही जोधपुर के अन्दर सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए मशीनीकरण किया गया है। इसके लिए नये उपकरण खरीद तो लिए गये हैं, उनका संचालन करने के लिए टैक्निकल किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गयी है, न ड्राइवर उनका संचालन कर सकता है, वह नहीं करने के कारण इतने महंगे उपकरण आज बेकार पड़े हुए हैं। आठ लोडर में से कम से कम चार लोडर आज कई महीनों से खराब पड़े हुए हैं, उनको ठीक करने की व्यवस्था की जाय और स्थाई ड्राइवरों की व्यवस्था की जाय।

साथ में, माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ी समस्या जोधपुर नगर निगम में है और मैं समझता हूं अन्य नगर निगमों में भी होगी। नगर निगमों में सफाई का काम स्वास्थ्य अधिकारी को दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारी को न तो मशीनरी के विषय में जानकारी है, न.... (व्यवधान) भाषण नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं। ये सवाल का जवाब दें, आगे मैं वापस करता हूं।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाल नहीं आ पाते हैं। आप इनसे सवाल पूछने के लिए कहें....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान) आप बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा :- ये इतने सीनियर मैम्बर हो गये....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य अधिकारियों को जो सफाई व्यवस्था दी गयी है, उनके स्थान पर टैक्निकल व्यक्ति हों, इंजीनियर आदि हों, जिनके आधार पर सारी सफाई व्यवस्था की जा सके। ऐसी व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है ? स्वास्थ्य अधिकारी सफाई का काम नहीं देखकर कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कच्ची बस्तियों के स्वास्थ्य का काम देखें ताकि कच्ची बस्तियों में जो मलेरियां और अन्य बीमारियां फैल रही हैं, उस काम की ओर देखें (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उत्तर तो आने दो सरकार का, भाषण दे रहे हो।

श्री राजेन्द्र गहलोत : भाषण क्या दे रहा हूं ? उत्तर आ रहा है न। आप तो चाहे जो कहें, मुझे पूछना है जोधपुर के हित में, वह मैं पूछूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर नगर में सफाई कर्मचारियों की कमी मानकर ही समय-समय पर कर्मचारियों को काम करने की स्वीकृति दी गयी है। कभी 400, कभी 500, कभी 300 देते रहे हैं। अगर आपके बजट में इन लोगों को पेमेंट करने की गुंजाइश हो तो नयी भर्ती आप कर लें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तनख्वाह आपको चुकानी है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सीधा प्रश्न है कि 1991 की सेंसस के आधार पर आप स्वीकृति क्यों नहीं देते ? यह अकेले जोधपुर का सवाल नहीं है, पूरे राजस्थान की तमाम नगर परिषद और नगर पालिकाओं का, सबका प्रश्न है। 1991 की लेटेस्ट सेंसस है, उस आधार पर सफाई कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने में आपको क्या आपत्ति है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मूल प्रश्न मेरा है, उसका जवाब तो आने दें माननीय सदस्य, मेरा आ जाय, फिर आप पूछ लेना।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये, बिराजिये। आप बिराजिये....(व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न है, उसका जवाब आ जाए....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले आप प्रश्न तो सुन लें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सदस्य को पूछना हो तो बाद में पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले आप प्रश्न का जवाब तो सुन लें।

श्री आर. पी. शर्मा : वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के हिसाब से प्रत्येक 250 व्यक्तियों के ऊपर एक सफाई कर्मचारी होना चाहिये तो क्या राजस्थान सरकार इस बात पर विचार करके और पापुलेशन के आधार पर सफाई कर्मचारियों की स्वीकृति देने का इरादा रखती है ? आप ज्यादा जानते हैं कि सफाई कर्मचारी को आज म्यूनिसिपैलिटी नियुक्त नहीं कर सकती है। वार्डों की संख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। पहले जवाब आने दीजिए आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर में सफाई के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, यह नगरपालिका तय करती है और नगरपालिका यदि अपने साधनों के आधार पर जितने कर्मचारी रखना चाहे इसमें सरकार को आपत्ति नहीं है। समय-समय पर जब कभी भी हमसे सफाई के लिए विशेष लोगों की मांग करते हैं कि इतने लोग हमारे यहां लगा दिये जायं तो उसकी अनुमति हम देते हैं, अल्टीमेटली उनके वेतन का भुगतान नगरपालिका को ही करना पड़ता है। नगरपालिका की स्थिति यदि वेतन देने की नहीं हो और सरकार यदि स्वीकृति देकर लोग लगा देगी, कई बार कई नगरपालिकाओं की स्थिति यह होती है, माननीय सदस्य आप जानते हैं, वे तनख्वाह देने के लिए भी सरकार के पास आते हैं कि हम तनख्वाह नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में नगरपालिका पूर्ण स्वतन्त्र है और जोधपुर के लिए मैं विशेषकर निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपका निगम कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप प्रस्ताव भेज दीजिए, हम तो स्वीकृति दे देंगे, पैसा आपको देना है। हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब अभी आया नहीं है।

श्री आर. पी. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 250 व्यक्तियों के ऊपर एक सफाई कर्मचारी की स्वीकृति वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के अनुसार होनी चाहिये, उसको देने के लिए आप तैयार है कि नहीं ? आपके लोकल सैल्फ गवर्नमेंट के डायरेक्टर ऐसे बैठे हुए हैं जो बजट को तो पास करने में छह महीने लगाते हैं, सफाई कर्मचारियों की स्वीकृति नहीं देते हैं। अगर कोई आदमी, कोई म्यूनिसिपैलिटी मैकेनिकल सिस्टम से अपना काम करना चाहे तो उसके लिए स्वीकृति देने में एक-एक साल लगा देते हैं। इसलिए क्या आप उस पर कंट्रोल करने के लिए सक्षम हैं या नहीं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपसे निवेदन करता हूं यदि....

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल सवाल का जवाब आ

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

रहा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहूंगा कि जोधपुर नगर निगम में सफाई का प्रश्न है, उसमें कर्मचारियों के लिए निगम की स्थिति जैसी भी हो, उस स्थिति के अन्दर सरकार को कर्मचारियों की स्वीकृति पूरी देनी चाहिये। साथ में मैंने जो सवाल किया कि जोधपुर में जो मशीनरी, लोडर और ट्रक हैं और जो सीवरेज की मशीन है, उसके लिए ड्राइवर की व्यवस्था करनी चाहिये, उसके लिए सरकार को उसकी स्वीकृति देनी चाहिये। साथ में स्वास्थ्य अधिकारी के पदों की क्या उपयोगिता है और उस उपयोगिता के अनुरूप उनसे काम लेना चाहिये। उनसे वह काम नहीं लिया जाता है जिसके कारण यह समस्या जोधपुर और अन्य निगमों में पैदा हो रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि जिन कर्मचारियों को आप रखना चाहते हैं और यदि आप उनको वेतन दे सकते हैं तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। आप प्रस्ताव भेज दीजिये, स्वीकृति जितनी चाहे आपको दे देंगे। रहा सवाल यह कि डाक्टर जो लगे हुए हैं, जो आजकल हैल्थ आफिसर कहे जाते हैं उनको क्या काम दिया जाय, यह आज से तो लगे हुए हैं नहीं, यह नीतिगत प्रश्न है और इस प्रश्न से सम्बन्धित भी नहीं है फिर भी इस पर विचार करेंगे कि उनके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आज जब मशीनरी से सफाई करने के विषय में विचार कर रहे हैं....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, सफाई कर्मचारियों के रखने के ऊपर, सफाई के वाहनों पर जब मैला ढोया जाता है उसके ड्राइवर रखने के ऊपर आप चेयरमैन को बर्खास्त करने का नोटिस देते हैं और एक तरफ आप यह कहते हैं कि हमने आजादी दे रखी है म्यूनिसिपेलिटी के लिए, जब चाहे वह सफाई कर्मचारी रख सकते हैं और दूसरी तरफ आप बजट के अन्दर रखने पर भी, क्योंकि आप एन.ओ.सी. जारी नहीं करते, आप चेयरमैन को बरखास्त करने का नोटिस देते हैं, यह आपका रवैया कहां तक सही है ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल जवाब (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपका उत्तर अंशतः सही है, आजादी तो आपने दे रखी है लेकिन राजस्थान सरकार के यहां से आपके यहां से स्वीकृति, डी.एल.बी. के यहां से जारी होती ही नहीं है। नगरपालिकाओं के प्रस्ताव विचाराधीन ढेरों पड़े हुए हैं। ऐसे ही आपके जोधपुर नगर परिषद् का पड़ा हुआ है, ऐसे ही जयपुर का, हर नगरपालिका के प्रस्ताव आपके डी.एल.बी. के दफ्तर में पड़े हुए हैं। सफाई कर्मचारियों की और दूसरे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की स्वीकृति आपके डायरेक्टर लोकल बॉडीज के यहां से नहीं होती है। यह एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मेरा पूरक प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : अभी सारे प्रश्न एक साथ क्लब हो जाएंगे, उनका जबाव तो देने दीजिये आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : नहीं, जवाब तो आया है उससे ही कुछ जवाब ...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि नयी नियुक्ति देने के ऊपर कोई प्रतिबन्ध है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जब इतने आज तक रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, आज तक वह भर्ती नहीं किये गये हैं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपने सारा कह दिया है कि आपकी क्षमता हो तो आप ले लें।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं-नहीं, इसमें सवाल यह है कि पूर्व में जो....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : क्षमता से थोड़े ही होता है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : क्षमता का सवाल नहीं है....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : क्षमता की बात नहीं है, इस सरकार के यहां से स्वीकृति जारी नहीं होती, यह पाबंदी लगायी गयी है....

श्री राजेन्द्र गहलोत : स्वीकृति के बगैर काम कैसे होगा....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : इसकी जिम्मेदारी कल्याणकारी सरकार की होनी चाहिये, वह है, इसलिए सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। जोधपुर शहर पर्यटक दृष्टि से ऐतिहासिक नगर है, यहां देखने के लिए हजारों लोग विदेशों से जोधपुर आते हैं, उनका जो इम्प्रेशन जोधपुर के लिए पड़ना चाहिए, इसलिए कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था सरकार को वहां करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये अब।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर आज तक सोने की चिड़िया कहलाता था....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, सोने की चिड़िया ही है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवाइये साहब। कितने कर्मचारियों की स्वीकृति देंगे....

श्री अध्यक्ष : वह जवाब दे रहे हैं पर आप तो खड़े हो रहे हैं बीच-बीच में....

श्री आर. पी. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि 250 व्यक्तियों पर एक सफाई कर्मचारी होना चाहिये उसके लिए सरकार की क्या योजना है, इसको स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : वह आपने वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के थ्रू कहा है, अब यह हिन्दुस्तान के परिप्रेक्ष्य में कहें आप तो।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, ऐसा है कि पूर्व में जो सफाई कर्मचारियों की पोस्ट्स राजस्थान की नगर पालिकाओं में राज्य सरकार ने मंजूर की थीं उनका आधार आबादी का था, अब जब आबादी बढ़ गयी उसके बाद में जनसंख्या के आधार पर हरेक नगरपालिका में वह पोस्ट्स बढ़ा कर सैंक्शन क्यों नहीं कर रहे? जब बढ़ी हुई पोस्ट्स होंगी तो अपने आप वह नियुक्ति करेंगे अगर उनके पास पैसा होगा तो। जब आप अपनी तरफ से जो पोस्ट्स बढ़ाने का काम है, जो पहले आपने निश्चित किया उसी आधार पर आप नयी पोस्ट्स सैंक्शन कर दीजिये और साथ में यह कर दीजिये कि अगर पैसा है, तो वह नियुक्ति कर दें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। अब आप पूरा सुन लें। दूसरे प्रश्न भी आने हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात से सहमत हूं और जैसा कि मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यहां डी. एल. बी. में सैंक्शन पड़ी हुई हैं पुराने समय से, यह मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि कोई नगर पालिका की मांग यह आयी होगी कि हमको इतने कर्मचारियों को भरने की अनुमति दी जाय और यदि वह सक्षम है उसके लिए, तो इस सत्र के तुरन्त बाद, या पन्द्रह नवम्बर के पहले-पहले सारी स्वीकृति हम जारी कर देंगे। कर देंगे हम। अब सवाल यह.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप। श्री आर. पी. शर्मा जी।

श्री आर. पी शर्मा : कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए जो मैंने निवेदन किया उसका जवाब ही नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये अब। बिराजिये, आप ही का प्रश्न है।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : इसमें सरकार का उत्तरदायित्व निश्चित करें, नगर परिषद्, नगर पालिका पर न रखें।

बस स्टैण्ड, भरतपुर

52. **श्री आर. पी. शर्मा** (भरतपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर में स्थित परिवहन निगम के बस अड्डों की फर्श व सम्पर्क सड़कें जर्जर अवस्था में हैं? यदि हां, तो विभाग ने उक्त फर्शों व सड़कों की मरम्मत के लिए कितनी राशि इस वर्ष स्वीकृत की है और कितनी राशि कब-कब व्यय की गयी?

(श्री आर. पी. शर्मा)

(2) क्या भरतपुर शहर में स्थित परिवहन निगम के बस अड्डों की सम्पत्तियों पर कोई अतिक्रमण है ? यदि हां, तो विभागीय अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

राज्य मन्त्री, यातायात (श्री रोहिताश्व) : (1) परिवहन निगम के एकमात्र बस स्टैण्ड (हीरादास बस स्टैण्ड) की सम्पर्क सड़क की मरम्मत की आवश्यकता है। बस स्टैण्ड स्वयं पर इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1.55 लाख रुपये का खर्चा किया जा चुका है और बचे हुए कार्य के लिए स्वीकृति विचारणीय है।

(2) जी नहीं।

श्री आर. पी. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जैसे कि भरतपुर के बस स्टैंड के बारे में अपनी चिन्ता प्रकट की है उससे तो मैं सहमत हूं कि आपने यह कहा कि मैं इसका निर्माण कर दूंगा, मैं इन से एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि कब तक यह निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि बरसात में दो-दो फीट पानी इस बस अड्डे पर भरा रहा बराबर सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं, तो आप कब तक इस काम को पूरा करा देंगे ? कृपया एक डेट केस, सूचीबद्ध कि भाई उस तारीख तक करा दिया जाएगा। दूसरा यह था, जैसे आपने दूसरे प्रश्न के जवाब में कहा है, मैंने पूछा कि क्या भरतपुर शहर में स्थित परिवहन निगम के बस अड्डों की सम्पत्तियों पर कोई अतिक्रमण है ? आपने जवाब दिया कि जी नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भरतपुर का जो अपना बिजली घर का बस स्टैण्ड है उस पर यू. आई. टी. ने जबरदस्ती बारह दुकानें बना ली हैं, एक दुकान की नीलामी कर दी है और पुलिस थाने ने उसमें अपना गेट निकाल कर अपना रास्ता शुरू कर दिया है, लिहाजा मैं निवेदन करूंगा कि इस बात की जांच कराकर अगर यह बस स्टैण्ड की जगह है, तो इसको भी अपने कब्जे में ली जाय और जिन अफसरों की लापरवाही की वजह से यू. आई. टी. ने जबरदस्ती दुकानें बनायी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अरुण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी मंत्रीजी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि राजस्थान रोडवेज़ आजकल मुनाफे में है....

श्री हरिसिंह (महुआ) : घाटे में।

श्री अरुण सिंह : नहीं, मुनाफे में है और भरतपुर इन्टरनेशनल टूरिस्ट मैप पर है। भरतपुर का जो नया बस स्टैंड है उसमें सफाई सुविधा बहुत कम है। दूसरा, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह बस स्टैण्ड जब बनाया गया, यह हमारा एक ऐतिहासिक मेला ग्राउण्ड जो वेटेरिनरी डिपार्टमेंट का है, उस पर बनाया गया, तो अब तक वेटेरिनरी डिपार्टमेंट को इसका मुआवजा नहीं मिला। भरतपुर की नुमाइश उत्तर भारत में मशहूर नुमाइश है। तो मेहरबानी करके वेटेरिनरी डिपार्टमेंट को मुआवजा दिलायें।

श्री रोहिताश्व : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही है कि जो बिजली घर के चौराहे पर बस स्टैन्ड है उस पर यू. आई. टी. ने अतिक्रमण किया हुआ है. मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि 1984 में यू. आई टी. और निगम के बीच में एक कांट्रेक्ट हुआ था कि हम क्या बस स्टैण्ड बना करके रोडवेज को दे देंगे और इसके एवज में यह बिजली घर के पास जो कि एक भीड़ भरी जगह है और वहां कलक्टरी भी है, इसको हम छोड़कर, खाली कर यू. आई. टी. को हैण्डओवर कर देंगे और निगम को नया बस स्टैण्ड बना कर दे देंगे, इस बात का दोनों के बीच कांट्रेक्ट हुआ था। 1989 में नया बस स्टैण्ड हीरा बाग के पास बना कर यू. आई. टी. ने रोड़वेज को हैण्डओवर कर दिया और निगम ने जो बिजली घर के चौराहे के पास बस स्टैण्ड था वह यू. आई. टी. को हैण्डओवर कर दिया। ऐसी स्थिति में, मैं नहीं समझता, कांट्रेक्ट के बेस पर हुआ है, लीगली हुआ है, कोई अतिक्रमण नहीं हुआ।

दूसरी बात, जो बस स्टैंड के बाहर कुछ थड़ियां लगी हुई हैं, जो निगम की प्रोपर्टी नहीं हैं उसके लिए भी रोडवेज ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एप्लीकेशन लगाई हुई है कि इस सड़क पर बसों का आवागमन होने से दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है, ऐसी स्थिति में यह अतिक्रमण हटाये जाएं। तीसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण जो सड़क पर गड्ढे हो गये, बस स्टैण्ड में जो फर्श पर गड्ढे हो गये, इनका शीघ्र ही एक डेढ़ महीने के अन्दर, इसका असेसमेंट करीब-करीब हो गया है, एक-डेढ़ महीने के अन्दर इसका निर्माण कर दिया जायेगा और बस स्टैण्ड पर कोई गड्ढा नहीं रहेगा। माननीय अरुणसिंह जी....

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री है इसमें। यह बस स्टैण्ड जो है, माननीय मंत्रीजी, नगर सुधार न्यास ने आपको हैण्डओवर किया था हीराबाग वाला और यह नगर सुधार न्यास इस बस स्टैण्ड को मुताबिक नक्शा नहीं बना सकी थी। अधूरी शक्ल में ही यह आपके परिवहन विभाग को उन्होंने हैण्डओवर कर दिया था। उसके बाद आपने इस बस स्टैण्ड को पूरे तरीके से नक्शे के मुताबिक बनाने का प्रयास नहीं किया है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अन्य जगह पर बस स्टैण्ड में पूरी सुख-सुविधाएं हैं, जनता के लिए शौचालय की, स्नान की, पीने के पानी की सुविधाएं होती हैं, वह उस समय नगर सुधार न्यास इसमें मुहैया नहीं करा सकी थी, तो आप क्या नक्शे के मुताबिक इस बस स्टैण्ड को पूरा कराने के लिए कदम उठायेंगे और उसके अन्दर जो सड़कें थीं कम्पाउण्ड के अन्दर, वह भी उस समय के बाद अब तक बनी ही नहीं हैं, उन्हें क्या आप दुबारा बनवायेंगे ? अच्छी तरह से कारपेटिंग कराकर उस बस स्टैण्ड को आप सही हालत में लायेंगे ? यह आपसे जानना चाहता हूं।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चिन्ता व्यक्त की है, मौके पर अधिकारी को भेजकर नक्शे के मुताबिक जो सुविधाएं वहां नहीं बनी हैं उनको शीघ्र बनाकर माननीय सदस्य को, चूंकि ये भरतपुर के रहने वाले हैं, अवगत करा दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : सुविधाओं की बात कर रहे हैं, पिछले 20 वर्षों से शाहपुरा बस स्टैंड बनाने के लिए, सरकारी जमीन देने के लिए, बार-बार लिखा जा रहा है वह जमीन नहीं दी जा रही है, बस स्टैण्ड नहीं बनाया जा रहा है। मैन रोड के ऊपर सारी बसें वहीं आकर खड़ी होती हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्रीमती कमला : पैदल आदमी को निकलने की जगह नहीं है, आप कब तक यह जमीन लेकर बस स्टैण्ड बना देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। श्री बद्री प्रसाद गुरुजी।

मोतीपुरा परियोजना माण्डलगढ़

53. **श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** (माण्डलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि माण्डलगढ़ की मोतीपुरा सिंचाई परियोजना स्वीकृति के लिए विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृत करा दिया जायेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : माण्डलगढ़ तहसील की मोतीपुरा सिंचाई परियोजना राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर, 1995 में स्वीकृत की जा चुकी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं क्षेत्रीय जनता की ओर से माननीय मुख्य मन्त्री जी और सिंचाई मंत्री का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। इस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी व कितना क्षेत्र सिंचित होगा और कब तक पूरी हो जाएगी ? मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसकी स्वीकृति हाल ही में, अक्टूबर, 1995 को जारी की गयी है। इसके ऊपर लागत 117.90 की आयेगी और मैंने आज ही उनको निर्देश दिये हैं कि इसके ऊपर शीघ्रता से कार्य शुरू करके किसानों को लाभान्वित करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 54

श्री अध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री परसादी लालजी मीणा।

प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत ऋण

55. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1995–96 में प्रधान मंत्री रोजगार योजना में कितने बेरोजगार आवेदनकर्ताओं का चयन किया गया ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) उक्त चयनित बेरोजगार युवाओं में से कितने बेरोजगारों को अब तक बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करवा दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चयन करने के बाद चयन सूची बैंकों को भिजवाने के पश्चात् भी बेरोजगार युवाओं को ऋण उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार अधिक से अधिक चयनित बेरोजगार युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार हैं :—

(1) राज्य में वर्ष 1995–96 में प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत चयनित बेरोजगार आवेदनकर्ताओं/बैंकों को प्रायोजित आवेदन पत्रों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) वर्ष 1995-96 में माह सितम्बर, 95 तक 13,316 युवकों का चयन कर उनके प्रार्थना पत्र बैंकों को भेजे गये हैं । (परिशिष्ट "अ") इसमें से 1160 युवकों को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है एवं उनमें से 8 युवाओं को ऋण वितरण किया गया है ।

(3) जी, हां । यह अनुभव किया गया है कि बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति एवं वितरण में विलम्ब किया जाता है । चयनित युवकों को बैंकों से शीघ्र ऋण दिलवाने के लिए तीन स्तरीय कार्यवाही की जाती है :—

(1) जिले के अधिकारी एवं निरीक्षक व्यक्तिशः बैंकों से सम्पर्क स्थापित कर युवाओं के लिए ऋण स्वीकृतियां जारी करवाते हैं एवं बैंकों द्वारा वांछित औपचारिकताएं पूरी करवाते हैं ।

(2) जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स कन्सलटेटिव कमेटी में स्टेण्डिंग एजेण्डा के रूप में पी. एम. आर. वाई. योजना की मानांटरिंग की जाती है जिसमें जिला स्तर पर जिला कलक्टर यह सुनिश्चित करते हैं कि युवकों को बैंकों द्वारा शीघ्र ऋण स्वीकृत एवं वितरण कर दिया जाये । राज्य स्तरीय बैंकर्स सलाहकार समिति में उद्योग निदेशालय के उच्च अधिकारी भाग लेकर इस योजना में आने वाली कठिनाईयों को हल करने के लिए बैठक में विचार-विमर्श करते हैं ।

(3) भारत सरकार को समय-समय पर इस योजना में ऋण स्वीकृति एवं वितरण में आने वाली समस्या एवं विलम्ब के कारणों से अवगत कराते हुए उनके

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

द्वारा हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें।)

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया, वर्ष, 1995–96 के लिए 13400 युवाओं को प्रधान मंत्री रोजगार योजना में ऋण सुलभ करवाना था उसके विरुद्ध अब तक जो उपलब्धियां हैं माननीय मंत्रीजी के विभाग की, वह सारे राजस्थान में 8 युवाओं को इन्होंने अब तक ऋण उपलब्ध करवाया है।... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यही नहीं....(व्यवधान) आप मंत्री बनेंगे तब आपसे सवाल करूंगा। आप प्रतीक्षा करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अभी, मुख्य मंत्रीजी, आप मान ही नहीं रहे थे।.... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान के जो हमारे शिक्षित बेरोजगार युवक है, आज वे हजारों, आप देखिये 23 हजार के करीब आवेदन-पत्र सारे राजस्थान से आये हैं उनमें से 8 लोगों को, 8 युवाओं को आज तक ऋण मिला है। यह कहकर कि भारत सरकार से हस्तक्षेप करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही दैनिक जागरण में निकला है कि मध्य-प्रदेश सरकार ने पिछले दो वर्षों में सारे हिन्दुस्तान में प्रधान मंत्री रोजगार योजना में लोगों को ऋण देने में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। मेरा आग्रह है, मंत्रीजी, अगर आपसे विभाग नहीं चलता है, आपके कहने में अधिकारी नहीं हैं, उद्योग विभाग के अधिकारी काम नहीं करते हैं, तो आप मध्य-प्रदेश जाकर वहां की राज्य सरकार से ट्रेनिंग लेकर आयें। यह बहुत खेदजनक है और यह जवाब आपने पता नहीं कैसे पढ़ दिया, आपका दिल भी क्या कोई पत्थर का है? 13400 का जो लक्ष्य है क्या आगे आप उसको प्राप्त कर लेंगे? मंत्रीजी, गत वर्ष भी आपके लक्ष्यों की 20 पर्सेण्ट प्राप्ति हुई है। अगर हर साल जो भारत सरकार से लक्ष्य आयेंगे, उनको यह कहकर आप दूर हो जायेंगे कि बैंक हमारे कंट्रोल में नहीं है तो मध्य-प्रदेश सरकार के कंट्रोल में कैसे हैं? आप बैंकों को व्यक्तिशः विश्वास में लेकर युवाओं को रोजगार दिलाने के अपने विभाग को सक्रिय करिये। उद्योग विभाग के अधिकारियों की इसमें आवेदन स्वीकार करने के बाद कोई भूमिका नहीं होती है, न उनको सलाह देते हैं, बैंकों में जाते ही जो एक लाख रुपये में से 20 हजार देगा, उसका ऋण तत्काल स्वीकृत हो जायेगा। हमको युवा मिलते हैं तो कहते हैं कि साहब 10 हजार और 20 हजार पहले कहां से लायें, बैंकों को देने के लिए। इस तरह की जो स्थितियां हैं उनको ठीक करने के लिए आप अपने विभाग को सक्रिय कीजिये और जब अगली बार मार्च में हम यह सवाल दुबारा आपसे पूछें कि आपने पूरे साल में लक्ष्यों की कितनी प्राप्ति की, तो आज की जगह ज्यादा संख्या बढ़नी चाहिये। अभी भी

13

(श्री परसादी लाल मीणा)

कोशिश होनी चाहिये, यह पूरे राजस्थान के युवाओं का मामला है। आपने इसमें जो लक्ष्य दिये हैं उससे भी ज्यादा प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिये, चाहे इसके लिए भारत सरकार से बात करनी पड़े, चाहे किसी से भी बात करनी पड़े, क्योंकि भारत सरकार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही आपके पास यहां लक्ष्य निर्धारित कर भेजती है।....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं जवाब दूं।

श्री अध्यक्ष : विराजें, जवाब तो आने दें आप। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि यह जो योजना है वह भारत सरकार की है, प्रधान मंत्री रोजगार योजना।

श्री अध्यक्ष : एक साथ कई प्रश्न हो जायेंगे और पहले आप इनका जवाब आने दें। मूल प्रश्नकर्ता का जवाब तो आने दें।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सबसे सम्बन्धित ही हैं इसलिए एक साथ जवाब दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी... (व्यवधान)

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : 1985-86 में जिस वक्त लोन दिये थे। लोगों को वे ही आज कह रहे हैं कि 20-20 हजार रुपये ले रहे हैं। उस वक्त कई लोगों को बर्बाद कर दिया इसी कार्य के लिए (व्यवधान) उस वक्त हम डेढ़ महीने तक धरने पर बैठे रहे, कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आज की बात बताइये, आज क्या कर रखा है आपने? प्रधान मंत्री रोजगार योजना की धज्जियां उड़ा रखी हैं। राजस्थान सरकार जान-बूझकर प्रधान मंत्री रोजगार योजना में रोजगार नहीं देना चाहती है। जान बूझकर इस योजना को फेल करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी को अपनी बात कहने दें।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने खुद स्वीकार किया है कि इतने लक्ष्यों की प्राप्ति होनी थी, वह नहीं हुई है। इस प्रक्रिया में आपका उद्योग विभाग भी है और बैंक भी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिला स्तरीय कमेटी में हम बैठते हैं, उद्योग विभाग के यहां से छंटनी हो जाती है और बैंकों में खानापूर्ति के लिए या जैसा कि अभी कहा गया कुछ गलत कामों के कारण से वह बैंक्स उनको ऋण नहीं देते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जिस वक्त उनका चयन किया जाय वहीं बैंकों के अधिकारी भी हों उद्योग विभाग के अधिकारी भी हों और सभी सम्बन्धित विभाग एक साथ बैठकर चयन कर लें ताकि चयनित व्यक्ति को बार-बार बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें और फिर चयन होने के बाद में बैंक अपनी तरफ से कोई अड़चन उसमें नहीं लगाये। यह बात सही है बैंक अधिकारियों को जो खुश कर देते हैं उनको ऋण मिलता

(श्री शिवनाथ सिंह)

हैं बाकी को नहीं मिलता है। तो क्या इस व्यवस्था को आप सुधारने का विचार रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि यह प्रधान मन्त्री रोजगार योजना है और राजस्थान सरकार किस हद तक इसे सफल करना चाहती है और उसके लिए कितनी तत्पर है। यह देखने की बात है। अध्यक्ष महोदय, 13400 अभ्यार्थियों में से मात्र 1160 को स्वीकृत किया गया और इसको इन्फार्मेशन बैंकों को दी गयी। जब बैंकों को दी गयी बैंकों में युवाओं ने चक्कर लगाये तो वास्तव में, आपके आंकड़े बताते हैं कि 8 शिक्षित बेरोजगारों को केवल लोन मिल सका। ऐसी स्थिति में आप बताइये कि आपका संवेदनशील प्रशासन, आपका त्वरित प्रशासन, आपका गरीब को गणेश मानना क्या मायने रखता है? कोई सार्थकता नहीं रखता है। केवल एक थोथी कल्पना है। (व्यवधान) मेरा निवेदन करना यह है कि शिक्षित बेरोजगार युवक बैंकों के अधिकारियों के चक्कर नहीं लगायें। मेरा कहना यह है, अध्यक्ष महोदय, कि शिक्षित बेरोजगार युवक बैंकों के अधिकारियों के चक्कर नहीं लगायें, बैंकों के मैनेजर से अनुपात नहीं बैठायें, उसको किसी तरह का पैसा नहीं देना पड़े, उनका कोई शोषण नहीं हो, इसके बारे में एक बहुत ही सुगम व्यवस्था बनायी जाय और जानबूझकर केन्द्रीय सरकार की, प्रधान मंत्रीजी की जो योजना है उसको असफल नहीं किया जाय। जिसके लिए षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसके लिए एक कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो आर. बी. आई. के डायरेक्शंस बैंकों को मिले हैं और उनके कारण भी ...

श्री अध्यक्ष : आप, हरिसिंहजी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : आप से ये इजाजत लेते नहीं (व्यवधान) बिना इजाजत के ही बोल रहे हैं....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : वह जितना भी ऋण दे नहीं पा रहे हैं, आर. बी. आई. के डायरेक्शंस भी, ऐसे मुश्किल नियम बना रखे हैं कि बैंक्स दे ही नहीं पाते हैं। यह भी कारण हो सकता है, इसलिए ऋण नहीं मिल रहा है, यह भी कारण है या नहीं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हरिसिंहजी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस योजना के तहत रिज़र्व बैंक और नाबार्ड के माध्यम से जिला स्तर पर जो लीड बैंक्स हैं, उनकी हर बैंक को और जो ग्रामीण क्षेत्र में बैंक फैले हुए हैं, सबके टार्गेट्स फिक्स हैं और उन टार्गेट्स की पूर्ति करवाने का काम राज्य सरकार के उद्योग विभाग का है। राज्य सरकार

(श्री हरिसिंह)

का जो उद्योग विभाग है वह उनकी कोई मॉनटरिंग नहीं करता है सिर्फ चयनित करने के बाद में बेरोजगारों को भाग्य भरोसे छोड़ देता है। मंत्रीजी, आपने जो यह जवाब दिया है कि 1160 एप्लीकेशंन स्वीकृति हो गयी हैं, स्वीकार होने के बाद तो तुरन्त बंटवारा होता है, यह आपका उत्तर भी बिलकुल भ्रामक है। पता नहीं आप कहां से इसको लाये हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि वे इस कार्य में शीघ्रता लाने के लिए, इन टार्गेट्स को पूरा करने के लिए अपने विभाग को क्या निर्देश जारी करने जा रहे हैं? आप तो यह बता दें।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।.... (व्यवधान) रामस्वरूपजी।

श्री कुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जब राज्य सरकार....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। सबसे पहले उन्होंने हाथ ऊंचा किया है (व्यवधान)....

श्री कुबेर खान : बैंकों को सूची भेज देती है, राज्य सरकार ने जब बेरोजगारों की गारंटी दे दी हैं कि इनको लोन दे दिया जाए और बैंक्स यह कहकर उन नौजवानों को टाल देते हैं कि हम आपके गांव जाएंगे, आपकी स्थिति देखेंगे कि आप गरीब हैं या नहीं, आप ऋण की अदायगी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यह सरासर राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना है। इसके लिए क्या कदम उठाना चाहेंगे कि जो राज्य सरकार.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। श्री रामस्वरूपजी बोलने वाले थे, आप बोल रहे हैं। बिराजिये आप।

श्री कुबेर खान : ने किसी की गारंटी दे दी तो बैंक के अधिकारी सिर्फ रिश्वत लेने के लिए बेरोजगारों के साथ अन्याय करते हैं? क्या कार्यवाही करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो बात स्पष्ट निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : रामनारायणजी, आप बिराजें। रामस्वरूपजी ने सबसे पहले हाथ ऊंचा किया था।

श्री रामनारायण मीणा : रामस्वरूपजी बोलेंगे?

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी ने हाथ ऊंचा किया था। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्षजी, आपकी कुर्सी पर जब तक थे, तब तक तो ठीक थे, इस कुर्सी पर आकर तो बिलकुल फ्लॉप हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्री से मेरा निवेदन यह है कि जो राजस्थान में बेरोजगार नवयुवक हैं जिसके लिए प्रधान मंत्री जी ने योजना निकाली है, इसमें जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, शुरुआत ही भ्रष्टाचार से हो रही है। बेरोजगार बेचारा दर-दर मारा फिरता है, बैंकों में जाता है तो वह कमीशन मांगते हैं, गाड़ी का खर्चा मांगते हैं। हम तुम्हारा मौका देखेंगे गाड़ी का खर्चा दो। वह उनको पहले पैसा जमा करा देते हैं उसके बाद में वह बेचारा बेरोजगार रोजगार के लिए आगे बढ़ेगा। उप मुख्य मंत्रीजी आप इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि मेरे जिले सवाईमाधोपुर से कुछ आवेदन-पत्र यहां आये थे उन सारे आवेदन-पत्रों में से केवल 5 आवेदन-पत्र उन्होंने रिकार्ड के अन्दर बताये थे। यह बिलकुल गलत बात है। उन्होंने जो आवेदन-पत्र दिये उसके अन्दर भी भ्रष्टाचार है। उन्हीं के आवेदन पत्र माने जाते हैं जो उनको पैसा दे देता है रिश्वत दे देता है, तब जाकर उनको ऋण स्वीकृत करते हैं वे लोग।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं। टीकमचन्दजी।....(व्यवधान) सबका आ रहा है।

श्री रामस्वरूप : इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आवेदन-पत्रों में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, यह मेरा माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। टीकमचन्दजी।

श्री जगदीप धनखड़ : वे तो सरकारी पक्ष ही लेंगे।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान या हिन्दुस्तान में जितनी भी इस प्रकार की योजनाएं हैं उसका सफल होना या निष्फल होना, यह सारा का सारा बैंकों की भूमिका पर आधारित है। अनुसूचित जाति विकास निगम की भी ऐसी योजनाएं हैं और उसके अन्दर भी बैंकों की भूमिका है। बहुत सारे गरीब लोगों को भी बैंकों की भूमिका के कारण उतना ऋण नहीं मिल पाता है और ये बैंक्स सीधे ही केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हैं....(व्यवधान) इसलिए क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा है कि इन बैंकों के ऊपर नियन्त्रण राज्य सरकार का हो ताकि इस प्रकार की योजनाएं सफल हो सकें ?... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : प्रश्न तो आप पूछ ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : टीकमचन्दजी, आप प्रश्न पूछें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, इनको लीपापोती करने का अधिकार किसने दे दिया ? क्या ये उद्योग मंत्री हैं राजस्थान सरकार हैं ? क्या स्थिति का स्पष्टीकरण

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कर रहे हैं ? माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए।

श्री टीकमचन्द कान्त : जब तक इनको नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक ये योजना सफल नहीं हो सकती ।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : टीकमचन्दजी, आप बिराजिये ।....(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : आपको बीच में बोलने का अधिकार किसने दे दिया ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारा प्रश्न माननीय उद्योग मंत्री से है. न कि माननीय सदस्य से है। ये लीपापोती करने वाले कौन हैं ? (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : ये माननीय सदस्य बीच में इण्ट्रप्शन क्यों कर रहे हैं ? जब ये बोल रहे थे, तब हमने कोई इण्ट्रप्शन नहीं किया... (व्यवधान) आप लोग बीच में खड़े होकर इण्ट्रप्शन क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से डिफेन्स नहीं किया जा सकता है। इसका कोई तरीका नहीं है सरकार को डिफेंस करने का।

श्री राकेश मेघवाल (परवतसर) : अध्यक्ष महोदय, इनको सच्ची बात कड़वी लगने लगी। इसलिये ये बीच-बीच में टोका-टाकी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो परसादीलालजी का है। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए।

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय, ये अपनी मनमर्जी से खड़े होकर इण्ट्रप्शन कर रहे हैं। आपने इजाजत दी है, ये बोल रहे हैं, इनके + + + क्यों हो रहा है।

श्री राकेश मेघवाल : ये लोग भी तो अपनी मनमर्जी करते हैं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय सदस्यों को समझाइए, कम से कम हाउस में मर्यादा रखें। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह कौनसा सिस्टम डवलप किया है, इन लोगों ने।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं। (व्यवधान) पाइंटेडली प्रश्न पूछिये आप।....

श्री टीकमचन्द कान्त : एक सैकण्ड, एक सैकण्ड....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइंटेडली प्रश्न पूछना हो तो पूछें, नहीं तो मैं इस प्रश्न को खतम कर रहा हूं। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं, प्रश्न का सही जवाब भी नहीं आ पाता है, यह सिस्टम इन्होंने कैसे डवलप किया है ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य, आपको कोई प्रीमियम में बोनस नहीं मिलेगा....

श्री जगदीप धनखड : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, हमें पूछने का मौका दीजिए। यह बहुत ही अहम मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष : मैं आप ही को मौका दे रहा हूं। उन्होंने भी सबसे पहले हाथ खड़ा किया था, इसलिए उनसे कहा.... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, बहुत देर से हाथ खड़े कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, ये हाथ खड़े करेंगे तो कोई सवाल नहीं पूछेगा, इस विधान सभा में....

श्री जगदीप धनखड़ : आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं पर आप देख ही नहीं रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : एक प्रश्न का जवाब नहीं आता, पूछने वाले सदस्य के सप्लीमेंट्री का जवाब नहीं और इसकी खिचड़ी बना दी पूरी....(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप तो नहीं लगाता लेकिन एक शंका जरूर महसूस करता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की है और राजस्थान के अन्दर भा. ज. पा. की सरकार है। इसलिए कहीं बैंकों को इस प्रकार के गुप्त संदेश तो नहीं हैं, कहीं यह राजकीय भेदभाव तो नहीं है, बैंकों की भूमिका के अन्दर.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह अकल का भेदभाव है (व्यवधान) अगर अकल होती तो....

श्री शैलेन्द्र जोशी : सम्भावनाओं की बात कर रहे थे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जगदीप धनखड़। (व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया व्यवस्था दीजिए कि माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय जवाब दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, परसादीलाल जी तो उस मीटिंग में आये नहीं थे। जिलाधीश महोदय ने बार-बार मीटिंग बुलाई .. (व्यवधान) बैंकों को बुलाया पर बैंक वाले आये नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोलने लग जाते हैं और मुझसे व्यवस्था मांगते हैं....(व्यवधान) श्री जगदीप धनखड़

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दो बातें निवेदन करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : जगदीपजी बोल रहे हैं।

श्रीमती कमला : एक तो यह कि इस योजना के असफल होने का मुख्य कारण यह है कि उसमें जन प्रतिनिधियों का कोई इन्वाल्वमेंट नहीं है। मंत्री महोदय, क्या जिला स्तर पर इस तरह की कोई कमेटी गठित करेंगे जिससे जन-प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम को देख सकें ? दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि एक निश्चित अवधि निर्धारित की जाय कि अगर इतने समय के अन्दर बैंक उनको पैसा नहीं दें, अगर कोई जरूरी कारण नहीं हो, तो उस बैंक के अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाने की भी व्यवस्था हो क्या इस प्रकार की कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ?

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं ..

श्रीमती उजला अरोड़ा : (जयपुर ग्रामीण) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जयपुर जिलाधीश ने इस सम्बन्ध में अनेकों बार मीटिंग बुलायी हैं, बैंकों को बुलाया है। हम सभी उनके सदस्य है. ये तो मीटिंग में आते नहीं....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मीटिंग में पहुंची हूं लेकिन बैंक वाले नहीं आये। यह कारण रहा है। बैंकों पर केन्द्र का कोई इशारा है या कोई निर्देश है, इस कारण से यह कार्य नहीं हो सका है। यह मैं निवेदन करना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : जगदीपजी, आप बोलिये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का सुअवसर दिया है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश में अगर सबसे बड़ी फौज अगर कोई है, तो वह बेरोजगार नवयुवकों की है। उसमें असंतोष इस हद तक पहुंच गया है कि यदि उसमें मलहम नहीं लगायी गयी तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए यह योजना चालू की गयी 'हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखो आवे", राजस्थान सरकार यदि सक्रिय रूप से कार्य करती और समय समय पर इस पर ध्यान देती, समय समय पर आकलन करती तो आप निश्चित रूप से....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ : पूछ रहा हूं, आंकड़े इतने चौंकाने वाले नहीं होते।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी किसी अधिकारी स्तर पर इस चीज का आकलन किया है ? इन्होंने प्रश्न पूछा वह एक अलग बात है। मैं कहने वाला था–गणेशजी को दूध पिलायें, कोई एतराज नहीं है, आप पिलाते रहिये। आप अपने सचिव के माध्यम से भी घोषणा करते रहिये। माननीय अध्यक्ष

(श्री जगदीप धनखड़)

महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि क्या मंत्री महोदय ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके इस बात का आकलन किया कि इस प्रकार की योजना के तहत बेरोजगार नवयुवकों का क्या कल्याण हो रहा है ? यदि इन्होंने किया है और इस प्रकार की स्थिति उनके सामने आयी है तो इन्होंने क्या ऐसे उपाय किये ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज के दिन अगर आप 60 प्रतिशत के रिक्वायरमेंट के नवयुवकों की मांग करते हैं तो 80 प्रतिशत वाले हजारों लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। आप पांच फीट आठ इंच वालों की मांग करते हैं तो छह फीट वाले हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, योग्य नवयुवकों, बेरोजगारों की बिलकुल कमी नहीं है। समझ में आ सकता है, आप बहुत ही ऐसे शिक्षित आदमी चाहते हैं, जिनकी संख्या चालीस साल पहले नहीं होगी, आज तो है, माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न है कि........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : क्या मंत्री महोदय ने प्रश्न से पहले इस चीज की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया और क्या अधिकारियों ने आकलन किया ? तीसरी बात इस प्रकार की भ्रामक स्थिति से जब इस सदन को ज्ञान हो गया है, माननीय सदस्य के सब आभारी रहेंगे, राजस्थान की जनता रहेगी तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच करके सदन के नेता इस प्रकार की गतिविधियां करेंगे कि जो भी दोषी हैं....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): अध्यक्ष महोदय, कोई व्यवस्था भी होती है। कोई नियम बने हुए हैं विधान सभा के...

श्री जगदीप धनखड़ : उनको दंडित किया जाएगा ? आज किसी नवयुवक के कल्याण के लिए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये, धनखड़ जी।

श्री जगदीप धनखड़ : इस प्रकार का कठोर कदम सदन के नेता को उठाना चाहिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : प्रश्न का उत्तर तो दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय बुरड़क साहब, एक प्रश्न आपका अन्तिम है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करने में जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं, उसमें दोष है ? पहला यह है इनका चयन करने का काम उद्योग विभाग का है। चयन करके वह सूची डी. आर. डी. ए. को दे देते हैं। उसके बाद उनकी कोई भूमिका नहीं है। क्या मंत्रीजी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए किसी एक विभाग को जिम्मेदार ठहरायें ? अलग–अलग जिम्मेदार ठहराने से इस योजना का सत्यानाश हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना

(श्री हरजीराम बुरड़क)

चाहूंगा कि आप इस योजना को लागू करने के लिये....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी। अब आपका जवाब देने दीजिये। (व्यवधान)।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक विभाग को जिम्मेदार ठहराइये।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहूंगा ... (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, इन सवालों के जंजाल में माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न पूछे हैं वे गायब होते जा रहे हैं। कृपया, उत्तर तो दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : जब मैंने उत्तर के लिए कहा तब सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात रखना चाहते हैं। अब क्या करें ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या करें, कोई सीमा तो होती नहीं....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तिम सवाल पूछा जाएगा।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवाइये। (व्यवधान) आप जवाब दिलवाइये, डाइल्यूट मत कीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह भावना खतरनाक बनती जा रही है कि जब कभी अहम प्रश्न पूछा जाता है, आप उसको डाइल्यूट करने के लिये लम्बा करवा कर उनका जवाब नहीं दिलवाना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा....(व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जवाब दिलवाइये आप....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जवाब दिलवाइये.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी अभी दे रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि....(व्यवधान) मेरा निवेदन साफ है कि इनके विभाग के अधिकारी ..(व्यवधान) क्या यह सही है कि इनके विभाग के अधिकारी यह कहते हैं कि हमारे उद्योग मंत्रीजी गरीबों को ऋण देने में बिलकुल उत्सुक नहीं हैं और हम जान-बूझकर इसलिये यह आंकड़े (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। अब मंत्रीजी का जवाब सुनिये।

श्री रामनारायण मीणा : यही कारण है कि गरीबों का उत्थान नहीं हो रहा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज विपक्ष के लोग बडे जोर से कह रहे हैं कि बैंकों में भ्रष्टाचार हो रहा है और मैं इसको स्वीकार करता हूं कि बैंकों में जबरदस्त भ्रष्टाचार है....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपके अधिकारी भी विभाग में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। डी-आर. डी. ए. में भ्रष्टाचार हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। बीस मिनट तक आपने कोई बात कही और एक मिनट से भी कम वे बोलें और आप बोलना चालू हो गये हैं। बिराजिये आप....
(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप का विभाग सुस्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो उद्योग विभाग की कमजोरी नहीं बता रहे हैं। उद्योग विभाग की कमजोरी आप। जो हमने कही हैं, आप तो वह बताइये। बैंकों पर ले रहे हैं। सारी जिम्मेदारी हैं जबकि उद्योग विभाग (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय शैलेन्द्रजी, बिराजिये आप। बारबार क्यों खड़े हो जाते हैं ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने जितना इस सम्बन्ध में कहा है, मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना की प्रक्रिया को यदि आप समझ लेते तो उद्योग विभाग पर किसी प्रकार का भी आक्षेप लगाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। इस योजना में बहुत सी विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों की तरफ हमने, मैंने स्वय ने भी और हमारी सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सबसे पहली विसंगति तो यह है कि जब उद्योग विभाग एप्लीकेशंस भेज देता है तो फिर उनमें से बैंकों को स्क्रूटनी करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन बैंक्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने केन्द्रीय सरकार को भी इस सम्बन्ध में पत्र लिख दिया लेकिन केन्द्रीय सरकार ने भी अभी तक उस पर कोई आदेश जारी नहीं किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बात सुनिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हमने यह सुझाव दिया है केन्द्रीय सरकार को, यदि इस योजना को सही ढंग से लागू करना है तो एक एजेन्सी के जुम्मे यह काम किया जाए। उद्योग विभाग से अलग आप बैंकों को सीधा अधिकार दे दीजिये कि एप्लीकेशंस वहां पर....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उद्योगपतियों को कैसे लोन मिल जाता है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब आप सुन लीजिये। पहले आप सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुने बगैर बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : बेरोजगारों को क्यों नहीं मिलता है बैंकों से ? वे ही बैंक हैं। उद्योगपतियों को आप तुरन्त दिलवा देते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं ने वहां उस का....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बैंक किसी.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : बेरोजगारों को नहीं दिलवा पाते हैं आप और आप केन्द्रीय सरकार पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं। आप खुद जिम्मेदारी लीजिये। देखिये, उद्योगपतियों की वकालत आप करते हैं.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उद्योगपतियों को प्रोटेक्शन दे रही है, यह सरकार।

श्री परसादीलाल मीणा : युवाओं की वकालत भी बैंकों में करिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : और बेरोजगारों का कोई लेना-देना नहीं है....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आपके विभाग को कहिये। उद्योगपतियों को आप लोन.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुन लीजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : आप उनके लिए कैम्प्स लगाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : परसादीलालजी आप बिराजिये (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं समझता हूं कि आप लोगों ने... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : बेरोजगार लोगों के लोन के लिए बैंकों को कहिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सरकार उद्योग पतियों को बढ़ावा देने वाली सरकार है। इसका कोई स्टेटमेंट गरीबों, बेरोजगारों के लिए (व्यवधान) यह....

श्री परसादीलाल मीणा : सारे राजस्थान को आज (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बात तो पूरी सुनेंगे या नहीं ?

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : अगर केन्द्रीय सरकार पैसा नहीं दे रही है तो केन्द्रीय सरकार....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुन लीजिये। राधेश्यामजी, आप बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : उद्योगपतियों की वकालत कर लेंगे और बेरोजगारों के.... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : अगर केन्द्रीय सरकार नहीं दे पैसा तो कहां से चलेगी यह सरकार ...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : दुनियाभर में चले जाते हैं, उद्योगपतियों को बुलाने। मगर किसी बेरोजगार के लिए .(व्यवधान)

श्री राधेश्याम : आपके पास तो कुछ है ही नहीं देने को और केन्द्रीय सरकार (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : साहब, पैसे वालों के हिमायती हैं।

श्री राधेश्याम : बड़े दुःख की बात है।

श्री परसादीलाल मीणा : उद्योगपतियों की जैसे मंत्री महोदय वकालत करते हैं,

(श्री परसादीलाल मीणा)

आपको शिक्षित बेरोजगारों की भी वकालत उसी तरह बैंकों में करनी चाहिये (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : केन्द्रीय सरकार उद्योगपतियों के लिये (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंत्री महोदय के पास समय ही नहीं है कि शिक्षित बेरोजगारों की पैरवी करें।

श्री राधेश्याम : मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर जब माननीय मंत्री महोदय बोल रहे थे, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। कोई उपयोगी बात किसी की आलोचना के लिए नहीं कही जा रही है। सजेशन मांगे जा रहे हैं। आपके सारे सजेशन लिए हैं और आप मंत्रीजी की बात तो सुन ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहूंगा। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभडा : मैं इसकी रूपरेखा आपको समझा देता हूं (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बैंकों में भ्रष्टाचार है। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने बहुत साफ कहा है कि बैंकों में भ्रष्टाचार है। मैं जानना चाहूंगा कि इस बात को वह स्पष्ट करें, क्या कोई सर्वे उन्होंने करवाया है ? किस आधार पर आपने कहा है कि बैंकों में, इसमें आपने दिया (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभडा : अभी-अभी सारे माननीय सदस्यों ने (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, खुद कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बैंकों में भ्रष्टाचार है और बैंक सैन्ट्रल गवर्नमेंट के हैं (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : आपने खुद ने स्वीकार किया है (व्यवधान) ऐसा कहने मात्र से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किसी बात का जवाब चाहते हैं या नहीं आखिर आप ?

श्री हरिशंकर भाभडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस सदन के सदस्य अत्यन्त जिम्मेदार हैं और वे जो बात कहेंगे उस बात को निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : केन्द्र पर थोप रहे हैं आप बात को ....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभडा : अभी-अभी इस सदन में सदस्यों ने बीस हजार रुपये की राशि बैंकों में घूस में लेने की बात कही है। और यह सारा आप लोगों ने कहा है कि बैंकों में घूस हो रही है, बैंकों में भ्रष्टाचार हो रहा है। अब यदि मैं सदस्यों की बात मानता हूं तो आपत्ति क्या है ? इसमें आप या तो असत्य बोल रहे हैं और केन्द्रीय (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : हमने उद्योग विभाग के लिए भी कही है।

श्री हरिसिंह (मथुरा) : उद्योग विभाग के अधिकारी पांच हजार रुपये लेते हैं, यह भी कहा है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरी बात नहीं सुन रहे हैं और बीस मिनट का समय लिया है (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने क्या प्रधान मंत्री कार्यालय को कोई पत्र लिखा है ? प्रधान मंत्री कार्यालय को कोई पत्र लिखा है, जिसमें बैंकों की बताई है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। क्या अब दूसरा प्रश्न लेवें ? इसका मतलब आप उत्तर ही नहीं सुनना चाहते हैं। जवाब भी नहीं सुनना चाहते हैं। आखिर क्या चाहते हैं ? आप पूरी बात सुनिये (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य सुनना चाहें, तो इस योजना की जो रूपरेखा है, संक्षिप्त में मैं आपके सामने रखदूं और आप ..

श्री शिवनाथ सिंह : हम जानते हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अच्छा आप जानते हैं तो इस सम्बन्ध में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न का जवाब तो सुनिये।

श्री रामनारायण मीणा : हमारा आरोप है कि उद्योग विभाग के अधिकारी दरख्वास्त के साथ पांच हजार रुपये लेते हैं। आप इसकी एक कमेटी बैठा दीजिये एम. एल. ए. की। हम साबित करेंगे। नामजद आदमी जानता हूं। आपकी पांच हजार रुपये के बिना दरख्वास्त नहीं लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब सुन रहे हैं या नहीं ? अपना भाषण कर रहे हैं आप।

श्री रामनारायण मीणा : इस बात को मैं जानता हूं। सारा सदन जानता है। हमारा कहना है कि उद्योग विभाग में भ्रष्टाचार है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज एक प्रश्न में आधा घण्टा लग गया।

श्री परसादीलाल मीणा : बड़े लोगों के काम किये जाते हैं (व्यवधान)

श्री कुबेर लाल : यह बताइये भ्रष्टाचार कैसे रोका जाए ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, सत्य बहुत कड़वा होता है। यह कड़वा सत्य कह रहे हैं (व्यवधान) आज यही स्थिति है, शिक्षित बेरोजगारों की।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह सुनने के आदी ही नहीं हैं सही बात .... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : आप इस सम्बन्ध में अलग से एक कमेटी बैठाइये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इस प्रश्न का जवाब नहीं सुनना चाहें, तो मैं अगला प्रश्न करूं फिर ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इतनी बेईमानी है, गरीबों के कपड़े नहीं हैं, पैसा खाते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं अगला सवाल करता हूं। आपकी जवाब सुनने की मंशा नहीं है ?

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय यह कम से कम माननीय मंत्री महोदय का जवाब तो सुन लें, उसके बाद फिर बोल लें। क्यों इंट्रप्ट कर रहे हैं, बीच में ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मान्यवर, अगर माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्यों खड़े हो जाते हैं बार-बार में ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रक्रिया जानते हैं इसलिए मैं वह पढ़कर नहीं सुनाऊंगा लेकिन हमने इस सम्बन्ध में क्या किया, 14 जून, 1995 को उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ। उसमें मैं स्वयं मौजूद था। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद थे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वहां तो अंग्रेजी में बात हुई होगी ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, अंग्रेजी में हुई लेकिन आपको मैं अंग्रेजी (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : ....हाउस में इस तरह का व्यवधान पैदा करना चाहे, मर्जी पड़े जो बोल जाते हैं। समझ में नहीं आता, क्या लेना-देना अंग्रेजी और हिन्दी से।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और उस समय मैंने प्रधान मंत्री योजना की सारी विसंगतियों की ओर सारे उद्योग मंत्रियों का और हमारे वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था और उनको सुझाव दिये थे, वह मैं पढ़ दूं यदि आप सुनना चाहें तो। (व्यवधान)

श्री शीशराम ओला (झुन्झुनूं) : आप मेहरबानी करके इसको टालने की कोशिश न करें। इसका असल उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुनें, क्यों समय जाया कर रहे हैं ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने एक सुझाव उनको यह दिया था कि इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि बैंक किसी प्रकार की कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं मांगेंगे। मगर बैंक आवेदनकर्ताओं से कोलैटरल सिक्योरिटी मांगते हैं और जो नहीं देते हैं उनको ऋण नहीं दे रहे हैं और उसमें क्या-क्या घपला होता है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। इसलिए स्ट्रिक्टली बैंकों को इस बात का निर्देश दिये जायं कि वह इनसे कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं मांगें। यह मैंने वित्त मंत्री और उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन में कहा। मैंने यह भी जोर देकर कहा ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुनें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कि जितने हम आवेदन पत्र भेजते हैं उन आवेदन-पत्रों में काट-छांट करने का अधिकार बैंकों को नहीं रहे और यदि बैंकों को रखना है, तो फिर आवेदन पत्र हमारे मार्फत नहीं दिये जायं। सीधे बैंक्स में दिये जायं। बैंक अपने हिसाब से उनकी स्क्रूटनी कर

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

ताकि यह डबल व्यवस्था नहीं हो। जैसे अभी हमने यहां पर इस बार 10 हजार का टार्गेट रखा है। हम तो 13 हजार एप्लीकेशंस भेज चुके हैं और कांग्रेस....

श्री रामस्वरूप : कांग्रेस की बात मत करो। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बैंक वाले केवल 8 ही पास करते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप.... (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बैंक वाले 8वीं पास करते हैं, हम तो 13 हजार भेज चुके हैं। यानि 10 हजार के....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कांग्रेस के भेजे हैं या बी. जे. पी. के भेजे हैं ?.... (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब वह कांग्रेस के ही हैं बैंक आपके....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बेरोजगारों की बात करो।

श्री अध्यक्ष : आप पूरा सुन लीजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसके अलावा इस तरह से प्रशिक्षण के बारे में भी भारी विसंगतियां हैं इसलिए इस सम्बन्ध में भी मैंने उनको सुझाव दिये।

श्रीमती कमला : आप तो आगे क्या व्यवस्था करोगे, वह बताओ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और इसके बाद भी हमारे यहां के बैंकों में निरन्तर बैंकों की बैठकें होती रहती हैं। जिला स्तर पर बैंकों की बैठकें होती रहती हैं और जिला स्तर पर जो कमेटी बनायी गयी है उस कमेटी में 2 बैंक के अधिकारी होते हैं और एक लीड बैंक का ऑफिसर होता है। उनके सामने सब कुछ डिस्कशन होते हैं। इसके अलावा हमने प्रदेश स्तर पर निरन्तर हर दूसरे-तीसरे महीने में सारी रीजनल मैनेजर्स की मीटिंग हमारे उद्योग सचिव के स्तर पर बुलाते हैं और बार-बार उनसे आग्रह करते हैं कि हम जो एप्लीकेशंस आपके पास भेजते हैं कृपया उनको पूरा ऋण दें। इतना होने के बाद भी केन्द्र सरकार ने राजस्थान का पिछले 2 साल की जो परफार्मेंस है उसकी प्रशंसा की है मध्य-प्रदेश की नहीं की है। यह रिकार्ड पर है। इसके बावजूद भी, मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है जब तक इसकी विसंगतियां केन्द्र सरकार दूर नहीं करेगी और जब तक बैंकों पर कड़ा नियंत्रण नहीं होगा यह ही नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बैंक को एक लाख रुपये तक कर्जा देने का है लेकिन वह 50 हजार से ज्यादा नहीं देती और 50 हजार सैंक्शन करने के बाद एक इंस्टालमेंट 15 हजार का दे दिया तो दूसरा इंस्टालमेंट नहीं देती। मेरे पास माननीय सदस्यों की शिकायतें आयी हुई हैं और उन सारी शिकायतों को मैंने बैंक के अधिकारियों को भेजा है बल्कि मैं और हमारे सचिव व्यक्तिगत रूप से रीजनल को फोन कर के यह कहते हैं कि अमुक-अमुक एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हो ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह कब तक चलेगा ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसके बावजूद भी बैंकों के रवैये में अभी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहां तक चलेगा, यह बतायें आप। कोई सीमा भी होती है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और जब तक केन्द्र सरकार बैंकों पर नियन्त्रण नहीं करेगी....

श्री अध्यक्ष : जवाब है यह तो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या जवाब है, जवाब तो वही नपा-तुला है उनका।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : या बैंक के उन अधिकारियों के खिलाफ जो इस योजना को सफल करने में रोड़ा अटका रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगी या हम को अधिकार दे दें कि ऐसे बैंक अधिकारियों के खिलाफ हम कार्यवाही कर सकते हैं।

श्रीमती कमला : माननीय मुख्य मंत्रीजी को निवेदन किया कि वह बिसंगतियां दूर करेंगे ?....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तो मैं तीन दिन में उनको ठीक कर दूंगा।....(व्यवधान) तीन दिन में उनको ठीक करने की गारण्टी लेता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हो गया, बिराजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह अधिकार हम को दिलवा दीजिये अन्यथा आप लोगों की जो चिंता है उससे अधिक चिंता मेरी है। इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगार नवयुवकों को पैसा मिलना चाहिये। (व्यवधान) बल्कि हमने तो मानीटरिंग यहां तक शुरू की है कि इस योजना के अन्तर्गत जिन लोगों को हम ऋण देते हैं उन लोगों का सैटलमेंट भी होता है कि नहीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हो गया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : केवल ऋण देना ही पर्याप्त नहीं है उनको जिस काम के लिए हमने ऋण दिया है वह काम उन्होंने चालू कर दिया कि नहीं, इस तक मानीटरिंग मैं करवा रहा हूं और मैं इसमें बहुत गम्भीर हूं। मुझे खुशी होगी यदि आप सारे लोग मिल कर इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को या रिजर्व बैंक को अपनी बात जो आपने यहां रखी है....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : धन्यवाद।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बैंकों के भ्रष्टाचार के बारे में जो बातें आपने रखी हैं....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : धन्यवाद।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह सारी बातें आप रिजर्व बैंक के ध्यान में लायें, प्रधान मंत्री के स्वयं ध्यान में लायें तो मैं अपनी

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

ओर से जितना हम टार्गेट देते हैं उससे डबल टार्गेट पूरा करने का विश्वास दिलाता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : धन्यवाद।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब मिल कर के....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बिराजो। आप बिराज जाओ।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : जवाब तो आने दीजिये। आप जल्दी जवाब आने दें। खतम हो रहा है।....(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : इससे यह सिद्ध होता है कि यह बेरोजगार युवकों के साथ धोखा है। यह वास्तव में बेरोजगार युवकों को कोई ऋण नहीं देना चाहते हैं। यह केन्द्र सरकार का धोखा है बेरोजगारों के साथ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : + + + इनको बिना विभाग का मंत्री बना दीजिये।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जब सदन इनका जवाब ही नहीं सुनना चाहता ···(व्यवधान)....

श्रीमती कमला : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय की असफलता तो जाहिर हो चुकी।

श्री अध्यक्ष : इनका प्रश्न का जवाब तो आने दें। आप क्यों समय खराब कर रहे हैं ?

श्रीमती कमला : अब आप इस मुद्दे को देखिये। आपकी असफलता तो जाहिर हो चुकी। मुख्य मंत्रीजी, आप स्वयं इसको देखिये। इनकी असफलता तो उजागर हो गयी।

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुन लें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब आप पूरी बात सुन लें। 20 सितम्बर को हमने यहां पर सारे बैंकों और....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आ गयी आप बात पूरी समझ में।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक बुला कर उसमें यह निर्णय लिया है....

श्री हरिसिंह (महुआ) : गणेश जी को दूध पिला रहे थे आप तो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को इस सम्बन्ध में लिखा जाय...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके बस की नहीं है। समझ में आ गयी हमारे। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप बिराजें। समझ में आ गयी तो बिराजिये, फिर खड़े क्यों हैं आप ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं कह रहा हूं, आप बिराजिये आपके बस की नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : मुख्य मन्त्रीजी, इनको बिना विभाग का मंत्री बनाइये। इनको दूध पिलाने दीजिये, बिना विभाग का मंत्री बनाइये।....(व्यवधान)....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मुझे लगता है आपकी सहन शक्ति खतम हो रही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सहन शक्ति की भी कोई सीमा होती है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : क्योंकि आपने सांप के बिल में हाथ तो डाल दिया अब घबरा रहे हो आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको बरदास्त भी कहां तक करें ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब घबराइये मत, पूरी बात सुन लीजिए।

श्री जगदीप धनखड़ : घबरा नहीं रहे हैं। पूरे सदन को पता है आपको कुछ नहीं पता। आपको फिर भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। यह हालत कर रखी है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप पूरी बात सुन लीजिये। 20 सितम्बर को.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं।

श्री हरिसिंह (महुआ) :....उनकी कोई रुचि है ही नहीं सुनने की।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं।.... (व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, पर सवाल तो आएगा।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार खड़े हो रहे हैं, जवाब ही नहीं आ रहा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दूसरा सवाल ले लीजिए आप।....(व्यवधान)....

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मान्यवर, हाथ तो आपका हिल रहा है, घबरा तो आप रहे हैं। हाथ कैसे हिल रहा है ? ...(व्यवधान) ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ऐसा नहीं हो कि इसमें समय नष्ट हो जाए। तीन-तीन सवाल लग कर के पूरा क्वेश्चन आवर खतम हो जाय। फिर यह सवाल नहीं होगा, अध्यक्ष महोदय।....(व्यवधान)....

श्री खेतसिंह राठौड़ : हाथ हिल रहा है, घबराहट इनमें है।

श्री जगदीप धनखड़ : आधे घटे की चर्चा कराइये इस पर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्रश्न स्थगित करके आधे घण्टे की चर्चा करवा दीजिये आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं समझता हूं इस प्रश्न पर आपने पौन घंटा लिया है। आप आधे घटे की बात कर रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : पौन घंटा दिया है और दो बात भी अच्छी नहीं की आपने ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मुझे तो 10 मिनट नहीं हुई अभी । पौन घंटा आप बोलते रहे ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : + + +

श्री हरिशंकर भाभड़ा : + + +.... (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, मंत्रीजी नये आदमी हैं, इनको ज्यादा अनुभव नहीं है । पहले बार मंत्री बने हैं, इनको कुछ समय बिना विभाग के मंत्री रखिये ताकि यह अनुभव भी प्राप्त करें उसके बाद....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें । जवाब आने दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हमने अभी लेटेस्ट पत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है, वह मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । 20 सितम्बर को....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आ गयी, हमें नहीं सुनना ।....(व्यवधान)....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यदि आपको बहुत भय लग रहा है तो मैं बैठ जाता हूं ।

श्री शिवनाथ सिंह : जवाब पूरा दीजिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्रश्न संख्या 56.

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये तो सही ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : एक मिनट, आप पूछ लेना प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस विषय में जिस प्रकार की चिंता प्रकट की है, इस विधान सभा में आज जो चर्चा हुई है उस कार्यवाही का पूरा वृत्तान्त प्रधान मंत्रीजी को भेजेंगे और भेजने के बाद मैं स्वयं और मंत्रीजी दोनों मिल कर एक बार शीघ्र ही बैंक से बात कर के....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप अकेले ही पधारना, मुख्य मंत्रीजी ।....(व्यवधान)....नहीं, यह मजाक मत करना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनो । मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि इसी महीने में बैंक के साथ बैठकर उनकी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर भी प्रधान मंत्री जी के ध्यान में यह लायेंगे । आपको जितना खेद है उतना ही हमको भी खेद है कि इन लोगों को योजना बनने के बाद में भी रोजगार नहीं मिलता । रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था पूरी की जाएगी ।

(12.00)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्रश्न संख्या 56 अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें । प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें ।)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला झुन्झुनूं में रिक्त पद

54. श्री शीशराम ओला (झुन्झुनूं) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला–झुन्झुनूं में पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं ? इनके रिक्त होने के क्या कारण हैं ? प्रत्येक का पृथक्-पृथक् विवरण पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला झुन्झुनूं में पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत रिक्त पद निम्नानुसार हैं :—

ग्राम सेवक —	59
वरिष्ठ लिपिक—	3
कनिष्ठ लिपिक—	2
वाहन चालक—	2

ग्राम सेवकों के 41 पद दिनांक 17.11.94 को सृजित हुए हैं, 2 पद पदोन्नति एवं 16 पद सेवानिवृत्ति से रिक्त हैं और इन पदों पर नई नियुक्ति का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पद रिक्त हैं। शिक्षकों के पद माह सितम्बर, 95 में उनके शिक्षा विभाग में जाने से रिक्त हुए हैं। अन्य कर्मचारियों के पद उनकी सेवानिवृति होने से रिक्त हुए हैं।

(2) जी, हां। ग्राम सेवकों के रिक्त पद माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण के निर्णित होने पर भरे जा सकेंगे तथा अन्य पद नई नियुक्ति पर प्रतिबन्ध हटने पर भर दिये जायेंगे।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जाबदी नगर की नमक भूमि का स्थानान्तरण

82. श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पत्रावली संख्या 16(69) उद्योग/2/93, दिनांक 24 अगस्त, 1995 को एक नोटिस जारी किया था जिसमें जाबदी नगर की खसरा नम्बर 16 की नमक भूमि के स्थानान्तरण के बारे में सुनवाई की अभिशंषा की गई थी ? यदि हां, तो यह सुनवाई किस के द्वारा की गई और सुनवाई के बाद क्या फैसला किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह फाइल विभाग में लम्बे समय से चल रही है और उसके बाद भी फाइलों में स्थानान्तरण के आदेश हो गये ? यदि हां, तो क्यों तथा इसमें कब तक स्थानान्तरण के आदेश हो जाएंगे ?

उत्तर

(1) जी, हां। मैसर्स विजय साल्ट उद्योग जाबदी नगर के भागीदार

(उद्योग मन्त्री)

श्री गोरूराम बलाई एवं श्री भंवरलाल जाट में जावदी नगर लवण भूखण्ड संख्या 16 रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा को श्रीमती प्रेमलता एवं श्रीमती सोहनी देवी के पक्ष में हस्तान्तरण की स्वीकृति देने सम्बन्धी प्रकरण में इकाई के भागीदारों की सुनवाई मंत्री स्तर पर दिनांक 18 सितम्बर, 1995 को की गयी। लवण नियमों में व्यापक संशोधन करा इन्हें सरलीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण नियमों में संशोधन की कार्यवाही के कारण अभी विचाराधीन है।

(2) यह पत्रावली विविध मामलों की है, जो सितम्बर, 1993 से चल रही है। क्रेतागण का प्रार्थना पत्र दिनांक 19-3-94 को प्राप्त हुआ है। विभाग द्वारा कतिपय प्रकरणों में लीजधारक की बीमारी वृद्धावस्था, अक्षमता अथवा मृत्यु के कारण परिवार के सदस्यों के पक्ष में लीज हस्तान्तरण बाबत आदेश किये हैं। अन्य हस्तान्तरण प्रकरणों को लम्बित रखा गया है। लवण नियमों में व्यापक संशोधन कर इन्हें सरलीकृत करने बाबत कार्यवाही विचाराधीन है। नियमों में संशोधन होने के बाद प्रश्नगत प्रकरण का भी तद्नुसार निस्तारण किया जावेगा।

रीको का निजी उद्योगों में हिस्सा

83. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रीको द्वारा कुछ निजी उद्योगों में हिस्सा राशि के रूप में नियोजन किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से उद्योगों में कितनी-कितनी राशि हिस्सा पूंजी के रूप में लगाई गई? उन उद्योगों की अपनी हिस्सा राशि कितनी-कितनी है?

(2) उक्त उद्योगों के लाभ/हानि की क्या स्थिति है और उनके कार्य संचालन में रीको का किस सीमा तक किस प्रकार से हाथ है?

(3) इस प्रकार के नियोजन के सम्बन्ध में सरकार व रीको की क्या नीति है? इस सम्बन्ध में गाइड लाइन नियम/उपनियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। जिन उद्योगों में रीको एवं उद्यमियों द्वारा हिस्सा राशि के रूप में पूंजी विनियोजित की गयी है उसका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(2) उक्त उद्योगों के लाभ व हानि की वर्षवार स्थिति संलग्न सूची के कालम संख्या 5 व 6 में दर्शाई गई है। यद्यपि इन उद्योगों के दिन-प्रति-दिन के कार्य संचालन में रीको का प्रत्यक्ष रूप से कोई नियन्त्रण नहीं है परन्तु रीको ने अधिकांश कम्पनियों के संचालक मंडल पर अपने अधिकारियों को मनोनीत कर रखा है। रीको द्वारा मनोनीत अधिकारियों द्वारा उक्त कम्पनियों के संचालक मंडल की बैठक में भाग लिया जाता है।

(उद्योग मन्त्री)

(3) इस प्रकार के विनियोजन के सम्बन्ध में रीको द्वारा कोई गाइड लाइन व नियम/उपनियम नहीं बनाए हुए हैं, तथापि निम्नलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए केस-टू-केस आधार पर उद्योगों में विनियोजन किया जाता है :—

अ—परियोजना का आकलन किसी प्रतिष्ठित वित्तीय संस्था द्वारा/बैंक द्वारा किया गया हो।

ब—सार्वजनिक निर्गम का प्रबन्ध किसी प्रतिष्ठित मर्चेन्ट बैंकर द्वारा किया जा रहा हो।

स—अंश जयपुर व देश के प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हो।

द—परियोजना राजस्थान राज्य में लग रही हो।

य—अकालन रिपोर्ट के अनुसार परियोजना का भविष्य एवं सूचीबद्धता उपरान्त बाजार भाव अच्छे होने की संभावना हो।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्रीजी की मोरी जयपुर की अधूरी सड़क

84. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि श्रीजी की मोरी चौकड़ी सरहद जयपुर की सड़क अधूरी है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

श्रीजी की मोरी चौकड़ी सरहद की अधूरी सड़क के पूर्ण निर्माण के लिए रुपये 1.20 लाख (एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) की निविदा जारी कर दी गयी है। उक्त निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 1995-96 में पूरा कराया जा सकेगा।

जोधपुर नगर निगम के नव निर्वाचित बोर्ड की बैठकें

85. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर नगर निगम में नव निर्वाचित बोर्ड द्वारा कितनी बैठकों का आयोजन किया गया एवं इन बैठकों में कौन-कौन से निर्णय लिये गये ?

(2) कौन-कौन से विकास कार्य कब-कब स्वीकृत किये गये और उनके चयन के क्या आधार रहे ?

(3) अब तक कौन-कौन से स्वीकृत कार्य निर्धारित समय में पूरे नहीं हुए ? उस सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? उक्त कार्य अब कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे ?

35

उत्तर

(1) जोधपुर नगर निगम की अब तक 8 बैठकें आयोजित हुई हैं। इनमें लिये गये निर्णय की सूची परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

(2) स्वीकृत विकास कार्यों की सूची परिशिष्ट (ब) पर अंकित है। मौके की आवश्यकतानुसार जनहित में एवं जन-प्रतिनिधियों की मांग के अनुसार विकास कार्य करवाये गये हैं।

(3) कंक्रीट जाली सप्लाई का कार्य समय पर नहीं होने से संवेदक को नोटिस दिया जाकर धरोहर राशि जब्त कर पुनः निविदा प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जोधपुर शहर के गन्दे नालों की सफाई व्यवस्था

86. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर के प्रमुख गन्दे नालों की सफाई नहीं होने के कारण नालों के आस-पास की बस्तियों व वहां से गुजरने वाले लोगों को गन्दगी के कारण भारी परेशानी होती है? क्या इन नालों की सफाई करने के लिए विभाग कोई कार्यवाही कर रहा है? अब तक सफाई नहीं करने के क्या कारण हैं?

(2) उपरोक्त नाले कितने हैं? वर्ष 1970 से 1975, 1975 से 1980, 1980 से 1990 व 1990 से 1994 तक तथा जनवरी, 1995 से 30 सितम्बर, 1995 तक नालों की सफाई के लिए क्या कार्यवाही की गई व इन पर कितना व्यय किया गया?

(3) क्या नालों को पक्का करने हेतु न्यास व निगम की कोई योजना है? उस योजना पर कितना व्यय होगा तथा इसे कब स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करने का क्या लक्ष्य रखा गया है?

उत्तर

(1) वर्तमान में अधिकतम मुख्य नालों की सफाई विभागीय लोडर व सफाई कर्मचारियों द्वारा करवायी गयी है। वैसे कुछ बरसाती नालों को क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण नालों की सफाई नहीं कराये जाने पर वहां के निवासियों एवं राहगीरों को बरसात के समय परेशानी हो सकती है। निगम नालों की सफाई हेतु प्रयासरत है। उपलब्ध वित्तीय स्थिति एवं तकनीकी संसाधनों एवं वर्षा के नालों को क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कुछ नालों की सफाई नहीं की जा सकती है।

(2) प्रमुख बड़े नालों की संख्या 07 है। निविदाएं आमंत्रित कर और विभागीय स्तर पर नालों की सफाई करवाई गई व वर्षवार व्यय विवरण निम्न हैं :—

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

वर्ष 1970-1975	—
वर्ष 1975-1980	1250
वर्ष 1980-1990	96138
वर्ष 1990-1994	741810
जनवरी 95 से सितम्बर-95 तक	354550
कुल योग :	1193748

(3) जोधपुर शहर में विभिन्न नालों को पक्का करने की योजना है जिस पर रुपये 36.38 लाख व्यय होंगे। अब तक रुपये 10.38 लाख व्यय किये जा चुके हैं। शेष कार्य को इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने के प्रयास किए जा रहे है।

नगर निगम/नगर परिषद, जोधपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षक

87. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर नगर निगम/नगर परिषदों में वर्तमान में कितने-कितने स्वास्थ्य निरीक्षक के पद सृजित हैं और इन पर कौन-कौन व्यक्ति गत पांच वर्षों से कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षकों के लिए क्या कोई कार्य मानदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वायत्तशासी संस्थाओं के निरीक्षकों द्वारा वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में किस-किस प्रकार की खाद्य एवं पेय सामग्रियों के नमूने संग्रहित किये गये ?

(4) क्या घटिया स्तर की पाई गई खाद्य एवं पेय सामग्रियों के प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों/फर्मों/दुकानदारों के विरुद्ध अदालत में चालान पेश किये गये ? यदि हां, तो कितने प्रकरणों में तथा अदालत में पेश किये गये चालानों का परिणाम क्या रहा एवं कितने प्रकरण लम्बित हैं ? प्रकरण अब तक लम्बित रहने के क्या कारण हैं ?

(5) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्णरूपेण पालना नहीं करने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत पड़ रहे प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए सरकार कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर नगर निगम/परिषदों में वर्तमान में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षकों के क्रमशः 98, 29, 17, 10 एवं 12 पद सृजित हैं। इन पदों पर गत पांच वर्षों से कार्यरत व्यक्तियों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(स्वायत्त शासन मन्त्री) :

(2) उक्त स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षकों के कार्य के कोई विशिष्ट मानदण्ड विभाग द्वारा निर्धारित नहीं हैं, स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा मुख्य रूप से सफाई कार्य का पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त अतिक्रमणों की रिपोर्ट, न्यायालय में अतिक्रमणों, अवैध निर्माण आदि के चालान प्रस्तुत करना एवं अन्य प्रशासनिक कार्य भी स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा सम्पादित करवाया जाता है।

(3) उक्त स्वायत्तशासी संस्थाओं के स्वास्थ्य निरीक्षकों को खाद्य एवं पेय सामग्रियों के नमूने संग्रहित करने के अधिकार प्रदत्त नहीं होने के कारण इनके द्वारा यह कार्य नहीं किया जाता है।

(4) इसका उत्तर प्रश्न के भाग संख्या 3 में समाहित है।

(5) उक्त स्वायत्तशासी संस्थाओं के स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा उनके आवंटित सफाई सम्बन्धी कार्य पूर्णरूपेण किया जाता है। अतः लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

इन्दिरा बाजार, जयपुर के व्यापारियों को पट्टों का वितरण

88. श्री रघुवीर सिंह (सरांडा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इंदिरा बाजार, जयपुर के व्यापारियों द्वारा वर्ष 1992 में 20-22 लाख रुपये समस्त दुकानों की लीज मनी एकमुश्त जमा करवाई गई थी ? यदि हां, तो उन्हें इन दुकानों का पट्टा अभी तक क्यों नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो पट्टे कब तक दे दिये जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इंदिरा बाजार, जयपुर की वायरिंग से मौतें भी हो चुकी हैं ? यदि हां, तो उक्त वायरिंग के अभी तक नहीं बदलने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार अब भी उक्त बाजार के व्यापारियों को पट्टा देने एवं वायरिंग बदलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इंदिरा बाजार, जयपुर की 526 दुकानों में से सिर्फ 250 दुकान वालों ने 92-93 में एक राशि 5000.00 रु. प्रति दुकानदार से लीज जमा करवाई थी, जिसमें कुल 12,50,000.00 रु. निगम कोष में जमा हुए थे। लीज राशि का पट्टे से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिस क्रेता द्वारा रजिस्ट्री के लिए सरकार द्वारा निर्धारित राशि के स्टाम्प प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, उन्हें 99 वर्ष की लीज का पट्टा रजिस्टर्ड करवा दिया जाता है। जो भी पूरी लीज राशि जमा करवा कर स्टाम्प प्रस्तुत कर देगा, उसको लीज-डीड रजिस्टर्ड करवा दिया जावेगा।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(2) नगर निगम, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा बाजार में वायरिंग से मौतें होना प्रकट नहीं होता। वायरिंग बदलने का कार्य राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसके लिए विद्युत मण्डल को लिखा जा चुका है।

(3) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि के स्टाम्प प्रस्तुत करने एवं पूरी बकाया लीज राशि जमा कराने पर लीज डीड रजिस्टर्ड करवा दिया जावेगा। वायरिंग के विषय में जवाब बिन्दु नं. 2 में है।

मिश्र राजाजी का रास्ता, जयपुर में मोरीजा टावर को तहखाने की स्वीकृति

89. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर शहर के मिश्र राजाजी के रास्ते में बन रहे मोरीजा टावर को तहखाना बनाने की स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मोरीजा टावर व इन्दिरा बाजार के दुकानों के बीच की करोड़ों रुपयों की भूमि को मोरीजा टावर को बेच दी गई है, यदि हां, तो कितने में ? विक्रय नामा/इकरार नामे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। तहखाना बनाने की स्वीकृति दी गयी है। स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, नहीं। जब भूमि बेची ही नहीं गयी तो विक्रयनामा की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें।)

नगर निगम, जयपुर द्वारा विद्युत उपकरणों की खरीद

90. श्री गोपीराम भाट (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर, नगर निगम में पिछले 6 माह में (अप्रेल से सितम्बर, 1995 तक) कितनी ट्यूब लाइटें, सोडियम लाइटें और मर्करी बल्ब खरीदे गये ? विवरण सदन मेज पर रखें।

(2) किस-किस फर्म से कितनी-कितनी राशि के खरीदे गये ?

(3) क्या यह सही है कि ये खरीद निविदाओं से न कर सीधे ही की गई ? यदि नहीं, तो किस-किस फर्म की निविदाएं प्राप्त हुई और किस-किस फर्म को खरीद के आदेश दिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम में पिछले 6 माह में खरीदी गई लाइटों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) इसका उल्लेख भी उपरोक्त विवरण में है।

(3) नियमानुसार खुली निविदाओं द्वारा एवं डीजीएसडी अनुमोदित रेट पर उन्हीं फर्मों से खरीद की जाती है जो भारत सरकार से अनुमोदित है। इसके अतिरिक्त सीधे उत्पादकों से भी खरीदने का प्रावधान है।

उपरोक्त खरीद निविदाओं एवं डीजीएसडी दर पर निर्धारित फर्मों से की गई है। पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुरलीपुरा स्कीम जयपुर को खाली भूमि का आवंटन

91. श्री गोपीराम जाट (आमेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन के सामने की खाली भूमि विद्यालय को देने हेतु मांग की गयी है? यदि हां, तो उसके लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस समय जिस स्थान पर विद्यालय चल रहा है, वह स्थान अपर्याप्त है? यदि हां, तो इसमें सरकार की क्या सोच है?

(3) क्या सरकार उक्त स्थान विद्यालय को देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हां, जिला शिक्षा अधिकारी छात्र संस्थाएं को अभिशंषा हेतु लिखा गया है।

(2) इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग से नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। अनुरोध प्राप्त होने पर भूमि आवंटन पर विचार किया जावेगा।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी छात्र संस्थाएं, जयपुर से अभिशंषा प्राप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

जलमहल जयपुर का जीर्णोद्धार

92. श्री गोपीराम जाट (आमेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जलमहल, जयपुर की खुदाई का काम कब प्रारम्भ किया गया और अब तक इसके पुनरोद्धार में कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपीराम जाट)

(2) क्या इसके जीर्णोद्धार पर होने वाले व्यय का अनुमान बनाया गया था? यदि हां, तो उस पर कितनी राशि व्यय होनी थी? व्यय अनुमान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जलमहल जयपुर की खुदाई की योजना का कार्य निगम द्वारा फरवरी, 1994 में प्रारम्भ किया गया। अब तक इस पर कुल 68.51 लाख रुपये व्यय हुए। ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। इस योजना पर अनुमानित 820.26 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। व्यय अनुमान की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

ऋषि गालब नगर, जयपुर में भूखण्डों का आवंटन

93. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऋषि गालब नगर, जयपुर में भूखण्डों का आवंटन किया गया था? यदि हां, तो कब एवं कितने भूखण्डों का आवंटन, किस-किस श्रेणी को?

(2) क्या यह सही है कि भूखण्ड आवंटन के पश्चात् नियमानुसार निर्माण कराया जाना आवश्यक था? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने अब तक भूखण्डों पर निर्माण नहीं करवाया है?

(3) क्या यह भी सही है कि कतिपय व्यक्तियों के भूखण्ड निरस्त कर दिये गये हैं? यदि हां, तो निरस्त किये भूखण्डों की भूखण्ड संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 23 अगस्त, 1995 तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को 50 वर्गगज आकार के 600 भूखण्ड आवंटित किये गये थे।

(2) जी हां (1) 62 भूखण्ड आवंटियों ने अभी तक भूखण्ड पर निर्माण कार्य नहीं करवाया है।

(3) जी, हां। सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें।)

जनता नगर (जयपुर) में नाली निर्माण

94. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनता नगर (रांकड़ी) लक्ष्मीनगर के पीछे, जयपुर में

(श्री भीखा भाई)

सड़क, नालियां बनाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कॉलोनी के आस-पास की सभी कालोनियों में सड़क, नाली निर्माण करा दिया गया है? यदि हां, तो इस कालोनी को विकास से वंचित करने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) इस वित्तीय संवत् में उक्त कार्य हेतु कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष में निगम की वित्तीय स्थिति के आधार पर इस क्षेत्र के विकास कार्य हेतु प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा।

(2) उक्त कालोनी के आसपास की सभी कालोनी में पूर्ण सड़क व नाली का निर्माण नगर निगम द्वारा धनाभाव के कारण नहीं कराया गया है। अतः इसी कालोनी को वंचित रखने का प्रश्न नहीं उठता है।

राजस्थान आवासन मण्डल, अलवर के आवंटियों द्वारा नियमितीकरण/रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन

95. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत एक वर्ष में राजस्थान आवासन मण्डल, अलवर में कितने आवंटियों द्वारा नियमितीकरण एवं रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया गया? विवरण तिथिवार सदन की मेज रखें।

(2) अब तक इनमें से कितने आवंटियों का नियमितीकरण/रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है?

(3) शेष बचे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन/नियमितीकरण नहीं होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) शेष बचे हुए लोगों का नियमितीकरण/रजिस्ट्रेशन कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) कुल 175 आवंटियों द्वारा उनके पक्ष में आवास के नियमितीकरण एवं रजिस्ट्री हेतु आवेदन किया। विवरण परिशिष्ट "क" अनुसार संलग्न है।

(2) अब तक 42 आवेदकों के पक्ष में नियमितीकरण कर, 38 के पक्ष में रजिस्ट्री भी कर दी गयी है।

(3) शेष बचे 133 आवेदकों में से 21 से आवास के पेटे बकाया राशि की मांग की गयी है व बाकी 112 के द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र अपूर्ण है अथवा उनमें त्रुटियों के कारण आक्षेप हैं।

(4) आवेदकों द्वारा प्रपत्र पूर्ण कर दिये जाने व आक्षेप की पूर्ति कर दिये

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

जाने के उपरान्त उनके पक्ष में नियमिती-करण/पंजीकरण कर दिया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 96
(स्थगित)

जोधपुर जिले के जी एल. आर/ एस. एल. आर.

97. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में विभाग द्वारा निर्मित जी. एल. आर. एवं एस. एल. आर. पाइप लाइनों से नहीं जुड़े हुए हैं ? उक्त जी. एल. आर. व एस. एल. आर. कब-कब निर्मित हुए, इनको अब तक नहीं जोड़ने के लिए कौन दोषी हैं ? उक्त स्कीम अब कब तक पाइप लाइनों से जोड़ दी जायेगी।

उत्तर

जी, हां। जोधपुर जिले के अन्तर्गत जिला वृत जोधपुर के अधीन क्षेत्र में, विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत बनाये गये 52 जी. एल. आर., 5 सी. डब्ल्यू आर. व 3 एस. आर. को दिनांक 25.10.95 तक पाइप लाइन से जोड़कर चालू नहीं किया जा सका है।

उक्त जलाशय कब निर्मित किये गये थे, का विवरण परिशिष्ट "क" पर है। उक्त जलाशयों को अब तक नहीं जोड़ने के कारण भी परिशिष्ट में दिये गये हैं। नहीं जोड़ने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है एवं इसके पश्चात् ही दोषी व्यक्तियों का पता लग सकेगा। जलाशयों को कब तक जोड़ा जायेगा इसकी सूचना भी परिशिष्ट "क" में है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की पेयजल योजनाओं में लगे पम्पसेट

98. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में चल रही पेयजल योजनाओं के लिए निर्मित कौन-कौन से नलकूपों पर किस-किस हैड का पम्प व किस-किस अश्व शक्ति की मोटर कब-कब से लगी हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन नलकूपों का जल स्तर नीचे चला गया है ? यदि हां, तो क्या वही हैण्ड पम्प एवं मोटरें अभी भी कार्य कर रही हैं ? क्या सरकार इन्हें बदलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के अन्तर्गत संचालित हो रही पेयजल योजना को चलाने हेतु कौन-कौन से नलकूप पर किस-किस हैड का पम्प व किस-किस

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अश्व शक्ति की मोटरें कब-कब से लगी हुई हैं का विवरण प्रपत्र "क" में संलग्न है।

(2) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र की पेयजल वितरण व्यवस्था हेतु चलाये जा रहे 30 नलकूपों में से 23 नलकूपों का जल स्तर करीब 7 से 15 मीटर नीचे चला गया है, जिसकी सूची प्रपत्र "ख" में संलग्न है। इनमें से 5 नलकूपों पर अधिक हैड के पम्प लगा दिये गये हैं तथा शेष 18 नलकूपों पर पम्प की लोरिंग बढ़ाकर पूर्व में लगे हुए पम्पों से ही कार्य लिया जा रहा है। आवश्यकतानुसार सभी नलकूपों पर ज्यादा हैड के पम्प लगाये जायेंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जोधपुर जिले के नलकूपों की मोटरें

99. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर जिले में विभाग के नलकूपों पर पिछले दो वर्षों से किस-किस नलकूप की मोटर कब-कब खराब हुई या जली ? इनकी मरम्मत पर कितना रुपया व्यय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग ने बार-बार मोटरों के जलने के कारणों की जांच की ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ? क्या सरकार के समक्ष इस समस्या को दूर करने के लिए कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1993–94 व 1994–95 में नलकूपों पर लगी मोटर पम्प के खराब होने तथा ठीक कराने का विवरण पंपिंग सेटवार परिशिष्ट–1 पर है।

(2) नलकूपों पर लगी पंपिंग सैट की मोटर पंपिंग सैट जलने/खराब होने के मुख्यतया कारण लगातार कार्यरत रहने, समय-समय पर बिजली की सप्लाई में वोल्टेज के उतार-चढ़ाव, नलकूपों में पानी के साथ मिट्टी आने, कभी-कभी तकनीकी कमियों से सही समय पर मोटर स्टार्टर का ट्रिप नहीं होना व कुछ पम्प सैट का निर्धारित आयु के बाद भी उपयोग में लेते रहना है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जब कभी भी किसी नलकूप की कोई मोटर/पम्प जलती/खराब होती है, तो उसकी सामान्य जांच करने के बाद ही उसकी मरम्मत कराई जाती है। मोटर पम्पों के जलने/खराब होने के कारणों की लगातार समीक्षा की जाती है तथा यह प्रयास किये जाते हैं कि मोटर पम्प जलने के कारणों को मोटर जलने/खराब होने के पूर्व ही दूर किया जावे जिससे मोटर पम्प जलने/खराब होने की कम से कम सम्भावना रहे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विधान सभा क्षेत्र सरदारपुरा की पेयजल व्यवस्था

100. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सरदारपुरा के बागर, कलाल, कालोनी बागर बेरी, कागा कागड़ी, कागा पावटा, सोजती गेट बेरियां, विश्वकर्मा नगर, परिहार नगर, बासनी तम्बोलियां, मण्डोर, शिवशक्ति नगर, सरदारपुरा बी रोड, जे.जे. अस्पताल वाली गली, सरदारपुरा होली चौक, शास्त्री नगर ए व बी सैक्टर, में पिछले कई महीनों से पेयजल की भारी किल्लत है जिसके कारण पर्याप्त पानी 3-4 दिन बाद तक नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था ठीक करने के लिए कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां। उल्लेखित बस्तियों में विभागीय मापदण्ड के अनुरूप पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। यदा-कदा इन क्षेत्रों में पानी एक दिन छोड़कर एक दिन के बजाय अधिक समय में उपलब्ध हो पाता है। जोधपुर शहर की पुनर्गठित योजना के तथा जोधपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जोधपुर लिफ्ट योजना कार्य प्रगति पर है। इन दोनों योजनाओं के कार्य पूरे होते ही उल्लेखित बस्तियों में तथा जोधपुर शहर में पेयजल समस्या का निवारण होना सम्भव हो सकेगा। पुनर्गठित योजना का कार्य वर्ष 1997–98 में पूर्ण किये जाने के लक्ष्य हैं।

श्री गंगानगर में जल वितरण व्यवस्था

101. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्री गंगानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर शहर की जवाहर नगर, सेटीया कालोनी जी ब्लाक, एल ब्लाक, मुकर्जी नगर, सुरजीत सिंह कालोनी, हाऊसिंग बोर्ड पुरानी आबादी, शास्त्री बस्ती, देवनगर में पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा ?

(2) क्या यह भी सही है उक्त कालोनी के निवासियों ने सम्बन्धित अधिकारियों को पानी सप्लाई की कमी के बारे में गत तीन माह में समय-समय पर मांग पत्र पेश किये और मौखिक तौर पर जाकर भी निवेदन किया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन कालोनियों में पाइप लाइन की खराबी के कारण पानी सप्लाई में बाधा उत्पन्न होती है ? यदि हां, तो इसे कब तक ठीक कर दिया जाएगा ?

(4) उक्त कालोनियों में नोर्मस् के अनुसार कितनी-कितनी मात्रा में प्रतिदिन पानी सप्लाई किया जाना चाहिये और वास्तव में प्रतिदिन कितनी मात्रा में पानी सप्लाई किया जाता है ? गत 15 दिनों में इन कालोनियों में प्रदाय किए गये पानी की

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

मात्रा का विवरण कालोनी वाइज सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में एल-ब्लाक पुरानी आबादी एवं शास्त्री बस्ती में पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है, देवनगर बस्ती वर्तमान में शहरी जल प्रदाय योजना से जुड़ी हुई नहीं है तथा उसे पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। शेष उल्लेखित बस्ती में विभागीय मापदण्ड के अनुरूप पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है।

(2) जी, हां। जवाहर सेतिया कालोनी, मुकर्जी नगर, सूरजीत सिंह कालोनी, हाउसिंग बोर्ड जी ब्लाक तथा देवनगर पानी की समस्या के सम्बन्ध में मांग-पत्र प्राप्त हुआ है। इन कालोनी की पेयजल समस्या के समाधान हेतु हुडको कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगानगर शहर की पुनर्गठित जल प्रदाय योजना स्वीकृति की प्रक्रिया में है। शीघ्र ही योजना स्वीकृत की जाकर पेयजल की समस्या के समाधान के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी, नहीं।

(4) एल-ब्लाक पुरानी बस्ती एवं शास्त्री बस्ती में 130 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तथा शेष उल्लेखित कालोनी में (देवनगर को छोड़ कर), औसतन 75 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। विभागीय मापदण्ड 140 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध करवाया जाने के है। दिनांक 1-10-95 से 15-10-95 तक उल्लेखित कालोनी में प्रतिदिन दिये जा रहे पानी का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें।)

ग्राम पादरड़ी खुर्द बाड़मेर की निजी भूमि पर निर्माण

102. **श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा):** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पादरड़ी खुर्द तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर में विभाग ने किसी निजी भूमि में ट्यूबवैल, बड़ा होज तथा पम्प भवन का निर्माण कार्य कराया था? यदि हां, तो किस व्यक्ति की किस खसरा नम्बर की भूमि में?

(2) क्या उक्त भूमि को विभाग के अधीन लेने के लिए भू-स्वामी एवं सरकार के बीच कोई इकरारनामा हुआ? यदि हां, तो इकरारनामा की प्रति मय शर्तों के सदन की मेज पर रखें, यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग ने भू-स्वामी की बिना इजाजत उक्त निर्माण कार्य करवाया? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या सरकार दोषियों को दण्डित करने व भू-स्वामी को आर्थिक या अन्य किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्री छोगाराम विश्नोई ग्राम पादरड़ी खुर्द जिला बाड़मेर की निजी भूमि खसरा नं. 589 में विभाग ने सम्प होद व दो फ्रेब्रिकेटेड पम्प रूम का निर्माण कराया है एवं नलकूप सरकारी भूमि पर बना हुआ है।

(2) जी, नहीं। क्योंकि श्री छोगाराम विश्नोई ने यह जमीन विभाग को निःशुल्क ग्राम वासियों के समक्ष दी थी इसलिए किसी प्रकार का इकरारनामा नहीं किया गया था एवं न ही भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गयी।

(3) जी, नहीं। जमीन भूमि के मालिक द्वारा निःशुल्क ग्रामवासियों के समक्ष उनके निवेदन पर ग्रामों को पेयजल सुलभ कराने हेतु जनहित में दी थी अतः इसके लिए कोई दोषी नहीं है। यदि जमीन मालिक द्वारा किन्हीं अन्य विशिष्ट तथ्यों/साक्ष्यों को उद्गत किया जायेगा तभी उन पर नियमानुसार कार्यवाही करना संभव हो सकेगा।

पंचायत समिति सेवर में विभाग द्वारा निर्मित ट्यूबवैल

103. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सेवर में गत दो वर्षों में विभाग द्वारा निर्मित ट्यूबवैलों व डीप हैंड पम्पों का निर्माण किया गया ?

(2) उक्त ट्यूबवैलों में से कितने ट्यूबवैल कार्यरत हैं ?

(3) उक्त डीप हैण्ड पम्पों में से कितने हैण्ड पम्प कार्यरत हैं ?

(4) उक्त पंचायत समिति में पेयजल समस्या के समाधान हेतु और क्या-क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) पंचायत समिति सेवर में पिछले 2 वर्षों में चार नलकूप बनाये गये तथा यह चारों नलकूप कार्यरत हैं।

(3) पंचायत समिति सेवर में पिछले 2 वर्षों में 86 डीप हैण्ड पम्प बनाये गये, जिनमें से 76 कार्यरत हैं।

(4) पंचायत समिति सेवर के ग्रामों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु 13 एन. केटेगिरि हैबिटेशन में हैण्ड पम्प लगाने का कार्य प्रगति पर है तथा 5 एन. केटेगिरी हैबिटेशन को पाइप लाइनों से जोड़कर माह सितम्बर, 1995 में लाभान्वित किया गया है। दो ग्रामों के लिए अभिवृद्धि योजना स्वीकृत की जा चुकी है जिस पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

भरतपुर शहर हेतु पीने के पानी की योजना

104. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री आर. पी. शर्मा)

भरतपुर शहर के लिये पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु मंडोली योजना कब स्वीकृत हुई तथा इस योजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? उक्त योजना से शहर में पीने का पानी कब तक उपलब्ध हो सकेगा तथा इस योजना के क्रियान्वयन में देरी के क्या कारण हैं ?

उत्तर

भरतपुर शहर के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु मंडोली योजना वर्ष 1990-91 में स्वीकृत हुई थी। इस योजना पर माह सितम्बर, 1995 तक रुपये 577.65 लाख व्यय हो चुके हैं ? इस वित्तीय वर्ष 1995-96 में इस योजना से अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस योजना का कार्य प्रति वर्ष बजट उपलब्धता के अनुसार करवाया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र मकराना की बस्तियों में जल वितरण

105. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में मातामर पर विभाग द्वारा पानी की टंकी कब बनायी गयी और आज तक उस टंकी का उपयोग हुआ अथवा नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि मकराना में मातामर के आस-पास बसी बस्तियों जैसे मोदारों की ढाणी तथा किडोलियों की ढाणी में विभाग द्वारा पानी सप्लाई का कोई प्रबन्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्या पानी की बड़ी टंकी बनायी गयी थी ? यदि हां, तो इस पर कितना रुपया व्यय हुआ व किन-किन बस्तियों को टंकी का पानी वितरण किया।

उत्तर

(1) मकराना विधानसभा क्षेत्र में मातामर में पानी की टंकी वर्ष 1989 से बनायी गयी। इस टंकी का उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है।

(2) जी, नहीं। मातामर के आसपास बनी बस्तियों जैसे गोदामों की ढाणी तथा किडोलियों की ढाणी में पेयजल उपलब्ध करवाने के कोई नये प्रस्ताव नहीं थे एवं न विचाराधीन है, न ही इस हेतु कोई टंकी का निर्माण किया गया है।

रिक्त पदों पर नियुक्ति

106. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार लाइनमेन, हेल्पर एवं पम्प ड्राइवरों के कुल कितने पद होने चाहिये तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं ?

(2) उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) विभाग में विभिन्न तकनीकी कर्मकारों जिनमें लाइनमेन, सहायक एवं पम्प चालक के पद भी सम्मिलित हैं के वर्तमान में कोई भी मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं। अत: कुल पदों एवं रिक्त पदों की संख्या निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) पम्प चालक, लाइनमेन एवं सहायक के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने हेतु राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 9(1) वित्त-I) I (ग्रा व्यय/94/ दिनांक 24-4-93 एवं दिनांक 17-10-94 के द्वारा प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। रिक्त पदों को पदोन्नति से नियमानुसार भरने के लिए वरिष्ठता का निर्धारण करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाती है।

निवाई कस्बे की विचाराधीन पेयजल योजना

107. श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि निवाई कस्बे हेतु एक वृहत् पेयजल योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस योजना को कब तक मंजूर कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। विचाराधीन वृहत् पेयजल योजना के स्वरूप को अन्तिम रूप दिया जाना है। इसलिये योजना का विवरण सदन की पटल पर रखना सम्भव नहीं है।

(2) योजना का स्रोत बदल जाने के कारण संशोधित योजना स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 108

(स्थगित)

उचित मूल्य की दुकान नम्बर 589 द्वारा खाद्य सामग्री वितरण प्रकरण

109. श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दुकान नं. 589 शांतिनगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर द्वारा उन्हें लाइसेन्स जारी होने के पश्चात् कितनी-कितनी खाद्य सामग्री यथा चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं एवं चावल रियायती दर पर उपलब्ध होने वाली सामग्री प्राप्त की गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानदार द्वारा लाइसेन्स जारी होने के पश्चात् से अब तक प्राप्त सामग्री को कितने-कितने व्यक्तियों में वितरित किया गया ? वर्षवार विवरण एवं उपभोक्ता के हस्ताक्षर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिसिंह)

(3) क्या यह सही है कि बहुसंख्यक उपभोक्ताओं को दुकानदार द्वारा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने से मना कर दिया जाता है तथा पंजिका में फर्जी इन्द्राज किया जाता है जिसकी शिकायतें समय-समय पर की जाती रही हैं ? क्या सरकार उक्त दुकान को लाइसेन्स जारी होने से अब तक की खाद्य सामग्री वितरण पंजिकाओं की वर्षवार जांच कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दुकान का लाइसेंस रद्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दुकान नम्बर 589 को प्राधिकार-पत्र दिनांक 16-2-93 को जारी किया गया, जिसके पश्चात दुकानदार को निम्न प्रकार से खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र. सं.	वर्ष	नाम वस्तु	मात्रा
1.	1993	लेवीचीनी	113 क्विंटल
2.	1993	केरोसीन	27000 लीटर
3.	1994	लेवीचीनी	100 क्विंटल
4.	1994	केरोसीन	36000 लीटर
5.	1995	लेवीचीनी	56 क्विंटल
6.	1995	केरोसीन	26500 लीटर

गेहूं एवं चावल का उठाव दुकानदार द्वारा नहीं उठाया गया है।

(2) उक्त अधिकृत राशन विक्रेता द्वारा लाइसेंस जारी होने से जून, 95 तक राशन सामग्री वितरण पंजिका प्रस्तुत नहीं करने से डीलर का प्राधिकार-पत्र 90 दिवस के लिए निलम्बित कर दिया गया है। जुलाई, 95 से सितम्बर, 95 तक उपभोक्ताओं को वितरण की गई सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से है :—

नाम माह	नाम राशन सामग्री	यूनिट संख्या
जुलाई, 95	लेवीचीनी	2191
अगस्त, 95	लेवीचीनी	2188
सितम्बर, 95	लेवीचीनी	2054
जुलाई, 95	केरोसीन तेल	598 रा. कार्ड
अगस्त, 95	केरोसीन तेल	599 ,, ,,
सितम्बर, 95	केरोसीन तेल	511 ,, ,,

उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर सहित सूची उपरोक्तानुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

(3) जी, नहीं। फर्जी इन्द्राज करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। डीलर की वितरण पंजिका की जांच करने पर अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

वनस्पति घी निर्माण

110. श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किस-किस फैक्ट्री द्वारा किस-किस ब्राण्ड के वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है तथा इन फैक्ट्रियों के प्रबन्ध संचालक मण्डल में कौन-कौन व्यक्ति हैं ? प्रबन्ध संचालक मण्डल के व्यक्तियों की पते सहित फैक्ट्रीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त फैक्ट्रियों में से कौनसी फैक्ट्री बंद है तथा कौन सी चालू है ? वनस्पति घी निर्माण की फैक्ट्रीवार क्षमता सहित सूची मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में जिन-जिस फैक्ट्री द्वारा जिस-जिस ब्राण्ड के घी का निर्माण किया जाता है तथा इन फैक्ट्रियों के प्रबन्ध संचालक मंडल में जो-जो व्यक्ति हैं, के पते सहित फैक्ट्रीवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उक्त फैक्ट्रियों में से बन्द एव चालू तथा फैक्ट्रीवार वनस्पति निर्माण की क्षमता का विवरण प्रश्न के भाग (1) में प्रस्तुत सूची में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)।

रसोई गैस उपभोक्ता द्वारा गैस कनेक्शन का हस्तान्तरण

111. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गैस एजेन्सी के उपभोक्ताओं द्वारा गैस कनेक्शन अन्य किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित किया जा सकता है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि परिवार के मुखिया के वृद्ध होने तथा वसीयत लिखे जाने पर अन्य व्यक्ति को जैसे—पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, पुत्र वधू के नाम गैस कनेक्शन का हस्तान्तरण किया जा सकता है ? यदि हां, तो किस प्रक्रिया के अन्तर्गत ?

(3) क्या यह भी सही है कि गैस कनेक्शन उपभोक्ता की मृत्यु होने के पश्चात् अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण किया जा सकता है ? यदि हां, तो किस-किस को ? इस सम्बन्ध में जारी नियमों/

(श्री भीखा भाई)

आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यदि उपभोक्ता के पास एल. पी. जी. के दो कनेक्शन हैं तो वह एक कनेक्शन "सेफ कस्टडी" स्कीम के तहत किसी व्यक्ति को स्थानान्तरित कर सकता है। आदेशों की प्रति भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय से प्राप्त की जा रही है प्राप्त होते ही प्रस्तुत करदी जायेगी।

(2) वृद्धावस्था में गैस कनेक्शन अपने परिवार के सदस्य के नाम हस्तान्तरित किया जा सकता है।

(3) गैस कनेक्शन उपभोक्ता की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को हस्तान्तरण किया जा सकता है। आदेश/नियमों की प्रतियां भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय से प्राप्त की जा रही है। प्राप्त होते ही प्रस्तुत करदी जाएंगी।

माही बांध से जल वितरण

112 श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में माही बांध बनने के बाद ऐसे कितने गांव हैं जिनको कमाण्ड घोषित करने के बाद भी आज तक पानी नहीं मिल रहा है ?

(2) क्या सरकार इन गांवों को कमाण्ड से नोन कमाण्डेड में घोषित करने या पानी देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने समय में व नान कमाण्ड में परिवर्तित करना चाहती है तो कितने समय में ? ग्रामों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माही बजाज सागर परियोजना के मूल कमाण्ड क्षेत्र में कुल 55 ऐसे गांव हैं, जिनमें कमाण्ड क्षेत्र घोषित होने के पश्चात् भी अभी तक पानी नहीं पहुंचा है।

(2) इन गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अगले दो वर्षों में 42 गांवों में पानी पहुंचाने के प्रयास किये जा रहे हैं। शेष 13 गांवों में जलोत्थान योजना द्वारा पानी पहुंचाना प्रस्तावित है, जिसके लिए राज्य सरकार के आदेशानुसार कृषकों की सहकारी समितियां बनने के बाद ही कार्यवाही की जा सकती है। अतः इन गांवों को नोन कमाण्ड क्षेत्र घोषित करने आवश्यकता नहीं है।

ग्राम बुगारी (नैनवा) के बांध की भूमि के खातेदारों को मुआवजे का भुगतान

113. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मौके की स्थिति के मुताबिक कृषि भूमि खसरा संख्या 1347 रकबा 8 बीघा 5

(श्री हरिसिंह)

बिस्वा तथा खसरा संख्या 1350 रकबा 7 बीघा ग्राम दुगारी (तहसील नैनवां) के दुगारी बांध की नहर कटिंग एरिया में आने पर भी खातेदार कृषक को मुआवजा राशि अदा नहीं की गयी है ? यदि हां, तो मौके की स्थिति के मुताबिक भूमि का नाप एवं मुआवजा राशि निर्धारित कर मुआवजा कब तक अदा कर दिया जावेगा ? मौजूदा जमाबन्दी की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बांध की नहरों के लिये आवाप्त भूमि की पूरी राशि वितरित की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो किस किस काश्तकार की किस-किस भूमि की कितनी-कितनी राशि बकाया है तथा उसे कब तक अदा कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) मौके की स्थिति के अनुसार दुगारी ग्राम के खसरा नम्बर 1347 की 16 बिस्वा खातेदारी भूमि व खसरा नम्बर 1350 की 2 बिस्वा 13 बिस्वा जंगलात भूमि दुगारी बांध की नहर के अन्दर आई है। खसरा नम्बर 1347 की इस 16 बिस्वा भूमि का मुआवजा सम्बन्धित खातेदार से समझौतावार्ता के अनुसार 19360 रु. तय हो चुका है जिसका भुगतान बजट के अभाव में अभी नहीं हुआ। बजट एलाट करने के प्रयास किये जा रहे हैं। बजट एलाट होने पर भुगतान कर दिया जायेगा। खसरा नं. 1350 की दुगारी नहर के अन्दर आई 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि जंगलात की होने के कारण इसका मुआवजा किसी कृषक को देय नहीं है। मुआवजा बुवाई धारा 4 की विज्ञप्ति के दिनांक के आधार पर ही पारित किया जाता है। धारा 4 की विज्ञप्ति दिनांक 26.12.92 को जारी हुई थी। अतः मौजूदा जमाबन्दी की प्रति संगत नहीं है।

(2) अवाप्त भूमि की पूरी राशि वितरित नहीं की जा सकी है धारा 4 व 6 की विज्ञप्ति के अनुसार अवाप्त की जाने वाली भूमि में जिन काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया गया उनकी सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न हैं। जिन कृषकों ने मुआवजे हेतु अपनी भूमि सम्बन्धित कागजात पेश नहीं किए उन्हीं कृषकों के मुआवजे रुके हुए हैं। जो काश्तकार अपने कागजात पेश कर देंगे उन्हें कागजात पेश करने पर शीघ्र मुआवजा भुगतान के प्रयास किये जावेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें।)

ग्राम हरदास का बास (श्रीमाधोपुर) में बांध हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

114. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम हरदास का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला–सीकर में बांध बनाया गया था और उक्त बांध निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण भी किया गया था ? यदि

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

हां, तो किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया ?

(2) क्या अधिग्रहित की गयी भूमि की क्षति पूर्ति राशि का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिन लोगों को इस राशि का भुगतान होना था उन्हें भुगतान न होकर अन्य व्यक्तियों को भुगतान कर दिया गया ? यदि हां तो क्यों ? इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि श्री रामेश्वर लाल पुत्र घीसालाल शर्मा निवासी हरिपुरा (झाड़ली) जिला सीकर को भी भुगतान होना था जो नहीं होकर अन्य व्यक्तियों को हो गया ?

(5) क्या अब अन्य व्यक्तियों को हुआ गलत भुगतान वापिस वसूल तो कर लिया गया किन्तु फिर भी उपयुक्त व्यक्ति को नहीं दिया गया ?

(6) क्या इस सम्बन्ध में कलक्टर, सीकर व अन्य अधिकारियों को शिकायतें मिली ? यदि हां, तो कब-कब एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी हां। जिन व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया उनकी सूची संलग्न हैं (परिशिष्ट "क")

(2) अधिग्रहित भूमि में से जिसका मुआवजा दिया जा चुका है उसकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है शेष अधिग्रहित भूमि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी, हां। खसरा नम्बर-7128 एवं 7130 ग्राम हरदास का बास, तहसील श्री माधोपुर से सम्बन्धित भुगतान गलती से अन्य व्यक्तियों को हो गया था, जिसकी वसूली की जा चुकी है। यह गलत भुगतान राजस्व रिकार्ड के गलत सत्यापन के कारण हुआ, जिसकी जांच की जा रही है।

(4) तहसील से प्राप्त अभिलेख जमाबन्दी परिशिष्ट "ग" के अनुसार श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री घीसालाल शर्मा खसरा नम्बर 7128, 7130 की भूमि पर गैर खातेदार काबिज हैं एवं गैर खातेदार मुआवजा पाने का अधिकारी नहीं हैं क्योंकि गैर खातेदार काश्तकार भूमि का विक्रय करने का अधिकार नहीं रखता है। इसलिए मुआवजा देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यह सही है कि इस क्षेत्रफल की राशि तहसील द्वारा गलत सत्यापन हो जाने के कारण अन्य व्यक्ति को दे दी गई थी जो उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना द्वारा वापस वसूल कर ली गयी है।

(5) जी, हां। गलत भुगतान वापिस वसूल कर लिया गया है। परन्तु गैर खातेदार होने के फलस्वरूप यह भुगतान श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री घीसालाल को

(सिंचाई मंत्री)

मुआवजा के तौर पर नहीं दिया जा सकता।

(6) जी, हां। श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री घीसालाल शर्मा की शिकायत कलक्टर सीकर के माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसमें भूमि खसरा नम्बर 7128 क्षेत्रफल 0.78 हैक्टेयर व 7130 क्षेत्रफल 0.61 हैक्टेयर अपनी होना बताया गया। इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होते ही उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को मुगतान रोकने व मुगतान हो जाने की स्थिति में वसूली करने की कार्यवाही हेतु लिखा गया था। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा गलत मुगतान से सम्बंधित व्यक्तियों को नोटिस/कुर्की वारंट जारी कर राशि की वसूली की जा चुकी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जयपुर, अजमेर व कोटा के क्षतिग्रस्त बांध

115. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में जिला जयपुर, अजमेर व कोटा के क्षतिग्रस्त तालाबों और नहरों की मरम्मत पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि क्षतिग्रस्त बांधों, तालाबों और नहरों की मरम्मत आदि के लिए पर्याप्त राशि एवं संसाधनों की कमी है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या-क्या कदम उठाने जा रही है?

उत्तर

(1) वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में जयपुर, अजमेर व कोटा के क्षतिग्रस्त बांधों, तालाबों व नहरों की मरम्मत पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। क्षतिग्रस्त बांधों, तालाबों और नहरों की मरम्मत आदि के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी रहती है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांधों/तालाबों/नहरों की मरम्मत हेतु केन्द्रीय आपदा कोष से आवश्यक धनराशि प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके अलावा जल उपयोगकर्ताओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे सिंचाई कार्यों का रख-रखाव जल उपयोग कर्ताओं की समितियां बनाकर अपने हाथ में लें तो सरकार के पास उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधन ऐसी समितियों को भी उपलब्ध करवाये जा सकते हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

गोविन्दगढ़ (अजमेर) बांध परियोजना हेतु अवाप्त भूमि के मुआवजे का भुगतान

116. विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री विष्णु मोदी)

(1) क्या यह सही है कि गोविन्दगढ़ बांध परियोजना के लिए ग्राम सेठन, पीसांगन, और गोविन्दगढ़, (अजमेर) के काश्तकारों की भूमि सरकार द्वारा अवाप्त की गयी थी? यदि हां, तो क्या काश्तकारों को अवाप्त की गई, भूमि के मुआवजे का चुकारा कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त ग्रामों के किन-किन काश्तकारों को कितनी-कितनी राशि का चुकारा किया जाना शेष है और सरकार द्वारा उक्त मुआवजे की राशि का चुकारा कब तक कर दिया जाएगा।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बांध परियोजना क्षेत्र में उक्त ग्रामों के कुछ लोगों के मकान, बाड़े आदि भी डूब में आये थे और उन्हें भी मुआवजे की राशि के साथ-साथ वैकल्पिक जगह भी उपलब्ध कराई जानी थी? यदि हां, तो इन लोगों को मुआवजे की राशि और वैकल्पिक जगह अब तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है? यदि हां, तो सरकार इन लोगों को कब तक मुआवजे की राशि और वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर:

(1) जी, हां। गोविन्दगढ़ बांध परियोजना के लिए सेठन, पीसांगन और गोविन्दगढ़ (अजमेर) के 251 काश्तकारों की 2332 बीघा और 4 बिस्वा भूमि राज्य सरकार द्वारा अवाप्त की गयी है। अब तक 172 बीघा एक बिस्वा भूमि का अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। इनमें से 12 काश्तकारों को 2.57 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। शेष ने भुगतान न लेने की इच्छा प्रकट की है। शेष अवाप्त की गई भूमि के अवार्ड जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर है। अवार्ड जारी होने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

(2) जी, हां। उक्त बांध परियोजना क्षेत्र में 25 लोगों के कच्चे व पक्के मकान डूब में आये हैं। उन्हें मुआवजे की राशि ही उपलब्ध करवानी है न कि मुआवजे की राशि के साथ-साथ वैकल्पिक जगह भी। डूब में आये मकान व भूमि के अवार्ड जारी होने की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा की जा रही है। वर्तमान में इन लोगों को अस्थाई रूप से पीसांगन ग्राम में बसाया गया है। अवार्ड जारी होने पर मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में वैकल्पिक जगह उपलब्ध करवाने के नार्म्स नहीं हैं फिर भी जिनके मकान डूब में आये हैं, उन्हें वैकल्पिक जगह अलाट करवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा के एनीकट

117. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा में वर्ष 1990-91 से अब तक कितने एनीकटों का निर्माण कराया गया? वर्षवार स्वीकृत राशि एवं स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भवानी जोशी)

(2) वर्तमान में एनीकट्स की क्या स्थिति है ? कितने एनीकट पूर्ण कराये गये और कितने अब तक अधूरे हैं ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में सिंचाई खण्ड, बांसवाड़ा के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 से अब तक 39 एनीकट एवं पिक अप वियर लागत रुपये 235.82 लाख के विभिन्न कार्यक्रमों में, स्वीकृत हुये हैं जिनकी कार्यवार लागत वर्षवार व्यय एवं गांव का नाम आदि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) इन कार्यों में से 17 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, 18 कार्य वर्तमान में सुनिश्चित रोजगार योजना में प्रगति पर हैं एवं 4 कार्य अपूर्ण स्थिति में बन्द हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

सागवाड़ा कैनाल पर अनुमानित व्यय

118 श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सागवाड़ा कैनाल की आर. डी 10 से 11 कि. मी. की खुदाई के कार्य हेतु कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व अनुमानित राशि का आंकलन किया गया था ? यदि हां, तो कितनी राशि का आकलन किया गया ?

(2) उक्त कार्य हेतु विभागीय स्वीकृति कितनी राशि की प्रदान की गई ?

(3) क्या उक्त कार्य पूर्ण हो चुका है ?

(4) क्या सागवाड़ा नहर की खुदाई का कार्य अकाल राहत की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भी कराया गया था ? यदि हां, तो अकाल राहत में कितना व्यय किया गया ?

(5) उक्त कार्य पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी ? व्यय की गई राशि स्वीकृत राशि से कितने प्रतिशत अधिक है ?

उत्तर

(1) जी, हां। कार्य प्रारम्भ से पूर्व राशि रुपये 47,83,000/- मात्र का आकलन स्वीकृत किया गया था।

(2) उक्त कार्य हेतु संशोधित आकलन की विभागीय स्वीकृति रुपये 64 67,271/- की प्रदान की गयी।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, हां सागवाड़ा नहर की खुदाई का कार्य अलग-अलग योजनाओं में अकाल राहत के तहत विभिन्न वर्षों में करवाया गया था। अकाल राहत में माही सागवाड़ा नहर की पूरी लम्बाई में खुदाई हेतु रुपया 170.71 लाख का व्यय किया गया।

(5) उक्त कार्य पर 61,57,351/- रुपये की राशि व्यय की गयी जो कि स्वीकृत राशि से 4.79% कम है।

पंचायत समिति अन्ता की चरागाह भूमि

119. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1993-94 व 1994-95 में बारां जिले की पंचायत समिति अन्ता में चरागाह भूमि पर जुर्माने की कितनी-कितनी राशि तहसीलदार द्वारा वसूली की गयी ?

(2) पंचायत समिति द्वारा चरागाह तावान राशि में से शिक्षा करके हैड में कितनी-कितनी राशि सीधी काटी गयी व कितनी-कितनी राशि पंचायतों को दी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस प्रकार पंचायत राशि में से सीधा पैसा काटना पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1993-94 व 1994-95 में पंचायत समिति, अन्ता में कुल पंचायतों की चरागाह जुर्माना राशि तहसील द्वारा क्रमशः 2,27,943 रु व 1,89,326/- रु. वसूल की गई, जिसका पंचायतवार विवरण संलग्न है।

(2) शिक्षा कर के हैड में काटी गयी राशि एवं पंचायतों को दी गयी राशि का उल्लेख प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में संलग्न विवरण पत्र में कर दिया गया है।

(3) शिक्षा कर की राशि सम्बन्धित पंचायतों के सरपंचों की सहमति से काटी गयी है। सीधी राशि बिल से नहीं काटी गयी।

(विवरण अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति भीम (राजसमंद) में रिक्त पद

120. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

पंचायत समिति भीम (राजसमंद) में कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं ? सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

पंचायत समिति भीम (राजसमद) में रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है :–

पद	संख्या	पद से रिक्त
विकास अधिकारी	1	1 माह से
कनिष्ठ अभियन्ता	1	2 माह से
लेखाकार	1	1 साल से
कनिष्ठ लेखाकार	1	2 माह से
सह. प्रा. अध्यापक	1	1 साल से
पंचायत प्रसार अधिकारी	1	8 माह से
ग्राम सेवक	4	17.11.94 से

(57)

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

ग्राम सेवकों के पदों पर नई नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। निर्णय होने पर इन पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी। शेष रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

पंचायत समितियों में प्रसार अधिकारियों के पद

121. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समितियों में आम तौर से कितने पद प्रसार अधिकारियों के सृजित हैं ?

(2) किसी प्रसार अधिकारी को एक ही स्थान पर उसी पंचायत समिति में अधिक से अधिक कितने साल तक रखना सरकार उचित मानती है ?

(3) क्या यह सही है कि बहुत लम्बे अर्से तक किसी एक प्रसार अधिकारी को उसी पंचायत समिति में रखा जाना प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं रहता है ? इस दृष्टि से क्या सरकार ऐसा निर्णय लेने का विचार रखती है कि किसी प्रसार अधिकारी को पांच साल से अधिक एक पंचायत समिति में नहीं रखा जायेगा ? यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन सरकार कब शुरू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समितियों में आम तौर से अधिकारी, सहकारिता प्रसार अधिकारी ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी एवं प्रगति प्रसार अधिकारी का एक एक पद सृजित है। शिक्षा प्रसार अधिकारियों के पद विद्यालयों की संख्या के अनुपात में प्रत्येक पंचायत समिति में दो या तीन हैं।

(2) विभागीय स्थानान्तरण नीति के अनुसार सामान्यतया दो वर्ष का समय उचित है।

(3) जी, नहीं। प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

पंचायत समितियों का पुनर्गठन

122. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने राज्य की बड़ी पंचायत समितियों के पुनर्गठन का आश्वासन बजट सत्र के दौरान दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की बीकानेर पंचायत समिति क्षेत्रफल व जनसंख्या एवं पंचायतों की संख्या के लिहाज से राज्य की बड़ी पंचायत समितियों में से एक है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पंचायत समिति का पुनर्गठन कर एक नई पंचायत समिति पूगल मुख्यालय पर स्थापित करने का विचार रखती है ?

(श्री भीमसेन चौधरी).

(3) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) पंचायत समिति बीकानेर यद्यपि क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के हिसाब से बड़ी पंचायत समिति कही जा सकती है किन्तु राजस्थान में इससे भी बड़ी पंचायत समितियां मौजूद हैं। पचायत समितियों के पुनर्गठन का मामला राज्य सरकार में विचाराधीन है जिस पर नियमानुसार निर्णय लिया जावेगा।

(3) प्रस्ताव की क्रियान्विति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

ग्राम पंचायत दुगारी द्वारा नियम विरुद्ध पट्टे

123. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम पंचायत दुगारी द्वारा नियम विरुद्ध एवं कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए जारी किए गए भूमि के पट्टों के निरस्तीकरण हेतु विधि अनुसार निगरानी जिला कलक्टर, बूंदी के न्यायालय में पेश करने के लिए विकास अधिकारी नैनवां को पत्रांक 266 दिनांक 15 जुलाई, 1992 से निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पट्टे जारी करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पास किया गया है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पट्टे निरस्त किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो फैसले की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) नियम विरुद्ध एवं फर्जी पट्टे जारी करने के दोषी सरपंच व पंचायत सचिव के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है तथा अब आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी, हां। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नैनवां ने पत्र दिनांक 30.10.91 के द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी को ग्राम पंचायत, दुगारी के पूर्व सरपंच श्री मोतीलाल बाबाई के विरुद्ध अनियमित भूमि विक्रय की 15 पत्रावलियां निगरानी हेतु भिजवाई। जिस पर प्रभारी अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय, बून्दी ने पत्र संख्या 266 दिनांक 15.7.92 के द्वारा विकास अधिकारी, नैनवां को पूर्व सरपंच के विरुद्ध पूर्व पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17(4) का कार्यवाही हेतु आरोप पत्र भिजवाने हेतु निर्देशित किया। पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

(2) जी, हां। पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी, हां। फैसले की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) जी, हां। जिला कलक्टर, बून्दी ने पत्र संख्या 136 दिनांक 26.8.93 के द्वारा दोषी पूर्व सरपंच श्री मोतीलाल धाबाई ग्राम पंचायत दुगारी के विरुद्ध पूर्व पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17(4) के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की। जिस पर पूर्व सरपंच के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 38(1) के अन्तर्गत परिनिर्णय लेखबद्ध करने हेतु नोटिस दिया जा चुका है व मामला निर्णय में विचाराधीन है। सचिव ने बैठक कार्यवाही अंकित की गयी है अतः उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ग्राम पंचायतों में सचिवों के रिक्त पद

124. श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतों में सचिवों के पद रिक्त हैं? इन रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों के कारण पंचायत समितियों की व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हो गई है तथा पंचायत समितियों की साधारण बैठक भी हर माह आयोजित नहीं होती है? यदि हां, तो इन पदों को कब तक भर दिया जावेगा?

(3) कोटा व झालावाड़ जिले की समस्त पंचायत समितियों की साधारण बैठकें कब-कब आयोजित की गयी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत के 2904 पद रिक्त हैं। ग्राम सेवक पदेन सचिव के पदों पर नई नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) प्रत्येक पंचायत में एक पूर्ण-कालिक ग्राम सेवक नहीं होने से पंचायतों को उनके कार्य निष्पादन में कठिनाई आती है। वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षकों की तथा जहां कृषि पर्यवेक्षक नहीं है वहां स्थानीय राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों को ग्राम सेवक के कार्य का अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। अन्य रिक्त पदों को भी शीघ्र ही भरने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है।

(3) कोटा व झालावाड़ जिले की पंचायत समितियों की, की गयी साधारण बैठकों के दिनांक की सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम नालोट (सीकर) में बाढ़ से क्षति

125. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नालोट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के कारण राहत स्वरूप राशि दी गयी थी ? यदि हां, तो कब, किस व्यक्ति को एवं कितनी-कितनी राशि ?

(2) क्या उक्त प्रकरण में राशि के गलत वितरण के सम्बन्ध में शिकायत भी प्राप्त हुई ? यदि हां, तो किस के विरुद्ध एवं उसमें जांच का क्या परिणाम रहा ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरण में बिना नुकसान हुए ही राशि प्राप्त की गयी ? यदि हां, तो किस व्यक्ति द्वारा ? क्या उक्त भूमि के सम्बन्ध में स्वामित्व को लेकर प्रकरण न्यायालय में भी विचाराधीन था ? यदि हां, तो परिणाम क्या एवं किस आधार पर रहा ?

(4) क्या धोखा देकर राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति से राशि वसूल की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस प्रकरण में राशि वसूल करने एवं धोखा देने वाले किसान के विरुद्ध कोई कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या बिना नुकसान हुए ही राहत राशि प्रदान करने तथा वस्तु स्थिति का पता लगाने के पश्चात् भी राशि वसूल नहीं करने में स्थानीय तहसीलदार दोषी है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(5) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

राज्य में अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि से क्षति

126. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष बाढ़ से किस-किस जिले में कितना-कितना नुकसान हुआ तथा बाढ़ से प्रभावित लोगों को कितनी-कितनी राशि वितरित की गयी ? इस सम्बन्ध में जारी निर्देशों की प्रति सहित विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष अतिवृष्टि व अनावृष्टि के कारण राज्य में कई क्षेत्र अकालग्रस्त होने का अनुमान है ? यदि हां, तो कौन-कौन से क्षेत्र किस-किस जिले में ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) इस वर्ष राज्य में अतिवृष्टि व अनावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों की जनता को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये जिसमें कितनी राशि खर्च की गयी ? जिलेवार विकरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस वर्ष बाढ़ से हुए नुकसान का विवरण जिलों को दी गई सहायता का विवरण एवं जारी किये गये निर्देशों की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट—"अ", 'ब" "स")

(2) अक्टूबर माह में सभी जिलों में फसलों की गिरदावरी की जावेगी। जिसके आधार पर सभी जिला कलक्टर से राज्य सरकार को 15 नवम्बर के पश्चात् रिपोर्ट प्राप्त होगी। जिला कलक्टर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(3) जून माह में भी बरसात होने से पूर्व ही राज्य सरकार ने सभी जिला कलक्टर्स को विस्तृत निर्देश संभावित बाढ़ व अतिवृष्टि की स्थिति से निपटने हेतु दे दिये थे। इस वर्ष पहली बार सभी जिला कलक्टर्स व विभागों जिन्हें बाढ़ व अतिवृष्टि की स्थिति में कार्यवाही करनी होती है। उन्हें 5 करोड़ रुपये की धनराशि एडवांस स्वीकृत कर दी गयी थी ताकि वे जहां आवश्यक हो सामग्री, उपकरण, दवाइयां आदि भी समय पर खरीद कर रखें ताकि स्थिति आने पर तुरन्त वे उपलब्ध हो सकें।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विधान सभा क्षेत्र मकराना में प्राकृतिक आपदाओं से क्षति

127. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995 में विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्रामों में प्राकृतिक आपदाओं से फसलों, मकानों, व्यक्तियों एवं पशुओं को कितनी-कितनी हानि कहां-कहां हुई ? ग्रामवार विवरण प्रस्तुत करें।

(2) क्या उपरोक्त क्षति के लिए तुरन्त सहायता पहुचा दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? देरी के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम सबलपुरा/मंगलपुरा में बाढ़ के कारण 7 व्यक्तियों के छप्पर, कच्चे झोंपड़े, चारा एवं अन्य खाने पीने का सामान बह गया इसके अलावा कच्चे मकानों/पक्के मकानों तथा मवेशियों आदि का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(2) जी, हां। सहायता हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

नवलगढ़-हरिद्वार बस का संचालन

128. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम की एक बस नवलगढ़ से दिल्ली हरिद्वार तक चलाई जाती थी ? यदि हां, तो इस बस से कितनी आमदनी प्रतिदिन होती थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस बस का रूट नवलगढ़, कोलसिया-सीथलौर भौडकीगुढ़ा के बजाय नवलगढ़-बडबासी जाखल बाटी होकर बदलने से अदालत द्वारा स्टे जारी किया गया है ?

(3) क्या सरकार इस बस को पुराने निर्विवाद रूट कोलसिया भौडकी होते हुए फिर से चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। निगम द्वारा नवलगढ़ से हरिद्वार तक अथवा नवलगढ़ से प्रारम्भ होकर दिल्ली तक कोई वाहन सेवा संचालित नहीं की गई थी।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

सूचना

राजस्थान प्रदेश कांग्रेसजनों को विधान सभा भवन के समक्ष प्रदर्शन

श्री देवेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान) राजस्थान के कांग्रेसजन ने आज विधान सभा के सामने धरना दिया है। इस + + + सरकार के आंख, कान बंद हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कांग्रेसजन ने (व्यवधान) धरना दिया, पहले उस पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधान सभा के सामने धरना दिया है। यह कांग्रेस कमेटी का धरना बिजली की मांग को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, पंचायत समिति के अधिकारों को लेकर (व्यवधान) अकाल को लेकर आयोजित किया गया है। इसमें सम्पूर्ण राजस्थान का प्रतिनिधित्व है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अखाड़ा न हो हमारा इसलिए चौपड़ पर धरना दिया गया है, क्योंकि बिजली की मांग को लेकर.... (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह शेखावत : भ्रष्टाचार बढ़ रहा है.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अकाल को लेकर और जो बाढ़ आयी है 4–5 जिलों में, उसको लेकर हुआ है। अध्यक्ष महोदय,

---

+ + + शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

यह गहन चिन्ता का विषय है इसलिए सबसे पहले मांग पर विचार होना चाहिये। (व्यवधान) खास तौर से बिजली की मांग को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में बिजली की पूरी सप्लाई नहीं हो पाएगी.... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : भावनाओं की इज्जत करनी पड़ती है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बाढ़ ने जो तबाही मचायी है इस तबाही को दूर करने के लिए सबसे पहले सोचा जाय और इस पर चर्चा की जाय। दूसरा और सारा काम स्थगित रखा जाय। अध्यक्ष महोदय, जन भावनाओं के प्रतिकूल है कि सदन की कार्यवाही (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : पहले हमारी बात सुननी पड़ेगी। राजस्थान के चुने हुए प्रतिनिधि... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कांग्रेस के लोग बिजली की समस्या को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा माणक चौक चौपड़ पर धरना दिया गया है। इसमें राजस्थान के कोने-कोने से लोग आये हैं। (व्यवधान) बिजली की समस्या जरूरी समस्या है, इस पर पहले विचार किया जाय।

श्री शीशराम ओला : सारी कार्यवाही बन्द करके बिजली पर चर्चा की जाय।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : क्या बात है, आप बिराजें।....(व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : टाडा के केसेज की सी. बी. आई. से जांच की मांग है। (व्यवधान) बीकानेर के फर्जी मामलों की, टाडा के मामलों की सी बी.आई. से जांच की मांग है। (व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : बिजली पर चर्चा, बिजली पर चर्चा।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूं उसके बाद में आप कहना। मैं सुनूंगा (व्यवधान) यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है?

श्री भीमसेन चौधरी : टाडा के मामलों में पुलिस अधिकारियों ने किसे मुखबिर बनाया उनको बर्खास्त किया जाय।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : मार्शल, मार्शल। आप बिराजें अपने स्थानों पर। यह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भीमसेन चौधरी : किन अधिकारियों ने (व्यवधान) बनाये उनको पद से हटा कर बर्खास्त किया जाय (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : यहां ऊपर बैंच पर नहीं आयें। में आपकी पूरी बात सुन रहा हूं। अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। उसके बाद मैं हमेशा आपकी बात सुनता हूं। आप बिना काम के हल्ला कर रहे हैं।

श्री भीमसेन चौधरी : टाडा के फर्जी मामलों की सी. बी. आई. से जांच हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। बिराजें। (व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी : टाडा के फर्जी मामलों की सी. बी. आई. से जांच हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं. आपकी बात। मैं आपकी बात सुन रहा हूं। (व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी : टाडा के फर्जी मामलों की सी. बी. आई. से जांच हो (व्यवधान) बीकानेर के टाडा के मामलों में सी. बी. आई. से जांच करायी जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें (व्यवधान) बात सुन रहा हूं न। आपकी बात तो सुननी पड़ेगी, क्या कह रहे हैं आप ?

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्रीमती इन्दिरा मायाराम एवं द अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य की ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां व जिला परिषदों के पास विकास कार्य हेतु वित्तीय व्यवस्था नहीं होने तथा प्रधान एवं सरपंचों को आज तक किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में धरना एवं नारेबाजी)

(2) श्री शैलेन्द्र जोशी एवं 26 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में बिजली का भयंकर संकट होने तथा बिजली की किसी भी स्रोत से पैदावार नहीं बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से किसानों को बिजली की अपर्याप्त सप्लाई, समय पर कनेक्शन नहीं दिये जाने एवं उत्पादन में प्रगति नहीं करने से राज्य भर के किसानों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।

(4) श्री शांतिकुमार धारीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में विद्युत उत्पादन की कमी और दोष-

(श्री अध्यक्ष)

पूर्ण वितरण से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में धरना एवं नारेबाजी।)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को आज विद्युत समस्या पर विचार के समय बोलने की अनुमति होगी।

आपकी बात सुनाई नहीं पड़ रही है अभी। कोई अंकित नहीं हो अभी। अंकित नहीं करें अभी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती कमला : ×××

श्री खेतसिंह राठौड़ : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : ×××

श्री अमराराम (पचपदरा): ×××

श्री मोहनलाल मोदी : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, जनमत की समस्याओं के बारे में अगर विचार नहीं होगा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिजली की बात ही ले रहे हैं।

श्री भीमसेन चौधरी : टाडा के मामलों की जांच हो।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, बालोतरा में दो घण्टे ही बिजली मिल रही है, काश्तकारों के खेत वैसे ही पड़े हुए हैं, फसल बोयी हुई है। दो घंटे ही बिजली मिल रही है। 37 मेगावट की जगह 8 मेगावाट बिजली मिल रही है। काश्तकारों की हालत बहुत खराब है और यह महीने भर से इस प्रकार बिजली की धांधली हो रही है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री भीमसेन चौधरी : टाडा के मामले में पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया जाय। टाडा के फर्जी मामले जिन अधिकारियों ने बनाये हैं उनको हटाया जाय। उनको बर्खास्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आज ही बिजली पर चर्चा हो रही है।

श्री मोहनलाल मोदी : आज नहीं अभी। अभी होनी चाहिये। पहले बिजली पर चर्चा होनी चाहिये। पहले बिजली पर चर्चा होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : व्यायाम आप सबके लिये जरूरी है। बहुत जरूरी है व्यायाम।

××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, पहले बिजली पर चर्चा कराइये। आप भी किसानों के हितैषी हैं। इस सरकार पर धब्बा मत लगाइये कि यह सरकार किसान विरोधी है। ऐसा मत होने दीजिये और बिजली पर चर्चा करवाइये।

श्री अध्यक्ष : मैं बिजली पर बहस कराने को तैयार हूं।

अनेक माननीय सदस्य : पहले, पहले।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, राजस्व मंत्री उपनिवेशन एवं राजस्व विभाग की 11 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उपनिवेशन एवं राजस्व विभाग की निम्नांकित 11 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना सं. प. 3 (54) राज/उप/87 दिनांक 4 जनवरी, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 के अन्तर्गत आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर को भूमि आवंटित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं;

(2) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(1)कोल/95 दिनांक 14 मार्च, 1995 एवं अधिसूचना क्रमांक पं. 4(1)उप/95 दिनांक 18 सितम्बर, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम, 1966 में संशोधन किये गये हैं;

(3) अधिसूचना क्रमांक पं. 4(2) रेव/कोल 87 दिनांक 12 जुलाई, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की चक आबादी में आवास के लिये भूमि का अनुदान) नियम, 1971 में संशोधन किये गये हैं;

(4) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(2) कोल/92 दिनांक 22 जुलाई, 1995 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(15) कोल/92 दिनांक 1 सितम्बर, 1995, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन और विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं:

(5) अधिसूचना क्रमांक एफ. 10(1) रेव/ग्रुप-1/1/94/8 दिनांक 4 अप्रेल, 1995, अधिसूचना क्रमांक पं. 10(1) राज/6/94/10 दिनांक 6 मई, 1995, अधिसूचना क्रमांक पं. 10 (1) राज/6/94/13 दिनांक 26 मई, 1995 एवं अधिसूचना क्रमांक पं. 10(1) रेव 6/95/20 दिनांक 19 अगस्त, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किये गये हैं;

68

(श्री अध्यक्ष)

(6) अधिसूचना क्रमांक पं॰ 6(2) राज/6/91/16 दिनांक 6 जुलाई, 1995, जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं,

(7) अधिसूचना क्रमांक पं. 6(13) रेव/ग्रुप 6/91/17 दिनांक 6 जुलाई, 1995 जिसके द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों, औषधालयों, धर्मशालाओं और अन्य लोकोपयोगी भवनों के सनिर्माण के लिये अनधिमुक्त सरकारी कृषि भूमियों के आवंटन के लिए शर्तें अधिकाथित की गयी हैं:

(8) अधिसूचना क्रमांक पं. 2(7) राज/4/88/राज–6/15 दिनांक 14 जून, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) नियम, 1983 में संशोधन किये गये हैं;

(9) अधिसूचना क्रमांक पं. 6(20) रेव/ग्रुप–6/91/19, दिनांक 15 जुलाई, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (गौशालाओं को भूमि का आवंटन) नियम, 1957 में संशोधन किये गये हैं;

(10) अधिसूचना क्रमांक पं. 5(3) रेव/6/86/21 दिनांक 24 अगस्त, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान अभिधृति (सरकार) नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं; एवं

(11) अधिसूचना क्रमांक पं. 6(19) रेव/6/92/24 दिनांक 6 सितम्बर, 1995, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 में संशोधन किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी, सिंचाई मंत्री, सिंचाई विभाग की 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।
(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना क्रमांक पं. 7 (1) इरि/एम. के./92 दिनांक 8 जून, 1995, जिसके द्वारा राजस्थान सिंचाई और जल निकास अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (1) के अन्तर्गत घग्घर नदी के जल से सम्बन्धित सिंचाई और जल निकास संकर्मों पर कतिपय अधिकारियों को नियुक्त किया गया है; एवं

(2) अधिसूचना क्रमांक पं. 7 (1) इरि/एम. के./92 दिनांक 8 जून, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान सिंचाई और जल निकास अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या-21) की धारा 42 के अन्तर्गत घग्घर नदी के पाट में आने वाली बाधाओं को हटाये जाने का आदेश दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह गुर्जर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य

(श्री अध्यक्ष)

मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की 4 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री नाथूसिंह गूर्जर (पंचायती राज राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की निम्नांकित चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ. 139 (36) ग्राविप/विधि/विविध/95/1510 दिनांक 27 मई, 1995 जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के वय्यन की शक्तियां चुनी हुई पंचायती राज संस्थाओं को दिये जाने का प्रावधान किया गया है;

(2)अधिसूचना क्रमांक एफ. 139 (14) ग्राविप/विधि/95/3201 दिनांक 21 सितम्बर, 1995 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ से आबादी भूमि के बेचान की शक्ति लेकर जिला कलक्टर को प्रदान की गयी है;

(3) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4( ) ग्राविप/विधि/95/3295, दिनांक 4 अक्टूबर, 1995 जिसके द्वारा पंचायत समिति स्तर पर 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति एवं दिशा-निर्देश हेतु गठित पंचायत समिति स्तरीय समिति के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है; एवं

(4) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(19) आर. एच. सी/92/संशोधन/602 दिनांक 18 अप्रेल, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 में संशोधन किये गये हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, बालोतरा के अन्दर दो घंटे ही बिजली मिल रही है और आज महीने भर से यह हो रहा है। सारे काश्तकार धरना लगा कर बालोतरा ए. सी. एम. कोर्ट के आगे बैठे हैं।

श्री त्रिवनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप बिजली पर चर्चा कराने को तैयार हैं, सदन के नेता महोदय तैयार हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके चैम्बर में सदन के नेता महोदय और विपक्ष के नेता महोदय को बुलाकर बात कर लें, सिर्फ समय का झगड़ा है और कोई झगड़ा नहीं है। समय तय कर दीजिये।

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन, 1993-94

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह जी कौशल, ऊर्जा मंत्री विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 के अन्तर्गत

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन 1993-94 सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन, 1993-94

श्री अध्यक्ष : श्री रोहिताश्व कुमार, यातायात राज्य मंत्री परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 1993-94 के अंकेक्षण प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रोहिताश्व कुमार : (राज्य मंत्री, यातायात) : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 1993-94 के अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

अनुसूचित जाति/जनजाति के आयुक्त की अठाइसवीं एवं उनतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 1986-87 व 1987-88

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की अठाइसवीं व उनतीसवीं रिपोर्टस वर्ष 1986-87 व 1987-88 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानसिंह चौधरी (अनुपस्थित)। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन जनलेखा समिति; 1995-96 के 51 से 65 वां प्रतिवेदन

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, जनलेखा समिति, 1995-96 के निम्न प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

(1) विनियोग लेखें 1984-85, वित्त लेखें 1984-85 तथा वर्ष 1984-85 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) के अनुच्छेद संख्या 2.4 समाज कल्याण विभाग तथा पैरा संख्या 3.6 श्रम एवं नियोजन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 51 वां प्रतिवेदन।

(2) जनलेखा समिति, 1987-88 के बीसवें प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालन हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 52 वां प्रतिवेदन।

(3) जनलेखा समिति, 1986-87 के बारहवें प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 53 वां प्रतिवेदन।

(4) जनलेखा समिति, 1986-87 के पन्द्रहवें प्रतिवेदन (आठवीं विधान

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 54 वां प्रतिवेदन ।

(5) जनलेखा समिति, 1986–87 के 19 वें प्रदिवेदन (आठवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 55 वां प्रतिवेदन ।

(6) जललेखा समिति, 1988–89 के उनतीसवें प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा)

(बहुत सारे माननीय सदस्य सदन की वेल में खड़े होकर लगातार बोलते रहे)

में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 56 वां प्रतिवेदन ।

(7) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1984–85 (सिविल) में समाविष्ट वित्त विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेद संख्या 3.8 व 3.9 वित्त, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेद संख्या 3 10, सहायता विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेद संख्या 2.5 तथा गृह विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेद संख्या 5.1 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 57 वां प्रतिदेदन ।

(8) जनलेखा समिति, 1988–89 के चौंतीसवें प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 58 वां प्रतिवेदन ।

(9) जनलेखा समिति, 1990–91 के छब्बीवें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित क्रियान्विति विषयक समिति का 59 वां प्रतिवेदन ।

(10) जनलेखा समिति, 1990–91 के नवें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्वित क्रियान्विति विषयक समिति का 60 वां प्रतिवेदन ।

(11) वर्ष 1984–85 से 1987–88 तक के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 61 वां प्रतिवेदन ।

(12) वर्ष 1988–89 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्टा वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मामलों पर समिति का 62 वां प्रतिवेदन।

(13) जनलेखा समिति, 1991–92 के 41 वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में राज्य लाटरी विभाग से सम्बन्धित समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 63 वां प्रतिवेदन।

(14) जनलेखा समिति, 1991–92 के इकसठवें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 64 वां प्रतिवेदन एवं

(15) जनलेखा समिति, 1992–93 के इक्यासीवें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर

(बहुत सारे माननीय सदस्य सदन की वैल में खड़े होकर लगातार बोलते रहे।) क्रियान्विति विषयक समिति का 65 वां प्रतिवेदन।

कार्य सलाहकार समिति का तेरहवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

प्रतिवेदन निम्न प्रकार है: –

शुक्रवार, दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 :	बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर विचार।
शनिवार, दिनांक 28 अक्टूबर, 1995 रविवार, दिनांक 29 अक्टूबर, 1995	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 30 अक्टूबर, 1995 :	(1) राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं पारण। (2) विद्युत समस्या पर विचार।

मंगलवार, दिनांक 31 अक्टूबर, 1995 :	(1) राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं पारण।
	(2) अकाल की स्थिति पर विचार।
बुधवार, दिनांक 1 नवम्बर, 1995 :	(1) अनुपूरक अनुदान की मांग वर्ष 1995–96 एवं इससे सम्बन्धित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण।
	(2) राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं पारण।
गुरुवार, दिनांक 2 नवम्बर, 1995 :	(1) भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं पारण।
	(2) कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर विचार।

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री रमाकान्त शर्मा।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, विशेषाधिकार समिति, 1995-96 प्रस्ताव करता हूं कि श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध श्री शिवकिशोर सनाढ्य एवं अन्य 15 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध श्री शिवकिशोर सनाढ्य एवं अन्य 15 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार

74

(श्री अध्यक्ष)

हनन के प्रस्ताव पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थान। श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं, निम्नांकित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

पावली माइनर पर डोल बनाने बाबत

(1) पावली माइनर (केजड़ी नहर से निकलने वाली) पर डोल बांधने बाबत।

तख्तपुरा (लूणकरणसर) में नैसर्गिक मार्ग खाराबारा से तख्तपुरा तक सड़क

(2) पंचायत मुख्यालय तख्तपुरा, पंचायत समिति लूणकरणसर में नैसर्गिक मार्ग खारबारा से तख्तपुरा तक सड़क बनाने बाबत।

छतरगढ़ इन्दिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की आर.डी. 535 पर उपलब्ध होने वाली विद्युत आपूर्ति

(3) छतरगढ़ इन्दिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की आर. डी. 535 पर उपलब्ध होने वाली विद्युत आपूर्ति में त्वरित सुधार बाबत, एवं

खाजूवाल क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था में सुधार

(4) खाजूवाला (विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर) क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था में सुधार करने बाबत।

अनुपूरक अनुदान की मांगें
अनुपूरक अनुदान की मांगों (प्रथम संकलन) (वर्ष 1995-96) का उपस्थापन

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री वर्ष 1995-96 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) का उपस्थापन करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, वर्ष 1995-96 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांग (प्रथम संकलन) उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य

पुर : स्थापित किये जाने वाले विधेयक
राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री अध्यक्ष : श्री सुजानसिंह यादव, प्रभारी मंत्री, राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1995 जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा सदस्य, विधान सभा परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

(माननीय सदस्य श्री रामनारायण मीणा ने परिनियत संकल्प प्रस्तुत नहीं किया)

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 1995

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन), विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

राज्य में विद्युत की समस्या पर विचार

श्री अध्यक्ष : आप ही की बात आ रही है। आप बोल रहे हैं, विद्युत पर ही चर्चा हो रही है।....(व्यवधान)....

श्री शीशराम ओला : किसानों को 12 घन्टे बिजली दीजिये ताकि खेती कर सके। जरूरी है, दूसरे सारे कार्य स्थगित कर दें, बिजली को लें। किसानों को 12 घन्टे बिजली दें ताकि अपनी खेती कर सकें।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उन महिलाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं जो हजारों की संख्या में है। इस सरकार के दो साल के शासन में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं पर किये जा रहे अत्याचारों के खिलाफ जो महिलाएं विधान सभा भवन के सामने प्रदर्शन करने के लिए आयी हैं. (व्यवधान) .. आज इस सरकार में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, +++महिलाओं को डायन बताकर मारा जा रहा है। आपकी पुलिस और सरकार बिलकुल ++ है और महिलाओं पर अत्याचार करने वाली +++ सरकार है जहां महिलाओं को रिजर्वेशन की बात करते हैं। हजारों महिलाएं आज धरना देने के लिये आयी हैं....(व्यवधान) महिलाओं पर आज जितना अत्याचार बढ़ा है उतना कभी भी आज तक राजस्थान के इतिहास में महिलाओं पर अत्याचार नहीं हुआ। महिलाएं जिन्दा जलाई जा रही हैं। (व्यवधान) ...उन्हें पुलिस थानों में पीटा जा रहा है लेकिन राजस्थान सरकार बैठी है। बलात्कार हो रहे हैं।

श्री भीमसेन चौधरी : जिन अधिकारियों ने फर्जी टाडा मामले बनाये हैं उन अधिकारियों की जांच हो। उनको अपने पदों से हटाया जाये, बरखास्त किया जाय ....(व्यवधान)....जिन अधिकारियों ने असत्य मामले बनाये हैं उनकी जांच हो। जिन अधिकारियों ने फर्जी मामले बनाये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, उनको बरखास्त किया जाये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री रामप्रताप कासनियां : खूब प्रेस में छपेगा....(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष जी, आप अपने चैम्बर में बुला कर बात कर लें ताकि हाउस की व्यवस्था बैठ जाय। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को बुला कर आप चैम्बर में बात कर लें। ... (व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : +++

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष जी, यह बिजली का मामला बहुत चिन्ताजनक है इस पर आधा घंटे की चर्चा करायें। (व्यवधान)....

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिजली पर चर्चा कराना चाहते हैं, बिजली पर चर्चा शुरू करा दी जाय ।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता कोई बात कह रहे हैं बिजली के बारे में, आप सुनें तो सही ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): पूरे दिन की चर्चा कराई जाय, बिजली का मामला बहुत गम्भीर और चिन्ताजनक है । काश्तकारों को सिर्फ दो घंटे बिजली बालोतरा एरिया में मिल रही है । ... (व्यवधान) ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कह तो दिया दो बार ...(व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने राजस्थान के प्रतिनिधि बिजली की समस्या को लेकर, बाढ़ की समस्या को लेकर चर्चा करने के लिए बार-बार निवेदन कर रहे हैं और सरकार से पुरजोर मांग कर रहे हैं । सरकार इस पर चर्चा नहीं करवाना चाहती है । सारे कामों को छोड़कर लोक महत्व के मामले, विद्युत के मुद्दे पर, जिससे 12 घंटे किसानों को बिजली मिल सके... (व्यवधान).... अध्यक्ष महोदय, बिजली पर चर्चा की जाय, बाढ़ पर चर्चा की जाय जिससे कि सदन के समय का सदुपयोग हो सके । राजस्थान की जो समस्या है आगामी फसल के लिये किसानों को 12 घंटे बिजली चाहिये... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : बिजली पर चर्चा हो रही है । आप बैठ जाइये । बिजली पर चर्चा हो रही है, आप बैठ तो जाइये ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : किसान जिनको कि रोजी-रोटी नहीं मिल रही है उनके लिए सरकार ने अभी तक क्या किया ? इसे अविलम्ब लोक महत्व का मानते हुये इस पर चर्चा की जाय । .. (व्यवधान) ...सरकार इस तरह चर्चा को टाल रही है यह जानबूझकर सरकार की + + + है कि यह दो तीन दिन चलने वाला सत्र समाप्त हो जाय । मेरा निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय, अविलम्ब लोक महत्व के मामले को देखते हुए बिजली और बाढ़ पर अविलम्ब चर्चा की जाये, सारे कामों को स्थगित करके इस पर चर्चा की जाय । यह राजस्थान के हित में होगा । यह हम अभिनन्दन करते हैं राजस्थान सदस्य कांग्रेस कमेटी द्वारा आज इस बात को लेकर धरना दिया जा रहा है ....(व्यवधान)....सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था हो कि सरकार अविलम्ब रूप से, तत्काल, इसी क्षण बहस कराने के लिये तैयार हो ...(व्यवधान) ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, आप पक्ष और विपक्ष दोनों को अपने चैम्बर में बुलाकर, थोड़ी देर के लिए यह हाउस एडजोर्न करके, बातचीत करवा दीजिये । बिजली और बाढ़ पर चर्चा करवाइये ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बिजली पर चर्चा शुरू करिये सरकार तैयार है ।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष की तरह व्यवहार करें।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर): अध्यक्ष महोदय, आप पक्ष और विपक्ष से बातचीत करके इस मामले को रुकवायें। बाढ़ और बिजली पर चर्चा करवायें।

श्री अध्यक्ष : बिजली पर चर्चा करिये।

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर आइये और जितना समय आप चाहें बिजली पर चर्चा कीजिये। मुख्य मंत्री महोदय कह रहे हैं, आप काहे को समय बरबाद कर रहे हैं। विधान सभा का एक मिनट लाखों रुपयों का है और आप इसे फालतू व्यर्थ गवां रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यही तो मैं कह रहा हूं कि बिजली पर चर्चा करो। आप सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार केवल घोषणाओं की सरकार है। यह केवल घोषणा ही करती है।

श्री अध्यक्ष : मैं यही कह रहा हूं। कोई सुने तो सही।

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान आज हिन्दुस्तान मे बिजली में आठवें नम्बर पर है लेकिन यहां गांवों में दो घंटे, तीन घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती और करोड़ों रुपये लेने के बाद आज भी कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के पास चर्चा करने का कोई सामान नहीं है। हम कहते हैं कि आप बैठिये, चर्चा करिये।

श्री अध्यक्ष : बिजली पर बोल रहे हैं, बिजली पर बोलिये आप।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, बिजली का जहां तक सवाल है, हमारी राजस्थान सरकार किसानों के विरोध के अलावा कुछ नहीं करना चाहती है। नर्सरी और मुर्गी पालन की जो दरें हैं मैं समझता हूं सवा रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से राजस्थान की सरकार ले रही है वह राजस्थान के अलावा हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में नहीं होगा। यह है हमारे राजस्थान की सरकार, किसानों की हमदर्द सरकार (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : आप भी बोलो। वह बोल रहे हैं बिजली पर सवा रुपया यूनिट बोल रहे हैं। वह बोल रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : आज अगर बिजली बोर्ड में देखा जाय, जहां ट्रांसफार्मर जलने के बाद एक-एक महीने तक दूसरा नहीं दिया जाता है तब राजस्थान के किसान दुःखी होकर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिजली पर बोल रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : 500–500 रुपये पर दिन भर के किराये पर लेकर.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिजली पर दिल खोल के बोलिये, +++से काम नहीं चलने वाला है। मैंने आपकी बात स्वीकार करली है बिजली बोर्ड पर बोलिये, बिजली की समस्या पर बोलिये। +++ से काम नहीं चलने वाला है। आप बोलिये। सब बिराजें। बात आपकी मान ली है। बोलें आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष जी, हाउस की जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक कोई कार्यवाही नहीं चल पायेगी। आसन से निवेदन है कि वह थोडी व्यवस्था को ठीक करें माननीय सदस्यों को जगह पर बैठाये जगह पर पधार कर वहीं से बात करें, बात करने से ही कोई व्यवस्था होगी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आज जहां इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, बढ़ाने की बात की जाती है और एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की जा रही है। जहां इस वित्तीय वर्ष में 25 हजार कनेक्शन देने की बात हुई .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिजली की बात कीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : पिछले साल से जिनके पैसे जमा हैं, आज सात महीने खत्म होने के बाद भी उनको कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। सरकार इस बात के लिए घोषणा करती है, केवल मात्र घोषणाओं की सरकार हो सकती है (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : आप उनकी बात सुन लें। आज राजस्थान की जनता बहुत परेशान है। बाढ़ से परेशान है, अकाल से परेशान है।

श्री अमराराम (धोद) : सरकार ने 25 हजार कनेक्शन देने की घोषणा की थी, इस बार बजट सत्र में घोषणा की थी, लेकिन मेरा दावा है कि आज तक एक भी कनेक्शन का आदेश बिजली बोर्ड ने नहीं निकाला है।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने-अपने स्थान पर बिराजें। अकाल की, बिजली की जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करना शुरू करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम (धोद) बोल रहे हैं बिजली पर। श्री अमराराम जी बिजली पर बोल रहे हैं। आप बोलें।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर बिराजें। जो भी बात कहना चाहते हैं वह अपनी बात कहें।

श्री अमराराम (धोद) : सरकार ने एक तरफ पैसे जमा कर लिए और दूसरी तरफ आज आदेश निकाल रही है कि उनको नर्सरी में दिया जाएगा जिसने सवा रुपया (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(80)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इतने + + + की बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए + + + के अलावा और कोई हो नहीं सकती। पैसे जमा कराने के बाद, अकाउण्ट में पैसे जमा करने के बाद आज कह रही है कि कनेक्शन नहीं देंगे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी बात मान ली है, बिजली पर बोल रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। जिन किसानों से करोड़ों रुपये राजस्थान की सरकार ने जमा किये हैं, आज छह महीने हो गये, पिछले साल जिन्होंने प्रायोरिटी में पैसे जमा कराये और जब भी किसान बिजली बोर्ड के आफिस में जाते हैं तो उत्तर यह मिलता है कि सामान नहीं है। हो सकता है बिजली उत्पादन करने में तीन साल लगे लेकिन सामान मैं समझता हूं आज भी इतनी प्रचुर मात्रा में है। अध्यक्ष महोदय, दुःख तो इस बात का है कि सामान के जितने पैसे लगेंगे उससे ज्यादा पैसे राजस्थान के बिजली बोर्ड ने किसानों से लिये हैं और उसके बाद भी सामान नहीं है। इसका मतलब बोर्ड और सरकार का उन किसानों को बरबाद करने के अलावा कोई इरादा नहीं है। आज जहां नर्सरी में 9 हजार रुपये पोल के हिसाब से लाख तक रुपये दिये हैं, पांच लाख किसान पिछले दस साल से लाइन में लगे हुए हैं उनके लिए हमारी सरकार के पास बिजली नहीं है। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। राजस्थान की सरकार किसानों की बहबूदी की बात करती है, वे पिछले दस साल से लाइन में लगे हुए हैं और राजस्थान के मुख्य मंत्री जी उद्योगपतियों को यहां न्यौता देते हैं, विदेश में देते हैं। उद्योग लगाने चाहिये हम इस बात के खिलाफ नहीं हैं लेकिन सबसे पहले मैं समझता हूं राजस्थान के पांच लाख किसान जो यहां अन्न पैदा करना चाहते हैं, राजस्थान का विकास करना चाहते हैं उनके लिए बिजली की व्यवस्था की जानी चाहिये। उनके लिए केवल मात्र अखबारी बयान देने और घोषणाएं करने के अलावा राजस्थान सरकार के पास कोई भी प्रोग्राम नहीं है .. (व्यवधान)....

जहां तक बिजली की सप्लाई का सवाल है, जहां गांवों में रहने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा के वक्त बिजली नहीं मिलती है। जयपुर में अगर पौने दो घंटे बिजली बंद रह जाय और गांवों में सात दिन तक भी नहीं पहुंचे तो क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार की और बिजली बोर्ड की नहीं है? अगर किसान एक दिन भी बिजली का बिल जमा नहीं कराये तो उसके पैनेल्टी लगती है। अगर 15 दिन भी बिजली नहीं मिले, ट्रांसफार्मर एक महीने तक नहीं बदला जाय तो पैसे कम करने की बात कहते हैं, बिल कम करने की बात कहते हैं तो कहते हैं कि नियम नहीं है। इससे बड़ी

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अमराराम)

+++बात मैं समझता हूं राजस्थान सरकार के लिए हो नहीं सकती। जहां हमारे मुख्य मंत्री जी 1986 में बिजली की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ आन्दोलन कर रहे थे आज वही मुख्य मंत्री कुर्सी पर बैठने के बाद....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिजली पर चर्चा चल रही है श्री अमरारामजी भाषण दे रहे हैं और आप बिजली की मांग किये जा रहे हैं। आप बिराजेंगे तो बहुत अच्छा होगा। श्री अमराराम जी, बोलिये।

श्री अमराराम (धोद) : बैठाओ तो सही।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, जब बिजली पर चर्चा चल रही है और इनके सभी माननीय नेतागण ने यह कहा कि आप बैठकर शांति से चर्चा सुनिये, फिर भी ये एकमत नहीं हैं।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बिजली पर चर्चा चल रही है। आज पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात के लिए चिन्तित हैं कि राजस्थान में बिजली का भारी संकट है। हमारे काश्तकारों की हालत बहुत खराब हो रही है और पिछले एक महीने से जहां बिजली का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये। बिजली का कट्रोल यहां जयपुर से होता है

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

वह जब मर्जी आये वहां एरिये में लोड बढ़ाते हैं, जब लोग एजीटेशन करते हैं तो एक दिन के लिए लोड बढ़ा देते हैं। दूसरे दिन वापस लोड घटा देते हैं यही हालत है जो आखिरी हमारे जिलों की है। वहां पर आज 2 घण्टा और 3 घण्टा ही बिजली मिल रही है। खैर, हमने जब इसके लिए एक्स. ईएन. और चीफ इंजीनियर को कहा तो उन्होंने एक घण्टा का सुधार किया लेकिन बिजली की हालत बहुत खराब है और जो भी बिजली हमारे जेनरेशन से हो रही है, अध्यक्षजी, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये। काश्तकारों को कम से कम 12 घण्टे बिजली दी जाय। यदि 12 घण्टे बिजली नहीं देंगे तो इस साल हमारे जिन जिलों के अन्दर अकाल है उन जिलों के अन्दर अभी रबी की फसल बुआई नहीं हो सकेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि काश्तकारों को 12 घण्टे बिजली दी जाय। अगर कटौती रखते हैं तो सबके साथ रखी जाय और एक स्थान पर कटौती न करके बराबर बिजली दी जाय। बराबर बिजली नहीं देने से काश्तकारों के अन्दर भारी असंतोष है। आज बेरोजगार लोगों, युवाओं की बात आ रही है, काश्तकार लोग हैं उनके परिवार के परिवार बेरोजगार हो रहे हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि काश्तकारों को 12 घण्टे बिजली दी जाय, धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह जी, श्री रतनलालजी ताम्बी,...ताम्बी साहब।.... (व्यवधान)....आर्डर-आर्डर.... (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

.... आज हम बिजली पर चर्चा करने वाले थे....(व्यवधान)....।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के समूचे किसानों के जीवन से जुड़ी हुई बिजली की समस्या पर बहुत गम्भीर चर्चा की जाने की आवश्यकता है। अभी रबी की फसल की बोआई का समय समीप है। उसके बावजूद एक तो खरीफ में बाढ़ से, अकाल से राजस्थान का किसान प्रभावित है। ऐसी स्थिति में....

एक माननीय सदस्य : सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को दुगुनी बिजली दो।

श्री अध्यक्ष : बहुत हो गया, आप विराज जायं।

श्री रतनलाल ताम्बी : राजस्थान का किसान अकाल के कारण से पूरी तरह झकझोरा हुआ है....(व्यवधान)....और किसान को रबी में यदि बिजली पर्याप्त तौर से नहीं मिली, 10–12 घण्टे बिजली नहीं मिली....(व्यवधान)....तो राजस्थान की रबी की फसल प्रभावित होगी। राजस्थान में बिजली की दरें ऊंची की जा रही हैं....(व्यवधान)....उसके बावजूद बिजली बोर्ड का घाटा कम नहीं होता है और हर बार नयी–नयी रेटें इस प्रकार बढ़ा दी जाती हैं... (व्यवधान) ...उसे राजस्थान का....(व्यवधान) ...वह उससे लाभ ले सकते हैं, उसको कनेक्शन लेने में सुविधा हो सकती है। पर राजस्थान के अधिकांश भागों के किसान इन दरों को आज सहन नहीं कर सकते। इसके साथ-साथ बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें जहां कम्पलीट नहीं हैं, प्रोडक्शन पूरा नहीं है, यह समस्या एक गम्भीर समस्या है.... (व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दो....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री रतनलाल ताम्बी : अभी हाल में राजस्थान के हर उपभोक्ता से तीन महीने बराबर सिक्योरिटी लेने का एक नया नोटिस देकर प्रत्येक उपभोक्ता को प्रभावित कर दिया है....(व्यवधान)....इस तरह की स्थिति में आज राजस्थान के जन–जीवन में गम्भीर असंतोष है। क्या राजस्थान सरकार की बिजली के उत्पादन के बारे में कोई समुचित व्यवस्था है ? इसके साथ-साथ मैं समझता हूं कि इस ओर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है। एक ओर इस तरह की हालत पैदा हो रही है, दूसरी ओर रबी की बुआई का समय नजदीक है इससे राज्य सरकार को इस समय.... (व्यवधान)....इसका कोई समाधान करना चाहिये और किसानों को .. (व्यवधान).... यह एक गम्भीर मामला है, यह राजस्थान की जनता के साथ... (व्यवधान) .. हर उपभोक्ता से, नये-नये प्रावधान कर नोटिस जारी किये गये हैं .. अभी-अभी सिक्योरिटी जमा करायी जाय, यह संभव नहीं है और जब जमा कराने जाते हैं तब हर उपभोक्ता से 15 रुपये अलग से वसूल किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले में भी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सरकार गम्भीरता से विचार करें। यदि समय रहते बिजली की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। (व्यवधान) ....किसान बहुत परेशान हैं। हमारे राज्य के किसानों की जो खेती होती थी.... (व्यवधान)....अतिवृष्टि से वह पूरी तरह प्रभावित हो गयी है और उन किसानों की आज व्यवस्था नहीं बैठने से अफसर उनके साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जेल में बन्द कर दिया बिना किसी कानून कायदे के, धांधली हो रही है.... (व्यवधान).. ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को इस मामले को गम्भीरता से चिंतन करने के लिए चाहे एक दिन की डिबेट रखनी पड़े....(व्यवधान)....संतोष नहीं है। मैं समझता हूं कि जितनी आप गोष्ठियाँ कर रहे हैं प्रोडक्शन की आपने काश्तकारों की....(व्यवधान)....झालावाड़ के किसानों

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

आपने मई महीने में कहा है, यह आपका अक्टूबर महीना पूरा हो गया। आज उनके साथ ज्यादती हुई तो आपकी घोषणा का मखौल उड़ रहा है....(व्यवधान)....इस बात को भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है....(व्यवधान)....आपने वायदा किया था, अब वायदा पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं समझता हूं, मैं याद दिला रहा हूं, आप गम्भीरता से चिंतन करेंगे और राजस्थान का किसान जो आज बहुत ज्यादा परेशान है, अगली रबी उसके लिए चुनौती बनी हुई है, उस मौके पर आप समुचित व्यवस्था करेंगे। यह मेरा आपसे अनुरोध है, इसको राजनैतिक आधार पर मत सोचिये। यह समूचे राजस्थान की समस्या है, और आप जब विपक्ष में थे, तब भी इस बारे में कई प्रकार की बातें उठाया करते थे। सीकर का आन्दोलन इस बात का उदाहरण है और आज आप सत्ता में हैं, उसके बाद यह जो बात आपने कही है....(व्यवधान).... और राजस्थान की जनता की समस्या के लिए आप समुचित कदम उठायेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मेरा अनुरोध है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह जी, श्री चुन्नीलालजी धाकड़।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज किसानों के लिए बिजली खेती का प्राण, बिन पानी के बिजली बन नहीं सकती। ऐसी स्थिति में इस बिजली के विषय पर आपने जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। मेरे क्षेत्र में मूलतः सभी काश्तकार बसते हैं। उन काश्तकारों को, जो राणा प्रताप सागर बांध की डूब में आए थे और जिन्हें उसके किनारे बसाया गया था, वहां वर्षों से जो लिफ्ट चालू थी....

श्री अध्यक्ष : आपने बिजली की चर्चा के लिए कहा... आपने बंद कर दी,.... आपकी मर्जी है तो मैं क्या करूं?.... (व्यवधान)....

श्री चुन्नीलाल गरासिया : वहां तीन लिफ्टें अभी भी पतलोई ठीगा, कुआं खेड़ा और जवाहर नगर में वहां के आर.पी.एस. के एक्स. ई.एन. ने यह कह करके कि बिजली का अभाव है। मेरा माननीय मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी से विशेष तौर से अनुरोध है कि जो कनेक्शन....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : 10 मिनट के लिए हाउस एडजोर्न करके बातचीत की जाय, थोड़े समय के लिए हाउस एडजोर्न कर दिया जाय... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब कह रहे हैं आप.... (व्यवधान) ...

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : 1977 से वे लिफ्टें चालू थीं। वे लोग अनुसूचित जनजाति के हैं जिनको यह वर्षों से सुविधा थी, डूब के हैं, अभी पूरे बस भी नहीं पाये हैं, उनके कनेक्शन अभी जो आर. पी. एस. के एक्स. ईएन. ने कटवा दिये हैं, मेरी प्रार्थना है कि उन्हें शीघ्र चालू कराया जाय ताकि कम से कम उनकी रबी की फसल की बुआई तो हो सके .. (व्यवधान)....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : जैसे ही आपने कहा बिजली की चर्चा करायी जाय, वैसे ही मैंने इसकी अनुमति दे दी....(व्यवधान)....

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : बजट का अभाव बताकर उनको बंद कर दिया गया है उनके लिए अगर बजट नहीं है तो माननीय सिंचाई मंत्री भी बजट की सुविधा उपलब्ध करायें। राणा प्रताप सागर के एक्स. ईएन. इरिगेशन के हैं उनके द्वारा वे लिफ्टें चालू थीं। पिछली बार मंत्रीजी जब हमारे क्षेत्र में पधारे थे तब भी इस बारे में हमने उनसे निवेदन किया था। स्थिति वहाँ की यह है कि केवल तीनों लिफ्टों के गांवों के लोग रावतभाटा, भैंसरोडगढ़ प्रधान राधेश्यामजी गुप्ताजी के घर पर धरना लगाये हुए बैठे हैं कि जब तक इनके कनेक्शन चालू नहीं किये जायेंगे तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि उनके कनेक्शन शीघ्रातिशीघ्र चालू किये जाय।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि भैंसरोडगढ़ तहसील में गत वर्ष, तारीख 14–7–94 को माननीय उर्जा मंत्री जी जब पधारे थे उसको सम्पूर्ण विद्युतीकृत घोषित किया था लेकिन अधिकारियों के आर्डर्स अभी तक वहां नहीं पहुंच पाये हैं। अभी भी वहां के गांव बड़खेड़ा आदि की फाइलें यों ही पड़ी हुई हैं और जमा नहीं कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई आदेश नहीं आये हैं। इसी तरह माननीय मंत्री जी ने बेगूं के आंवरेड़ा के 33 के. वी. के जी. एस. एस. का उद्घाटन करते समय भी बेगूं के 8 गांवों की घोषणा की थी उसके भी आदेश अभी तक वहां नहीं पहुंच पाये हैं। इसी तरह हमारे क्षेत्र की नौ साल से किसानों के कनेक्शन की जो फाइलें पेन्डिंग हैं। मेरा आप से अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में छोटे-छोटे काश्तकार हैं उनको बिजली दी जाये। ... (व्यवधान) .. प्राथमिकता दी जाये.... (व्यवधान)....एक और दिक्कत हमारे बेगूं

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

क्षेत्र में यह है कि बेगूं क्षेत्र की सप्लाई कुशलगढ़ से आती है और कुशलगढ़ से कनेक्शन 132 के. वी. से हैं...(व्यवधान) ....मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि 132 के. वी. का जी. एस.एस. बेगूं में स्थापित किया जाय ताकि काश्तकारों को सुचारू रूप से बिजली मिल सके। माननीय उर्जा मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं बहुत-बहुत आभार मानता हूं कि आपने (व्यवधान)....4 करोड़ की लागत का है। इसी तरह से बेगूं के अन्दर....(व्यवधान)...इस बात के लिए मैं ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं और निवेदन करूंगा कि जो काश्तकारों की कमियां हैं उसे पूर्ण किया जाये.... (व्यवधान)....धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामरिछपाल नुवाल।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिजली के ऊपर चर्चा हो रही है...(व्यवधान) किसानों को परेशानी आ रही है। जो बिजली हमारे पास उपलब्ध है .. (व्यवधान) विद्युत विभाग में डिमाण्ड पड़ी है (व्यवधान).... फील्ड वर्कर्स बढ़ाये जायं, लाइनों को सही किया जाय और जो परेशानी है उसको दूर किया जाय। (व्यवधान)....मेरे विधान सभा क्षेत्र में सही वोल्टेज नहीं मिल पाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि क्षेत्र में पूरे वोल्टेज दिलाये जायं (व्यवधान) हमारे जिले में अधिकारियों ने विद्युत विभाग को बिगाड़ा हुआ है और शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होती। वहां पर उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति पूरी की जाय। (व्यवधान) ... मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ए.ईएन को तुरन्त हटाया जायं ताकि विद्युत व्यवस्था वहां ठीक ढंग से चल सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्युत बोर्ड के चेयरमैन श्री पी. एन. भण्डारी.... (व्यवधान) अभी उन्होंने एक नियम बनाया। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन किसानों के कुओं के ऊपर 5 या 10 हार्सपावर कनेक्शन हैं उनको थ्रेशर के लिए अलग से कनेक्शन लेने के लिये बाध्य नहीं किया जाय। उनके जो अपने पहले के आवेदन पत्र हैं उनके ऊपर ही बिजली चालू कराई जाय.... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि हमारे जिले में एक या दो फेस हमें उजाले के लिए मिलने चाहिये ताकि हम अपने काम सुचारू रूप से चला सकें। मेरा ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि लोडशैड का समय 6 से 10 किया जाता है उसमें हमें रोशनी के लिए तो कम से कम बिजली दी जानी चाहिये।.... (व्यवधान)

अन्त में ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि फील्ड वर्कर्स बढ़ाये जायं और विद्युत व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाया जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, कृपया ध्यान दीजिये। पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

293 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो इस प्रकार है—

"In the case of a grave disorder arising in the House...."

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली के संकट पर यहां पर चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने प्रदेश में बिजली का जो प्रबन्ध किया है उसके लिए तो धन्यवाद। परन्तु वर्तमान में जो बिजली उपलब्ध है.... (व्यवधान)....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी रूल 293 "In the case of a grave disorder arising in the House, the Speaker may, if he thinks it necessary to do so, adjourn the House or suspend any sitting for a time to be named by him."

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर लगभग एक घण्टे से अव्यवस्था का वातावरण चल रहा है... (व्यवधान).... मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है (व्यवधान)....

श्री महावीर भगोरा : समान आधार पर बिजली मिले। उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली बन्द कर दी जाती है। मेरा माननीय ऊर्जा मन्त्री जी से निवेदन है कि गांवों और शहरों में भेदभाव नहीं करके गांवों को भी उसी तरह से बिजली की पूर्ति की जाती रहे जैसी कि शहरों में होती है। मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरा क्षेत्र कोटड़ा है, वहां प्रशासनिक दृष्टि से कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं रहने से बिजली की काफी तकलीफ है (व्यवधान)....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पाइन्ट आफ आर्डर है मेरा। (व्यवधान).... अध्यक्ष महोदय, मुझे सुना जाये....(व्यवधान)....।

श्री महावीर भगोरा : बिजली की पुख्ता व्यवस्था करायी जाये। कोटड़ा और गोगुन्दा क्षेत्र में दो ग्रिड स्टेशन स्वीकृत किये गये हैं उनके लिए जल्दी व्यवस्था की जाय और उनका काम प्रारम्भ कराया जाय।

इसी तरह से बिजली की चोरी जो इस क्षेत्र में हो रही है, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो (व्यवधान)....

(13.00)

बिजली की जो चोरी हो रही है, इसको रोकने का माकूल प्रबन्ध किया जाय, यह मेरा माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध है। साथ ही हमारे क्षेत्र में बहुत सा भाग वन विभाग का है और इस भाग में बिजली कनेक्शन के लिए लाइन खींची जाती है तो वन विभाग के द्वारा विरोध किया जाता है। इसमें आपसी चर्चा करके कोई रास्ता अख्तियार किया जाय, यह माननीय ऊर्जा मन्त्री जी से निवेदन है। साथ ही यह भी आग्रह है कि वनवासी क्षेत्र में जो बजट का प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा

(श्री महावीर भगोरा)

है, उस राशि के समुचित उपयोग के प्रबंध का कार्य समय रहते ऊर्जा विभाग करे। (व्यवधान)....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह लाजमी हो जाता है कि सदन की कार्यवाही अल्प समय के लिए या अन्य दिन के लिए स्थगित की जाय और पूर्ण शांति स्थापित होने के पश्चात् जो विषय आपने सदन के समक्ष रखा है...(व्यवधान) ...

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मण्डलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में बिजली की समस्या पर चर्चा हो रही है....

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस पर व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिजली पर बोल रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को बिजली की समस्या से कोई लेना-देना नहीं है, जब बिजली की समस्या पर चर्चा हो रही है, तो उस पर तवोज्जह नहीं देना चाहते। हंगामा करके.... (व्यवधान)....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दीजिये। क्या सदन में ऐसा वातावरण है....(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : बिजली की समस्या पर ये चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिजली की कमी क्यों है, आज आजादी को 50 साल हो गये और बिजली की कमी चली आ रही है....(व्यवधान) यदि ये बिजली पैदा करने के कारखाने लगाते, आज बिजली की जितनी आवश्यकता है उतने यह कारखाने लगाते तो आज किसानों को रोना नहीं पड़ता।....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था दीजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था दीजिये। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले पाइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था दीजिये। उसके बाद ही सदन की कोई कार्यवाही चलेगी। माननीय श्री पूनमचन्दजी विश्नोई द्वारा जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया गया है उस पर आप व्यवस्था दीजिये।.... (व्यवधान)....

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब-जब इलेक्शन हुए इसी प्रकार से बिजली के नाम पर, खम्भों के नाम पर ये कांग्रेसी आज तक जीतते आये हैं लेकिन गरीब जनता का कभी भला नहीं किया....

एक माननीय सदस्य : आप तो किसानों के दुश्मन हो....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले पाइन्ट आफ आर्डर पर फैसला,

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

दीजिये और किसी भी माननीय सदस्य को बोलने का मौका मत दीजिये। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनती है कि सबसे पहले पाइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था दें।.... (व्यवधान) ....माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का इस प्रकार से बोलना सदन की मर्यादा को भंग करना है....

एक माननीय सदस्य : इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय पूनमचंदजी विश्नोई काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। उनके द्वारा उठाये गये पाइन्ट आफ आर्डर पर आप व्यवस्था दें। माननीय सदस्य का इस प्रकार से बोलना संविधान और परम्पराओं के विपरीत है।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में जगह-जगह खम्बे डालकर वोट बटोरे हैं.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपसे बार-बार विनती की जा रही है कि सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए, सदन की मर्यादा को कायम रखने के लिए आप पहले पाइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था दीजिये, उसके बाद ही सदन की कोई भी कार्यवाही चलनी चाहिये।....(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : कांग्रेस सरकार ने बिजली की कमी की पूर्ति नहीं की। आज राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिह शेखावत ने थर्मल पावर के लिए स्वीकृति प्रदान की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में जगह-जगह खम्भे डाल कर उनके नाम पर वोट बटोरे हैं और वह खम्भे आज तक नहीं लगे हैं। आज तक वह खम्भे गांवों में पड़े सड़ रहे हैं.... (व्यवधान) ....बिजली की समस्या जो कांग्रेस के शासन में पैदा हुई थी वह आज श्री भैरोंसिहजी शेखावत की सरकार ने दूर कर दी है। राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिहजी शेखावत ने यह आश्वासन दिया है कि परबतसर (मकराना) में जो विश्व विख्यात मार्बल मंडी है वहां 132 के. वी. की लाइन लायी जाएगी और बिजली की कमी की पूर्ति की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे ऊर्जा मंत्रीजी क्रियाशील हैं। एक-एक गांव में बिजली पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार के मंत्रीजी ढाणी-ढाणी, गांव-गांव जाते हैं और वे बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए कृत-संकल्प हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था दीजिये।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, बिजली की समस्या को दूर करने की बात करते हैं तो ये बीच में रोड़े अटकाते हैं। यह खम्भे नहीं लगाना चाहते, यह तार नहीं लगाना चाहते इस वजह से बिजली गांवों में नहीं पहुंच पा रही है। यह विकास नहीं चाहते हैं, यह बिजली नहीं चाहते हैं, यह विनाश चाहते हैं और बिजली

(श्री राकेश मेघवाल)

नहीं लगवाना चाहते हैं।....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह एक +++ है। सच्ची बात कड़वी लगती है और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बिजली पर चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि बिजली पर चर्चा करने को तैयार हैं लेकिन यह करवाना नहीं चाहते। हमारे नेता एक आवाज से कहते हैं तो हमारे पक्ष के पूरे सदस्य चुप हो जाते हैं और इनके 17 नेता हैं, कोई नेता नहीं है। उनकी बात नहीं मानते हैं। एक-एक करके 50 बार कह दिया। श्रीमती कमलाजी ने कहा था बिजली पर चर्चा करेंगे, सभी माननीय सदस्य अपनी जगह पर आ जायें, उनकी बात को नहीं माना ...(व्यवधान) आज जनता उसके धोखे में आने वाली नहीं है। आज नागौर जिले में पूरी बिजली मिल रही है और यह कहते हैं कि अगर इस तरह 8 घण्टे बिजली मिलती रहेगी तो हमारा विनाश हो जायेगा, हमारी पार्टी का सफाया हो जायेगा। यह इनका संकल्प है। इसलिए बिजली की कमी को यह दूर नहीं करना चाहते —

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले पाइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था दीजिये....

श्री राकेश मेघवाल : ये बिजली पर चर्चा कराना ही नहीं चाहते हैं....(व्यवधान) ....अपने-अपने क्षेत्रों में जाते हैं और कहते कि हमें विकास नहीं चाहिये, विनाश चाहिये। अगर विकास हो जायगा, बिजली ....(व्यवधान)....हो जायगी....गांवों में कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है उसमें रोड़े अटकाओ, उसको विकास मत करने दो ...(व्यवधान)....

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

....(व्यवधान)....इनके लोगों ने हमारे मकराना और परबतसर में विश्व विख्यात मार्बल मण्डी में जो सड़क बनने वाली थी, कांग्रेस के नेताओं ने उस सड़क के बनने में रोड़ा अटका दिया....(व्यवधान) ...अध्यक्ष महोदय, इनका एक ही लक्ष्य था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्व विख्यात जो मकराना में मार्बल मण्डी है उसमें अगर यह ऐतिहासिक सड़क बन गयी तो हमारी पार्टी का सफाया हो जायगा.... (व्यवधान)....यह सरकार आज तक बहुत से बड़े-बड़े काम....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : लक्ष्मीनारायण जी बैरवा।

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में प्रतिपक्ष के सारे सदस्य केवल अखबारों में अपना नाम छपवाने के लिए यह कर रहे हैं किसानों.... (व्यवधान) ...से उनका कोई वास्ता नहीं है ...(व्यवधान) ...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

राजस्थान में बिजली की कमी.... (व्यवधान)... इस कांग्रेस सरकार की 40 साल की देन है....(व्यवधान) केन्द्रीय सरकार एक यूनिट बिजली भी नहीं दे रही है. उसके बावजूद हमारी सरकार ने 1157 करोड़....(व्यवधान),...आपसे आग्रह है कि आप सदन में बैठिये, मौका देते रहे हैं बोलिए, हल्ला करने से (व्यवधान).... माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था चाहते नहीं.... (व्यवधान) हाउस में....(व्यवधान)........ राजस्थान सरकार की बिजली की उपलब्धियां....(व्यवधान)... हमारी योजनाओं के अन्तर्गत सूरजगढ़, बरसिंगसर,.... (व्यवधान)... मोहनगढ़....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा ...(व्यवधान)........प्रायोरिटी पर कनेक्शन....(व्यवधान) मिले हैं। यह जारी.... की है....इसकी जांच की जाय, उन अधिकारियों से....(व्यवधान)... ट्रांसफार्मर (व्यवधान) मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आप सदन में बैठकर के चर्चा कीजिए । धन्यवाद ।........ (व्यवधान)....

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय ..(व्यवधान)....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

....(व्यवधान)... भैरोंसिहजी की सरकार अच्छा काम कर रही है (व्यवधान) इनका पत्ता साफ होने वाला है आने वाले लोकसभा चुनावों में इसलिए यह+ + +कर रहे हैं.... (व्यवधान) ....मगर इनको+ + + करना भी नहीं आता, विरोध करना भी नहीं आता। भैरोंसिंह जी की सरकार में कृषि कनेक्शन....(व्यवधान)... कृषकों को आज कनेक्शन मिल रहे हैं....(व्यवधान) जो सक्षम काश्तकार है उनके लिए अलग योजना, जो गरीब काश्तकार हैं उनके लिए अलग योजना, इस प्रकार सम्पूर्ण समाज का, सम्पूर्ण किसान वर्ग का किस प्रकार से हित साधन हो, उनको बिजली मिले, इसका समग्र चिन्तन आज भारतीय ....(व्यवधान) जनता पार्टी की सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जन विकास के कार्यों की वजह से आज+ + + इस कारण से.... (व्यवधान)....मैं, अध्यक्ष महोदय, छोटी सी बात बताता हूं, मेरे पड़ौस में मेरे मित्र रहते हैं, श्री रामनारायण जी डूडी, विधायक हैं, मेरे पड़ौस में रहते हैं.... (व्यवधान)....आज मैंने कांग्रेस की रैली में आने वाले कुछ किसानों से पूछा जो मेरे वहां बाहर बैठे हुए थे। मैंने कहा कि कैसे आये, उन्होंने कहा कि हमें लाये हैं और कहा है कि आपके कुएं में कनेक्शन करा देंगे, यह करा देंगे ...(व्यवधान)... झांसा देकर के लाये हैं... (व्यवधान)....मैंने कहा कि....यह 20 रुपये देकर, 30 रुपये देकर ....(व्यवधान) .. यह कनेक्शन करा देंगे, किसानों को झांसा देकर लाये है वरना तो

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

कोई भी इनके साथ नहीं आता। हमने कहा कि मेरे साथ चलो मैं करा देता हूं अभी। तो आज यह झांसा देकर किसानों को लाये हैं। ....(व्यवधान)....इस प्रकार से यह जनता की समस्याओं पर कोई चिन्तन नहीं करते हैं। अब एक बात बताऊं, अध्यक्ष महोदय, हमारे श्री शिवचरण जी माथुर जब मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने वाहवाही लूटने के लिए बिजौलिया के जे. ईएन. ऑफिस को ए. ईएन. ऑफिस में क्रमोन्नत कर दिया और एक ए. ईएन. बिठा दिया। वहां कोई स्टाफ नहीं, कोई लाइनमैन नहीं।....(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

एक ए. ईएन. ऑफिस में कम से कम 85 लाइनमैन होते हैं पर उसके लिए बजट सैंक्शन नहीं किया और वह 10–12 लोग काम करते रहे। हमारी सरकार आने के बाद हमने उस समस्या का समाधान किया। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इनका जन समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है। आज यह+++कर रहे हैं यह सारा दिखावा है।....(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भैरोंसिंह जी की सरकार किसानों की समस्याओं पर कितनी चिन्तित है। मेरे यहां मानपुरा के आगे लाइन जाती थी, 20 किलोमीटर लम्बी लाइन थी.... (व्यवधान) वोल्टेज रेगुलेशन ही बैठ रहा था ....(व्यवधान)....मैंने माननीय श्री रघुवीरसिंह जी कौशल, जो बिजली मंत्री हैं उनके ध्यान में यह बात लाया और इन्होंने तत्काल बड़ी कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर मानपुर में लगा दिया। उसके अलावा उस समस्या को हल करने के लिए..(व्यवधान).... 38 लाख रुपये लगाकर 33 के. वी.जी.एस. एस. का कल ही माननीय श्री रघुवीर सिंहजी कौशल ने शिलान्यास किया है। जहां तक ट्रांसफार्मर की बात आती है, पहले इनके राज में तो ट्रांसफार्मर जल जाते थे तो 6–6 महीने, 12–12 महीने तक उन ट्रांसफार्मर का पता ही नहीं लगता कि कहां गये, इसलिए ये नहीं बोल रहे हैं। अब आज भैरोंसिंह जी की सरकार में और राज में 24 घंटे हर जी. एस. एस. पर 10–10, 20–20 ट्रांसफार्मर हर कैपेसिटी के एडवांस में पड़े हुए हैं कि यदि कहीं ट्रांसफार्मर जल जाय तो ट्रांसफार्मर तत्काल बदल जाए और जो अधिकारी नहीं बदलेगा और 10 दिन से ज्यादा यदि ट्रांसफार्मर बन्द रह गया तो वह अधिकारी उसके घर जाएगा। यह व्यवस्था भैरोंसिंह जी की सरकार ने की है और जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेसियों के+++उठ रही है। मुझे तो लगता है, कहीं इनको भी बाहर नहीं जाना पड़ जाय अपनी इच्छा पूर्ति के लिए (व्यवधान) एक-एक करके जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार आज जनता के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। बिजली के क्षेत्र में भी अब जो ये कह रहे हैं,

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

मांग और आपूर्ति का संतुलन नहीं होगा, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, कोई सरकार तब तक कोई योजना में सफल नही हो सकती हैं। इन्होंने कभी ये ध्यान नहीं रखा कि आज से 20 साल बाद कितनी बिजली चाहिये, 40 साल बाद बिजली कितनी चाहिये, उसके लिए कितने कारखानों की जरूरत पड़ेगी, कितने हजार मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ेगी, यह उन्होंने कभी योजना नहीं बनायी ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) इतने वरिष्ठ सदस्य को अपने (व्यवधान) नहीं है। कार्य सूची में आज बिजली की चर्चा के सम्बन्ध में उल्लेख है। (व्यवधान) यह इन्होंने पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद + + + वाहवाही लूटने (व्यवधान) यहां पर जैसे ही इन्होंने (व्यवधान) बिजली पर मांग के लिए बात की, वैसे ही आपने कहा कि बिजली पर चर्चा करें। (व्यवधान) इनके पास न बोलने की तैयारी है, न इनके पास कोई विषय है ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

अगर इनके पास तैयारी होती, कोई विषय होता तो ये (व्यवधान) सरकार ने बिजली पर चर्चा करने के लिए मौका दिया। आपने इन्हें पुकारा मुझे बहुत दुःख है कि इस आसन का वास्ता लेकर ये इस प्रकार से + + + हरकत कर रहे हैं....(व्यवधान) वे इस पर चर्चा भी न करें। न तो ये सुनते हैं, न ये देखते हैं, न ये पढ़ते हैं तो फिर बोलेंगे क्या ? (व्यवधान) न किसी सुविधा पर कोई इन्हें परेशानी हैं (व्यवधान) किसान के बारे में कुछ कह नहीं सकते या करने की कोई बात कर सकते। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार ने विद्युत की व्यवस्था करने के लिए, विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए काफी प्रयास किये हैं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

इतना बड़ा विद्युत मण्डल है और, (व्यवधान) और भी बढ़े। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार ने किसी (व्यवधान) और अन्य तरीके से बिजली उत्पादन करने की बात करते हैं (व्यवधान) किसान को समय पर बिजली मिल सके, किसान को पूरी बिजली मिल सके, इसकी योजना बनायी है....(व्यवधान) उन योजनाओं का (व्यवधान) ये एक बार अध्ययन करें तो इन्हें मालूम पड़ेगा कि सूरतगढ़ के बारे में, मथानिया के बारे में और इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, ये तो चल रहे है कार्य हैं (व्यवधान) इनको जानकारी होनी चाहिये.... (व्यवधान) लेकिन इनको जानकारी करने से कोई लाभ नहीं (व्यवधान) पावर

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

का एक हैंडिग चाहिये ।...(व्यवधान) किसान के बारे में सोचें (व्यवधान) एक निश्चित मामला था । (व्यवधान) ऐसी + + +हरकत से लोग (व्यवधान) जवाब देते हैं....(व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार ने गांवों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए जो पूर्व में योजनाएं थीं (व्यवधान) उनके साथ-साथ त्वरित योजना भी प्रारम्भ की गयी है तो त्वरित योजना में कनेक्शन हुए । (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

लाइन लोसेज पर चिन्ता करनी है.... (व्यवधान) मेरा सुझाव है कि गांवों में कराये जाने वाले काम....(व्यवधान) गांवों में बिजली मिलनी चाहिए जिससे गांवों के बच्चे पढ़ सकें और उनको भी वह सुविधा मिल सके ।....(व्यवधान) इस चीज की व्यवस्था मंत्री महोदय करेंगे । (व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस समय बिजली....(व्यवधान) बहुत जरूरी है । यदि किसान को इस समय बिजली नहीं मिली तो खेती अच्छी नहीं होगी । भगवान की कृपा हुई है, बरसात अच्छी हुई है, बिजली (व्यवधान) हुई है लेकिन टाइम पर बिजली आप नहीं दे पायेंगे तो सारे किसान बहुत कष्ट में हो जायेंगे और अन्ततः ऐसा कुछ भी सरकार को मौका देकर (व्यवधान) फिर किसी सरकार को मौका देने का है कि वह बिजली दूसरे देशों से मंगाये, ये तो, यही चाहते हैं और हम चाहते हैं कि किसान को बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायें । (व्यवधान)

मै कहना चाहूंगी, जिन ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड की व्यवस्था हो रही है, उन ट्रांसफार्मरों में सहयोगी ट्रांसफार्मर अगर 100 के. वी. का है और 250 के वी. का लोड होना चाहिए । (व्यवधान)

(13.30)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यदि ट्रांसफार्मर जल जाय ...(व्यवधान) मैं आपकी बात कह रही हूं ...(व्यवधान) यदि ट्रांसफार्मर जल जाए तो दूसरे दिन ही दूसरा ट्रांसफार्मर वहां लग जाना चाहिए, यह व्यवस्था .. (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है, बिराजिये आप । आसन पैरों पर है (व्यवधान) आसन पैरों पर हैं, कृपया बिराजिये । बिराजिये आप (व्यवधान) आप बिराजिये । आसन पैरों पर है । आप बिराजिये । (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, कृपया अपने-अपने स्थान पर बिराजिए और फिर अपनी बात कहें । (व्यवधान) कृपया अपने-अपने स्थान पर बिराजिये आप (व्यवधान) फिर अपनी बात कहें (व्यवधान) आप कृपया लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का

+ + +शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री उपाध्यक्ष)

पालन कीजिए । अपने-अपने स्थान पर बिराजिये ।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक पाइंट ग्राफ ग्रार्डर ग्रासन से निवेदन किया था कि नियम 293 के ग्रन्तर्गत जब सदन के ग्रन्दर ग्रव्यवस्था व्याप्त हो तो इस स्थिति में सदन की कार्यवाही कभी नहीं चलायी जाती । कई तरह के विकल्प होते हैं ग्रासन के सामने । यदि इक्का-दुक्का व्यक्ति हों, तो उनको नियमों में बांधने के लिए नाम से पुकारा जा सकता है । उससे भी नहीं मानें तो सदन से बहिर्गमन करने के लिए ग्रादेश दे दिये जाते हैं । लेकिन बड़ी संख्या में माननीय सदस्यगण में किसी प्रकार का रोष हो तो उस ग्रवस्था में सदन में कार्यवाही चलती नहीं है ग्रौर हमारे यहां पर सदैव परम्परा रही है, जब कभी ग्रव्यवस्था हुई है तो ग्रल्पकाल के लिए ग्रासन सदन की बैठक को स्थगित कर देता है ग्रौर विपक्ष के नेताग्रों को बुलाकर के ग्रपने वेश्म में चर्चा करते है, विचार-विमर्श करते हैं, सदन की कार्यवाही फिर शुरू हो जाती है । ग्रब ग्राप देख रहे हैं, करीब डेढ़-पौने दो घंटे से सदन में भयंकर ग्रव्यवस्था की स्थिति है ग्रौर इसमें किसी भी कार्य का सम्पादन नियम विरुद्ध होगा । इसलिए यह ग्रासन का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दायित्व है कि सदन की कार्यवाही ग्रल्पकाल के लिए स्थगित की जाय ग्रौर ग्रलग-ग्रलग पक्ष के नेता हैं उनको बुलाकर उनकी क्या शिकायत है, ग्राप उस पर विचार-विमर्श करें ग्रौर तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही पुनः शुरू की जाय ।....(व्यवधान)....क्या ग्राप यह समझते हैं कि सदन में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया ग्राप सुनिये । ग्राप व्यवधान न डालें, सदन के नेता महोदय बोल रहे हैं, ग्राप सुनिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्राप बैठो न । ....(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ग्राप इधर पधार जाग्रो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विपक्ष के नेता ग्रपने पक्ष से चार-पांच सदस्यों को ग्रध्यक्ष के चैम्बर में ले चलें, वहां मैं चलता हूं, बात कर लेंगे, हाउस एडजोर्न करने की ग्रावश्यकता नहीं है । ग्राप, पार्टी के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, उप नेता, मुख्य सचेतक भूतपूर्व ग्रध्यक्ष, यह सब चलें, वहां चैम्बर में बैठ कर बात कर लेंगे, हाउस एडजोर्न करने की ग्रावश्यकता क्या है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सम्माननीय नेता महोदय, ग्राप इस सभा में दो-तीन उन माननीय सदस्यों में से हैं जिनका लम्बा सेवाकाल रहा है ग्रौर ग्राप जानते हैं कि जब कभी ग्रव्यवस्था, आज तो खैर, डेढ़-पौने दो घंटे चली है फिर भी दुर्भाग्य की

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

बात है कि इस सभा की कार्यवाही स्थगित नहीं की गई, आप स्वयं जानते हैं कि थोड़ी सी भी अव्यवस्था होती, आपको शिकायत होती, आपके पक्ष को शिकायत होती, पक्ष के दो-चार माननीय सदस्यों को शिकायत होती तो अन्य बहुत से आसन के पास अधिकार हैं, उनका दुरुपयोग या सदुपयोग या उनका उपयोग नहीं करके सदैव अल्पकाल के लिए सदन की बैठक स्थगित कर देते, विचार-विमर्श करके दुबारा कार्यवाही शुरू करते।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी स्पीकर की....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अब यह आप दिल पर हाथ रखकर फरमा दीजिये कि सदन में क्या वर्तमान में व्यवस्था बनी हुई है ? डेढ़ घंटे से कोई काम हो रहा है क्या ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हो रहा है न, भाषण हो रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो पुराने अनुभवी आदमी हैं, आपने विधान सभा में अध्यक्ष के पद पर बहुत व्यवस्थाएं दी हैं, आपको उन व्यवस्थाओं का भी ज्ञान है, हाउस को संचालन कराने का भी ज्ञान है, दोनों में आपके ज्ञान में कोई परिपक्वता में कोई कमी मुझे नजर नहीं आती। लेकिन आपने जो कुछ किया है वह भी हमको याद है। वह भी मैं इस समय जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन मैंने कहा....(व्यवधान) मैंने यह कहा, मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य शांति से बैठे रहें, आप चलिये बाहर, खेतसिंहजी चलिये, और इन से पूछ लीजिये, वह आपका कहना मानते हैं तब तो मेरे साथ बात कर लीजिये और नहीं मानते हैं तो फिर....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : सब मानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आ जाओ तो फिर बाहर....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप इतनी जिद्द करते हैं तो फिर आइये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बाहर आ जाओ, बात कर लेंगे।.... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

नहीं, मेरी मानते हैं या नहीं मानते हैं, एक मिनट अभी आकर के, अभी मानने का सवाल ही नहीं है, खड़े हुए हैं चीफ व्हिप और आप बीच में बोल रहे हैं तो लगता है कि मानते नहीं हैं, आपके काबू का मामला नहीं है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप चलिये न, बात करते हैं तो कर लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं चल रहा हूं न।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आइये, आ जाओ, आ जाओ। आइये, आइये। डिबेट चालू है, बोलें। उजलाजी को कहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, कौन बोल रहा था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, डीजल के बिजली के लिए इंजन चलाने का विचार और निजी क्षेत्र में भी इस प्रकार के बिजली की परियोजना....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

....के केन्द्र उत्पादन के बनाये जाने की इस सरकार की योजना....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान न डालें। इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, बिजली का मामला है, व्यवधान न डालें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ....(व्यवधान) रही है जिसके लिए विशेषज्ञ समिति गठित होने जा रही थी, मुझे मंत्री महोदय करेक्ट करेंगे कि क्या उस समिति का गठन हो गया है अथवा होने वाला है? विद्युत विशेषज्ञ समिति भी बनायी जाने वाली थी, मैं समझती हूं वह भी निर्माण हो चुका होगा या होने जा रहा होगा। जुलाई तक पांच हजार विद्युत कनेक्शन.... (व्यवधान)....और सितम्बर तक....

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले पाइंट आफ आर्डर पर व्याख्या दी जाती है। उससे पहले माननीय सदस्य का बोलना असंवैधानिक है, किसी भी दृष्टि से उसको संवैधनिक नहीं कहा जा सकता। हमारा प्रश्न यह है कि पहले पाइंट आफ आर्डर पर व्याख्या दी जाय और उसके....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सितम्बर तक सात हजार कनेक्शन दिये जा चुके हैं....(व्यवधान) इनकी संख्या भी तीन हजार से ऊपर जाती है और....व्यावसायिक कनेक्शन के बाद में।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

....इस समय किसानों को बिजली को दिया जाना बहुत जरूरी है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण....(व्यवधान)....आप बाहर....

श्रीमती उजला अरोड़ा : पिछले दिनों बिजली के तारों का चोरी करने वाला गिरोह था, वह पकड़ा था। इस क्षेत्र में और सक्रिय होने की जरूरत है। खुद मेरे क्षेत्र में भी काफी बिजली के तारों की चारी हुई है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किसानों का प्रश्न है, सुनना नहीं चाहते, आप बैठ जाइये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : (व्यवधान) .. किसानों को बेहद नुकसान होगा। लोग जो बढ़ी हुई दर है वह पैसा देने को तैयार हैं लेकिन किसानों को पर्याप्त रूप से खेतों में बिजली मिले इस बात की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र ...(व्यवधान) में परसों कर्मचारियों

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

का घेराव किया गया। वह इसलिए किया गया कि वहां पर ट्रांसफार्मर से आठ महीने से कहीं दूसरी जगह से बिजली दी जा रही है जो ट्रिपिंग करती है और शाहपुरा में सीधा-सीधा जो मजवारामगढ़ से कनेक्शन था, हमारे ट्रांसफार्मर को बिजली आती थी, 1100 के.वी ए. का है उसमे दूसरी तरफ बिजली दी जा रही है।....(व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जब से हमारे नये मंत्री महोदय बने हैं, बिजली के बारे काफी चिंतित हैं, इन्होंने जिलाधीशों को निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक दस तारीख को वह बिजली के उत्पादन के सम्बन्ध में बैठक बुलायें और जो भी कमियां-खामियां रहें उनको वह देखें और रिपोर्ट करें जिससे कि बिजली की सुव्यवस्था की जा सके। मैं आभार व्यक्त करती हूं मंत्री महोदय का.... (व्यवधान) और मौका दिया। मैं यही बात कह करके (व्यवधान) इनको आप यहां से निकालें। मैं प्रस्ताव करती हूं कि इनको यहां से निकालें।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत। ....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान)....मैं पूछना चाहूंगा बिजली के लिए आपने किया ही क्या और पश्चिमी राजस्थान....(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : यहां पूरी अव्यवस्था हो रही है इसलिए आधा घंटे के लिए इसको स्थगित कर दिया जाय।.... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अव्यवस्था हो रही है, हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है इसलिए हाउस को आप आधे घंटे के लिए एडजोर्नमेंट कर दीजिये।....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : सरकार को जल्दी ही बिजली देनी चाहिये।.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : गहलोत जी, आप तो यह बताइये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शासन में आने के बाद कितनी मेगावाट बिजली पैदा की है। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आधे घंटे के लिए हाउस को एडजोर्न कर दीजिये। (व्यवधान) किसानों के हित के लिए आप एडजोर्न कर दीजिये आधे घंटे के लिए। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, + + + हो रहा है। (व्यवधान) किसान रो रहा है।.... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

अध्यक्ष ने बहुत सुन्दर शब्दों में बात कही है, आपको मालूम है, आप उसकी व्यवस्था दीजिए। यह तो+++की बात है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा+++नहीं हो सकता। पाइंट आफ आर्डर पर आसन की ओर से कोई व्याख्या नहीं आये और कार्यवाही आगे जारी रखी जाय+++ (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, आने वाले इतिहास में क्या लिखा जाएगा (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सदन की कार्यवाही चलाने का.... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, +++(व्यवधान) बताइये। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री राकेश मेघवाल : बिजली पर चर्चा होने नहीं देना चाहते। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको बाड़मेर से क्या लेना-देना ? (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : आप कितना ही जोर लगायें, मीणाओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। मीणाओं को अलग-अलग बांटवाने वाली कांग्रेस.... (व्यवधान) यह जाति आपके हाथ में नहीं लगेगी।....(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

सारी उम्र यही किया है कांग्रेस ने।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने की अनुमति दी। बिजली का संकट कैसे हल किया जाय, आपने सदन से राय जाहिर करने को कहा। बड़े दुःख का विषय है कि कांग्रेस के माननीय सदस्य आज किसानों के विरोध में....(व्यवधान) माननीय सदस्य विद्युत पर बोल सकते हैं, जिन किसानों से हम वोट लेते हैं इसलिए हम यह चाहते हैं...(व्यवधान) हमने 25 हजार कनेक्शन करने का लक्ष्य रखा था। (व्यवधान) और इनके अलावा नर्सरी में जिन किसानों ने (व्यवधान)....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

आवेदन किया था....(व्यवधान) जो योजना रखी, बिजली के जो कनेक्शन आप दे रहे हैं ...(व्यवधान) उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक पोल और दो पोल के कनेक्शन के लिये (व्यवधान) हम आपके बहुत आभारी है आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपने एक पोल और दो पोल....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न डालें। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा : वह कनेक्शन बंद कर दिये हैं इसलिए इस अवसर पर निवेदन करना चाहूंगा कि एक पोल और दो पोल के कनेक्शन पुनः चालू किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें। माननीय श्री रामस्वरूप जी ..(व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से पुकारता हूं। कृपया व्यवधान न डालें। (व्यवधान) आपके नेताजी बातचीत करके आ रहे हैं, शांति रखिये। व्यवधान मत डालिये। (व्यवधान) ...

श्री कन्हैयालाल मीणा : दूसरा, मेरा आपसे निवेदन यह है कि भारी अकाल के समय में पानी के अभाव में ...(व्यवधान) डार्क जोन एरिया घोषित होने के कारण जिन किसानों के कनेक्शंस काट दिये गये थे, डार्क जोन एरिया घोषित था, उन किसानों को नर्सरी कनेक्शन लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाय, साधारण प्रायोरिटी के तहत उन किसानों को कनेक्शंस दिये जायं। क्योंकि अतिवृष्टि के कारण किसानों के कुएं जो सूखे हुए थे, अब उन कुओं में पानी आ गया, पानी आ जाने के कारण किसान के अपनी फसल बो रहे हैं, सरसों बो ली है। वहां खम्भे लगे हुए हैं लाइन खींची हुई है। ....(व्यवधान) ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूप जी, मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं। मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं, कृपया आप परम्पराओं की पालना कीजिये। परम्पराओं का विध्वंश मत कीजिये। माननीय रामस्वरूपजी, मैं आपको नाम से पुकारता हूं। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन किसानों को नर्सरी में कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित न करें, क्योंकि 10 साल हो गये उन्हें कनेक्शंस नहीं मिलने की वजह से उनकी पैदावार कम रही है। उन किसानों को आप कनेक्शन देने के लिए साधारण फ्लेट रेट की भांति जो राशि होती है वह वसूल करके (व्यवधान) उनको कनेक्शंस दिया जायं। तीसरा, मेरा निवेदन है कि बिना नर्सरी के प्रायोरिटी के जो लक्ष्य आपने निर्धारित किये थे वे प्रायोरिटी के कनेक्शंस इस साल पूरे किये जायं। 25000 कनेक्शंस का जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया था उसमें आधे से भी कम कनेक्शन हुए हैं। यह लक्ष्य पूरा होना चाहिए, उससे कम कनेक्शंस नहीं हों ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आपने नर्सरी योजना के कनेक्शंस का इस लक्ष्य के अन्दर न गिनने का आश्वासन

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

दिया था, जो भी नर्सरी के कनेक्शंस वन पोल टू पोल के होंगे वह 25000 के लक्ष्य के अलावा ये कनेक्शंस माने जायेंगे। इसके लिए तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस लक्ष्य के अलावा आपने नर्सरी योजना चालू करके वन पोल टू पोल के कनेक्शन दिये। जिसने आपने नर्सरी में कनेक्शन देने के लिये 15 दिन में किसानों को जो आश्वासन दिया है। आज अपनी फसल लेने के लिए उन किसानों ने सरसों बो दी है, गेहूं बो दिये हैं, जौ बो दिये हैं, चने बो दिये हैं, आज वह अपना बीज डाल चुके हैं और वे किसान उस बीज की कीमत वसूल कर सके इसलिए नर्सरी योजना में अपने कुएं के कनेक्शन लेने जाते है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 15 दिन का जो आपने वायदा किया है इन 15 दिनों के अन्दर ही उस प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जाकर ही उन किसानों को कनेक्शंस दिया जायं। यह मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर जल गये, मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह किसानों की बहुत महत्वपूर्ण मांग है, उनके जीवन-मरण का प्रश्न है। इसलिए कृपया आप शांत रहें तो बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि इससे किसानों का हित जुड़ा हुआ हैं, किसान आपका दुश्मन तो नहीं है।....(व्यवधान) इसलिए पूरी तरह से शांत रहकर के आप सुनें तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को (व्यवधान)....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

मेरे क्षेत्र के किसानों को 12 घंटे बिजली देने की व्यवस्था करें। (व्यवधान) किसानों की पूरी बिजली मिलनी चाहिये.... (व्यवधान) इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 33 के.वी.,जी.एस.एस. ट्रांसफार्मर .. (व्यवधान) साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बस्सी विधान सभा क्षेत्र में जिसका ए.ईएन. ऑफिस....(व्यवधान) कानोता में हैं....(व्यवधान) आपने मुझे समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो 33 के. वी. के जी.एस एस. गत वर्ष नये लगाये हैं।....(व्यवधान) 132 के.वी.,जी.एस.एस., नावां में स्वीकृत किया और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि कुछ नहीं किया। (व्यवधान) 132 के.वी., जी.एस.एस., नावां में 220 के.वी., जी.एस.एस., मेड़ता में (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

उपाध्यक्ष महोदय, कमी जरूर है, पर वह कमी उन्होंने पैदा की है। आज

(श्री राकेश मेघवाल)

47 सालों से जो कमी चली आ रही है, वह 2 सालों में तो पूरी हो नहीं सकती। 47 साल की कमी को पूरा करने के लिए सरकार को 5 साल तो चाहिये ही। 47 साल में भ्रष्टाचार किया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। इन्होंने बिजली आदि सभी के नाम से सभी ने + + + और कभी काम होने नहीं दिया।.... (व्यवधान) इन लोगों ने बहुत गड़बड़ियां कीं....(व्यवधान) बहुत बार रोका और यहां तक कि (व्यवधान) विकास नहीं होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बोर्ड से मिलकर, श्री सोलंकी से मिलकर (व्यवधान) जी.एस.एस. स्वीकृत कराया और उसका काम करवाया। उन्होंने मेरे कहने से और राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंहजी शेखावत के कहने से तुरन्त प्रभाव से वह स्वीकृत कराकर कमी का चालू कर दिया। यह सरकार की उपलब्धि है और इन लोगों ने 47 वर्षों तक उस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया।.... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

(14.00)

और हमारे नागौर जिले में सबसे कम काम विकास के नाम पर हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर में बिजली की आपूर्ति हेतु 33/11 के.वी., जी. एस. एस. पावर स्टेशन (व्यवधान) परबतसर, हरनावां, बागोर, तीस-पिलावा आदि में बिजली की समस्या है, बिजली की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है, इसके निम्न कारण है :–

उपरोक्त पावर स्टेशनों में मकराना 132/33 के. वी. जी. एस. एस. से बिजली की आपूर्ति की जा रही है।....(व्यवधान) मकराना की सम्पदा 20/25 में स्थिति है जबकि कुल लोड 41.85 वोल्ट का होना चाहिये लेकिन इन 33/11 के.वी., जी.एस.एस. पर हमेशा लोड रहता है।.... (व्यवधान) औद्योगिक दृष्टि से मकराना (व्यवधान) परबतसर विश्व विख्यात क्षेत्र है। (व्यवधान) 20 वोल्ट का लोड हो जाता है....(व्यवधान) जिससे कृषि के क्षेत्र में बिजली की सप्लाई को उद्योगों में वितरित कर निर्धारित समय के लिए उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराना, मुश्किल ही नहीं है, असम्भव भी है। इसलिए 33/11 के. वी., जी. एस. एस. पावर स्टेशन की दूरी ज्यादा होने से, बिजली की लाइनों की लम्बाई ज्यादा होने से वोल्टेज कम मिलता है। उतार-चढ़ाव होने से कुओं की मोटरें नहीं चल पातीं। रबी की फसल को मद्देनजर रखते हुए समुचित रूप से समस्या दुगुनी हो जाती है। परबतसर क्षेत्र में 30.9.1993 तक बिजली के, कृषि एवं औद्योगिक इकाइयों के उपभोक्ताओं के कनेक्शस विचाराधीन हैं। उन सबको कनेक्शन देने पर समस्याओं में गुणात्मक वृद्धि हो जायगी।

+ + + नाम अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राकेश मेघवाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मकराना के बिद्यात औद्योगिक क्षेत्र के लोड को मद्देनजर रखते हुए, इस क्षेत्र के किसानों की बिजली की आपूर्ति की समस्या को मद्देनजर रखते हुए समस्या के स्थायी समाधान हेतु 32/11 के.वी., जी.एस.एस. बिना किसी विलम्ब के परबतसर क्षेत्र में स्वीकृत बजट सत्र में किया जाय। साथ ही मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि नागौर में, नागौर, मेड़ता, डीडवाना, कुचामन में 132 के.वी., जी.एस.एस. लगा दिये हैं जबकि नागौर जिले में सबसे बड़े विश्व विख्यात औद्योगिक क्षेत्र बिद्यात व मकराना क्षेत्र की बिजली की समस्याओं को पता नहीं क्यों अनदेखी की जा रही है। पूरे क्षेत्र में व्याप्त असन्तोष को मद्देनजर रखते हुए, जन आकांक्षाओं के अनुरूप सुदृढ़ सुनिश्चित बिजली की योजना पूर्णरूप से आपूर्ति हेतु 132 के.वी., जी.एस. एस. परबतसर में, 220 के.वी., जी.एस.एस. मकराना में, जो नागौर जिले में विश्व विख्यात मकराना में सबसे अच्छा मार्बल मार्केट है, उसमें स्वीकृति प्रदान करायें।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो घंटे से सदन में उत्तेजनापूर्ण वातावरण चल रहा है और बिजली की मांग को लेकर आज जो सदन के माननीय सदस्यों की चिन्ता है, वह केवल विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की ही नहीं बल्कि सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों की भी निश्चित तौर से चिन्ता होगी। इस साल, यह और भी गम्भीर चिन्ता का विषय है कि बाढ़ और अकाल के सन्दर्भ में आज जो कुछ भी अब किसानों की आशा की किरण रही है, वह केवल सिंचाई के कुओं से अपना अनाज और चारा पैदा करके अपने बच्चों का लालन-पालन कर सकता है। अपने परिवार का और मवेशी को, क्योंकि पशुधन आप जानते हैं कि राजस्थान में आज काश्तकारों की आमदनी का बहुत ही बड़ा जरिया है, क्योंकि चारे का भी अकाल है और जिस जिले से मैं आता हूं, उस जिले में चारे का भयंकर अकाल है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मैंने अभी सदन के नेता और माननीय मुख्य मंत्रीजी से बात की थी और मेरा यह अभिमत है कि बिजली के सम्बन्ध में डिबेट होनी चाहिये। कंट्री के अन्दर नार्दन रीजन की बात मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन आज पूरी कंट्री के कोल स्ट्राइक की वजह से एक बहुत ही जबरदस्त स्थिति खड़ी हुई है, जैसा कि कल रात को टी.वी. पर वार्निंग थी। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा पूरे सदन को और सदन के नेता को कि बिजली के प्रश्न पर यहां पर डिटेल्ड में डिबेट होनी चाहिये। उस डिबेट में से सरकार कमिटमेंट कितना करेगी, यह प्रश्नचिन्ह है लेकिन अगर कोई भी डिबेट होती है, तो राज्य सरकार के सामने आज सप्लाई और डिमांड का

(श्री परसराम मदेरणा)

जो गेप है, अलार्मिंग, उस अलार्मिंग गेप को मिट आउट करने के लिए सैंट्रल सैक्टर से, जो डिबेट यहां पर होगी, वह सरकार के हैंड्स को भी स्ट्रैंथन करेगी, ऐसी मेरी मान्यता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में उत्तेजना पैदा हो, इसी प्रकार की उत्तेजना तीन, मई को पिछले सत्र में उत्पन्न हुई थी, चार को बैठकर उसका एक रास्ता निकाला था और उस वक्त इस सदन की वरिष्ठ माननीय सदस्या ने आसन को भी बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन किया था कि जब सदन में उत्तेजना और इन्फ्यूरिएटेड हो जाय सदन, डिन एण्ड नाइस में कोई डिबेट हो नहीं सकती। बिजनेस तो आप पारित करवा सकते हैं टैक्निकल तौर पर, लेकिन जो भागीदारी इस सदन के माननीय सदस्यों की होनी चाहिये, उनके रचनात्मक सुझाव पर सरकार को विचार करना चाहिये, उससे सदन महरूम रह जाता है। इन परिस्थितियों में, क्योंकि सदन को एडजोर्न नहीं किया गया और इधर माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के जो हैं वे इस सम्बन्ध में पिछले दो घंटे से बराबर सरकार से मांग कर रहे हैं। उचित तो यही होता कि सदन एडजोर्न हो जाता लेकिन जब सदन को एडजोर्न नहीं किया गया है तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के विवेक पर इस बात को छोड़ता हूं कि वे बिजली की डिबेट को इन्श्योर करने के लिए, उनका क्या सुझाव है ? इसके साथ ही मैं, क्योंकि हाउस को एडजोर्न नहीं किया गया, वातावरण उचित डिबेट का नहीं है इसलिए प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर नहीं हुआ है और डिबेट लगातार चालू रहो है, वह डिबेट अर्थहीन है। इन परिस्थितियों में जो पाइंट ऑफ आर्डर उठाये गये, उन पर व्यवस्था भी नहीं दी गयी, मैं ऐसा समझता हूं कि इन परिस्थितियों में हमारे पास में कोई विकल्प नहीं रह जाता है, सिवाय इसके कि मैं अपने दल के साथ में इस सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(कांग्रेस (आई) दल के सभी माननीय सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही है कि बिजली की गम्भीर समस्या है और इस समस्या पर बहुत ही गम्भीरता से चर्चा होनी चाहिये। सत्तापक्ष की ओर से बात को स्वीकार किया गया और इसलिए बिजली के ऊपर चर्चा के लिये समय निश्चित किया गया।

आज के एजेंडा के अनुसार बिजली के ऊपर चर्चा होनी थी। सरकारी पक्ष की ओर से बिजली की चर्चा न हो, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई कथन नहीं किया गया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट देखें तो उसमें उल्लेख है कि आज जब यह सारी सदन की कार्यवाही, जो कागज सदन की मेज पर रखने हैं उनके साथ ही इसके ऊपर चर्चा होगी। उसके पहले यह बिल पास होना था। जब सदन के माननीय प्रतिपक्ष के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदस्यों ने आग्रह किया कि इस बिल को बाद में ले लिया जाए और पहले बिजली पर चर्चा हो, इस बात को भी मैंने स्वीकार कर लिया। बिल प्रस्तुत करने के बाद में भी मैंने सदन से यह निवेदन किया कि इसको बाद में ले लिया जायगा पहले इस पर चर्चा कर ली जाय।

अब बिजली के ऊपर चर्चा करने का विवाद, जब सत्तापक्ष यह कह रहा है कि आप विवाद करिये, सरकार की आलोचना करनी हो, वह आलोचना करिये, सरकार को रचनात्मक सुझाव देने हैं, वह रचनात्मक सुझाव दीजिये, वह सुझाव देने के बजाय बिजली की बात करने से और सदन के इस वैल में आकर के नारेबाजी करने से तो बिजली की समस्या का समाधान नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता था कि आज माननीय सदस्य देश के ऊपर जिस प्रकार का बिजली का संकट आया है और जैसे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कोल इंडिया में जिस प्रकार की स्ट्राइक चल रही है वह स्ट्राइक यदि आज किसी भी तरह से कॉल-आफ नहीं की गयी तो आन्ध्र प्रदेश में तो कल से ही बिलकुल अंधेरा हो जायगा। दो दिन का सामान नोर्दन इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं हैं उनके पास दो दिन का कोयला बचा है और दो दिन का कोयला यदि खतम हो गया और यह स्ट्राइक कॉल-आफ नहीं की गयी, तो सारे देश में अंधकार मचेगा। इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर नहीं है।

यह सही है कि राजस्थान में बिजली की कमी है और जो सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथोरिटी ने इस सम्बन्ध में सारे एस्टीमेट्स बनाये उसके कारण से चिन्ता है, उस चिंता से और गम्भीर स्थिति से किस प्रकार से राजस्थान को निकाला जाय, निकालने के किस प्रकार के प्रयास किये गये हैं, मुझे भी और सरकार को भी इस सदन में कहने का अवसर मिलता।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज राजस्थान में जो बिजली का संकट है वह संकट इसलिए नहीं है कि राजस्थान में हमने कोई व्यवस्था नहीं की। यह संकट इसलिए है कि राजस्थान के आर.ए.पी.पी. के दो यूनिट्स जिनमें 300 मेगावाट पावर जनरेट होती है वह बंद हो गयी। हमने भारत सरकार से कहा उसको कम्पनसेट करो। अच्छा होता कि आज सदन में प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों मिल कर इस आग्रह को भारत सरकार तक ले जाते कि 300 मेगावाट बिजली का जो हमें घाटा पहुंचाया है उस घाटे का किसी न किसी प्रकार से कम्पनसेशन किया जाय। आज 300 मेगावाट के अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष में जितनी बिजली की खपत थी और जितनी बिजली हमने उपलब्ध करायी इससे भी ज्यादा बिजली हम इस समय उपलब्ध करवा रहे हैं लेकिन यह बात भी सही है कि मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। मांग के अनुकूल कितनी बिजली की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमने हिन्दुस्तान में जहां

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहीं भी बिजली उपलब्ध हो सकती थी, महंगे भाव से हमने बिजली खरीदी है और सस्ते भाव पर बिजली बेची है। गये साल हमने 250 मेगावाट बिजली एन. टी. पी. सी. से ले ज्यादा पैसे उनको दिये। आज हालत यह है कि न तो कोयला है, न भारत सरकार ओरैया, दादरी और अंता इन तीनों में गैस की जितनी आवश्यकता है उतनी गैस की पूर्ति कर रही है। अब गैस की पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो उन कारखानों से जितनी बिजली पैदा होनी चाहिये वह बिजली की पैदावार कम होती है। उसका असर राजस्थान को भी भोगना पड़ता है। आपने देखा होगा आज के कुछ दिन पहले कोयले की कमी के कारण से नार्दर्न ग्रिड में सारे में बिजली की समस्या पैदा हो गयी। दो तीन दिन तक ऐसा संकट था कि यदि इस संकट का समाधान नहीं हुआ, लेकिन मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और बाकी की सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की कि वह संकट हमारे पर नहीं आया। हम तो चाहते थे कि सारे मसले पर गम्भीरता से चर्चा हो और मैं तो यह भी चाहता था कि बिजली की समस्या का जिक्र करने से समस्या का समाधान नहीं होगा हमने जो उपाय किये हैं उन उपायों में यदि सरकार कुछ महसूस करती, जो हम वह बता रहे थे। प्रतिपक्ष इसमें कोई आलोचना करता या सुझाव देता, उन पर भी हम चर्चा करने को तैयार थे। लेकिन आज दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कहिये कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता धरने पर बैठे हैं, अब वहां उस धरने में भीड़ नहीं है, वहां जितनी अपेक्षा करते थे उतने आदमी नहीं हैं, अब उस सारी कमी की पूर्ति यदि विधान सभा में इस प्रकार का व्यवहार करके की जाय तो मेरी भी सदन के नेता के नाते जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए यदि मैं कहूं कि मैं चर्चा करने को तैयार हूं और उनका आग्रह केवल यही हो कि हाउस को एडजोर्न कर दिया जाय, इस प्रकार की बात मैं स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह कह रहे थे, मुख्य मंत्रीजी अगर थोड़े आदमी भेज देते तो काम चल जाता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अगर अब सहायता लेते तो मैं सहायता निश्चित रूप से कर देता, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

अब पार्टी में आपने देखा होगा कि जितने भी वयोवृद्ध और संजीदा मैम्बर हैं उन सब ने इस बात को स्वीकार किया कि डिबेट चालू रखी जाय। डिबेट के मामले को गवर्नमेंट ने कंसीड करने का सवाल ही नहीं, एजेंडा से था। डिबेट चालू हो गयी, हमारे पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने भाषण दिये और देने के साथ ही उस पर चर्चा भी शुरू हुई। आज वह लोग भी बोलते। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने भाषण दिया, कई निर्दलीय सदस्यों ने भाषण दिया। आज सारे सदन को इस समस्या पर चर्चा करने से महरूम रखना, यह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है और सारे सदन के विशेषाधिकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का एक स्पष्ट उल्लंघन है । अब ऐसी स्थिति में केवल हाउस एडजोर्न करो, केवल हाउस एडजोर्न करो, इससे काम नहीं चलेगा । मैं तो समझता हूं कि प्रतिपक्ष यदि इस बात के लिए तैयार होकर आता और हम यदि एडजोर्न करना चाहते तो उनकी तरफ से विरोध होता कि हाउस एडजोर्न नहीं किया जाय और आज के आज इस विषय पर चर्चा हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने भी तैयारी की है, हम खाली हाथ इस सदन में नहीं आये हैं । बिजली की समस्या को लेकर किस प्रकार की समस्या है उसको सदन के सामने स्पष्ट रूप से रखते, लेकिन वह तो रखा नहीं और अब उस बात को लेकर कि हमारा धरना चल रहा है इसलिए हम असेम्बली में भी धरना देंगे, यह तो अतिशयोक्ति है, सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है और सदन का दुरुपयोग है । ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जो कुछ प्रतिपक्ष ने किया है उसकी कहीं किसी भी रूप में सराहना नहीं की जा सकती । जिस प्रकार के हाउस में नारे लगाये गये हैं, हमने भी धरना दिया है इस हाउस में धरना दिया है लेकिन एक बार बैठ गये उसके बाद में कोई माननीय सदस्य चूं नहीं कर सकता था । और एक बार प्रतिपक्ष के नेता ने, मैंने यदि कोई फैसला कर लिया, गलत था या सही था, तो कोई मेम्बर ऐसा नहीं था जिसने उसकी अवहेलना की हो । हालात यह है कि चीफ व्हिप बोल रहे हैं, उनका कोई कहना नहीं मानता, यहां के विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हुए श्री पूनमचन्दजी विश्नोई बोलते हैं, उनका कहना नहीं मानते, कमला जी बोलीं, उनका कहना नहीं माना, बाकी के लोग बोले नहीं और वापस जाकर लाबी में बैठ गये और कुछ सदस्य इस प्रकार की चर्चा करें तो मैं उनको किसी हालत में सदन की गरिमा के लिए हम कटिबद्ध हैं और उस गरिमा पर कोई आघात करेगा उसके सामने कंसीड करने को न आज तैयार होऊंगा न कभी तैयार होऊंगा । डिबेट में चाहे कितनी ही डिबेट करें, एक दिन बैठें, दो दिन बैठें, चार दिन बैठें मुझे इसकी चिन्ता नहीं है । हमारी जो वीकनेस है वह सामने आयेगी, जो हमारे स्ट्रांग पाइंट्स हैं वह सामने आयेंगे लेकिन हमको यह डिक्टेट करें कि हाउस की कार्यवाही एडजोर्न कर दी जाय, इसलिए हाउस की कार्यवाही कर दी जाय एडजोर्न की पांच मिनट के बाद में आ जाय । प्रतिष्ठा वह क्या बताते हैं ? प्रतिष्ठा बिजली नहीं है, प्रतिष्ठा यह है कि हमने यहां पर हा-हुल्लड़ किया है उसको एनकरेजमेंट दिया जाय और उसको किसी प्रकार से एग्री किया जाय कि हमने हा-हुल्लड़ किया वह वाजिब था । मैं इस चीज को कंसीड करने को न आज तैयार हूं न कभी भविष्य में तैयार होऊंगा लेकिन हाउस की कार्यवाही चलने नहीं देना, यह तो प्रतिपक्ष के पास इसका किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं है । एक बार वैल में आ गये, वैल में आ गये मैं समझता हूं कई सदस्य तो, आधे से ज्यादा कुर्सियों पर बैठ गये और आधे यहां पर बैठे रहे । तो वह भी अनुशासन इनमें नहीं रहा । तो मैं प्रतिपक्ष को एक सहायता दे सकता हूं कि अपने सदस्यों को किस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रकार से नियंत्रण में रखा जाय, यदि हम आपस में बैठें तो इस व्यवस्था में भी हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जायेगी। उनको हम ठीक प्रकार से सलाह दे सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं चाहता कि विपक्ष के पीछे-पीछे हम इस डिबेट को खतम करें। मैं इसलिए नहीं चाहता कि यह गम्भीर मसला है और इस गम्भीर मसले में प्रतिपक्ष का सहयोग चाहता हूं प्रतिपक्ष का विरोध नहीं। प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष यह दोनों मिलकर आज की समस्या का समाधान करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज जो बिजली की डिबेट है उसको पोस्टपोन कर दिया जाय और हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जब भी प्रतिपक्ष इसमें भाग लेगा उस समय हम भी तैयार हैं, हम अपना उत्तर देंगे और बाकी का बिजनस ले लिया जाय।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जो सदन के नेता महोदय ने और प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने बिजली की समस्या के बारे में जिक्र किया, निश्चित रूप से इस प्रदेश में और इस देश में बिजली की कमी है, विशेष तौर से इस प्रदेश में कमी है उसके लिए, कोई जवाबदार और जिम्मेदार है तो मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष के और आज सदन के नेता हैं, उनकी दोनों की पार्टियां जिम्मेदार हैं। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता लेकिन जहां तक आज की इस डिबेट का सवाल है, निश्चित रूप से जिस तरह से आज प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यगण कर रहे, उसी तरह से आज सत्तापक्ष भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि किसकी मूंछ ऊंची रहे। न चिन्ता प्रतिपक्ष के कांग्रेस के माननीय सदस्यों को है कि राजस्थान की आबादी में जो 80 प्रतिशत किसान हैं उनकी समस्या का समाधान हो। अगर प्रतिपक्ष के नेता और उनके सदस्य और उनकी सरकार यह चाहती, अगर सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी भी यह चाहती तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि इस समस्या का समाधान आज तक हो जाता और उसका उदाहरण मैं जब भी चर्चा होगी, मैं विस्तार से दूंगा।

आज दोनों पक्ष, प्रतिपक्ष और सत्ता में बैठी हुई दोनों पार्टियों के केवल + + + किसान के लिए हैं बाकी केवल अपनी जिद, वह कहें कि पोस्टपोन हो जाय। मैं हमारे सदन के नेता महोदय से एक अनुरोध करना चाहता हूं केवल इसलिए कि जो माहौल गर्म हुआ है उसको शांत करने के लिए अगर कोई उपाय किये जाते, क्योंकि इस हाउस को चलाने में राजस्थान की साढ़े चार करोड़ जनता का पैसा खर्च हो रहा है उसका सदुपयोग हो सकता था और उसको मिनिमाइज किया जा सकता था। जो भी

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अमराराम)

उत्तेजित थे, हो सकता है, मैं नहीं मानता कि सब उत्तेजित थे लेकिन कुछ सदस्य (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, काम पूरा हो गया।

श्री अमराराम (धोद) : तो उनको मिनि-मॉइज किया जा सकता था। केवल मात्र राजस्थान की जनता के पैसे का मिसयूज इसलिए किया जा रहा है कि किसकी मूंछ ऊंची रहे, यही मुझे इस पर कहना है।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, एक मिनिट। अभी सदन के नेता महोदय ने वह बात मान ली जो प्रतिपक्ष सुबह से जिसके लिए एजिटेट कर रहा था। उनकी मांग एक ही थी कि मदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करदी जाय और उसके बाद बिजली की मांग शुरू कर दी जाय। मैं नहीं कहता, मैं भी उसको उचित नहीं मानता था कि हाउस को एडजोर्न किया जाय। यही बात सदन के नेता महोदय शुरू में कह देते तो दो घंटे, ढाई घंटे का समय सदन का मैं व्यर्थ नहीं कहूं तो ऐसा गया जिसका कोई उपयोग नहीं हो पाया (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : कोई सुन ही नहीं रहा था तो सदन के नेता महोदय क्या करें? कोई सुनना ही नहीं चाहता था। प्रतिपक्ष के लोग सुनना ही नहीं चाहते थे।

श्री शिवनाथ सिंह : आप हमारी तो सुन लो। हमारी भी सुन लो। इसलिए अन्त में सदन के नेता महोदय ने जो फैसला किया, स्वागत योग्य है और प्रतिपक्ष को शामिल करने के लिए आज की बिजली की डिबेट स्थगित कर दी, अच्छा होता शुरू शुरू में यह हो जाता तो दो घंटे, ढाई घंटे का समय व्यर्थ नहीं जाता मुझे इतना ही निवेदन करना है।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार।

श्री लक्ष्मण सिंह (अनुपस्थित), श्री माधोसिंह दीवान (अनुपस्थित)। श्री शैलेन्द्र जोशी (अनुपस्थित)। श्री जुबेर खान (अनुपस्थित)। श्री शांति कुमार धारीवाल (अनुपस्थित)। श्रीशिवनाथ सिंह। श्रीविष्णु मोदी (अनुपस्थित)।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शिवनाथ सिंह (मुंडा) : उपाध्यक्ष जी, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1995 जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय, यही मेरा इसमें प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष जी, इस बात को तो मैं स्वीकार करता हूं, पूरा देश स्वीकार कर चुका है कि ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण हो लेकिन यह जो बिल पेश किया गया है उसमें

(श्री शिवनाथ सिंह)

इस प्रकार की खामियां हैं, हो सकता है वह सरकार द्वारा जान-बूझकर रखी गयी हों या अंजाने में रखी गयी हों, पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हो चुके। सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइंस सामने आ चुकी और आरक्षण इतना विवादित मुद्दा है जो काफी लम्बे समय से चल रहा है। आरक्षण रिक्रूटमेंट के टाइम पर हो, चार आरक्षण प्रमोशन में हो और यह विवेचना सुप्रीम कोर्ट में बहुत हो चुकी है। मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल में कुछ मुद्दे हैं जैसे आपने संरक्षण दिया है, आरक्षण दिया है उसकी भाषा में आपको निवेदन करना चाहूंगा। यह है क्लॉज-3 10-बी इसमें जोड़ा जा रहा है—"Notwithstanding anything contained in the relevant law, as from the date of commencement of the Rajasthan Universities Teachers and Officers...." इसमें आपने रखा है सूटेबल कॅंडिडेट्स। अब सूटेबल कॅंडिडेट्स का कोई मापदण्ड नहीं है। अदर बैकवर्ड क्लासेज का अभी सम्पूर्ण निर्णय नहीं हो पाया है....(व्यवधान) कौन-कौन बैकवर्ड क्लासेज में आयेंगे? हमारे यहां एक अजीब परिपाटी चल गयी उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन बैकवर्ड में हमने जाति को महत्व दिया और आर्थिक दृष्टिकोण, जिसके लिये हमेशा से एक दृष्टिकोण रहा कि आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिये, राजनीति में भी और सर्विसेज में भी। लेकिन यहां उस बात को नजर अन्दाज किया जाकर आरक्षण जातियों के आधार पर मान लिया गया। आज भी बहुत-सी ऐसी जातियां हैं जो उस सूची में पूरी नहीं आ पायी हैं उसके लिये सरकार क्या कर रही है? उस आरक्षण की सूची को कब तक पूरी कर देंगे, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।

मैं एक और बात निवेदन करना चाहूंगा कि जब ओ. बी. सी. के लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं तो देश का एक मानवीय सिद्धान्त बन गया है कि ओ.बी.सी. में जो शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब की जातियां आ गयी हों, उनके अतिरिक्त भी समाज का एक ऐसा कमजोर वर्ग है जो आर्थिक दृष्टि से बहुत नीचे है, कमजोर है चाहे वह उन जातियों की श्रेणियों में नहीं आये हों उनके भी आरक्षण की आवश्यकता है। राजनीति में आप उनको आरक्षण मत दीजिये लेकिन जो आर्थिक क्षेत्र हैं, सर्विसेज हैं उनमें उस वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिये, यह मेरी मान्यता है। उन्हें मिलना चाहिये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि जो गरीब लोग हैं और तीन श्रेणियों में नहीं आते हैं उनके लिए भी मेरे ख्याल से यदि गलती नहीं करता हूं तो 10 प्रतिशत आरक्षण उनके लिए होना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रावधान इस बिल के अन्दर रखा जाना चाहिये था, क्योंकि यह समाज का एक ऐसा वर्ग है, किसी समय में यह जातियां ऊंची हो सकती हैं, मैं कोई विशेष आक्षेप नहीं करता।

(श्री शिवनाथ सिंह)

ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण जाति हमारी सिरमौर हुआ करती थी, आज भी सिरमौर होने की चेष्टा करती है लेकिन बहुत से लोग, बहुत से ऐसे युवा साथी, बेरोजगार युवा ऐसे हैं जो इस आरक्षण की प्रतीक्षा में हैं, कोम्पीटेंट हैं, योग्य हैं लेकिन आरक्षण का हथियार उन पर बराबर चला आ रहा है और वह साथी, वह युवक आज फ्रस्टेटेड हैं और फ्रस्टेटेड इसलिए हैं कि प्रावधान होते हुए भी उनका आरक्षण नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष जी, इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को भी आपको देखना चाहिए।

आज राजपूत जाति है। उसका एक इतिहास रहा है। उसमें भी ऐसी गरीब महिलाएं हैं जिनको खाने को आज रोटी नहीं है। हम उनको संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। यदि इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर लोग हैं उन लोगों के लिए भी इसमें थोड़ा बहुत प्रावधान होता तो कोई चपरासी लग सकता था, कोई फोर्थ क्लास सर्वेण्ट लग सकता था, पानी पिलाने वाला लग सकता था। लेकिन वह सब बातें आपने नहीं रखीं, उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया।

दूसरी खामी इस बिल में यह है, आपने प्रावधान रखा है रिक्रूटमेंट में और इस कंडीशन से कि योग्य प्रत्याशी मिलने पर उनका रिक्रूटमेंट किया जायेगा। अब योग्य प्रत्याशी कौन हैं, इसका मापदण्ड नहीं दिया गया है। क्वालिफिकेशन हो सकता है एम. ए. हो, फर्स्ट क्लास हो, सैकण्ड क्लास को आप रखें। लेकिन फर्स्ट क्लास में बहुत बड़ी कैटेगरीज है, सैकण्ड क्लास में बहुत बड़ी कैटेगरीज है, कितने-कितने मार्क्स किस-किस में हों। इसलिए एक व्यक्ति को यह कहकर उसे अलग रखा जा सकता है कि वह हमारे योग्यता मापदण्ड में नहीं आता है और यह फिर जो रिक्रूटमेंट करते हैं उस एजेंसी के सामने के सामने यह मामला जाता है। इसलिए आपको यह देखना पड़ेगा कि योग्यता का आधार क्या हो, योग्यता के मापदण्ड क्या हों और यह हो सकता है इस बिल में नहीं हो, लेकिन इस बात को देखना पड़ेगा। किसी एक उम्मीदवार को यह कहकर वापस नहीं जाना पड़े कि वे हमारे मापदण्डों में नहीं आते हैं। आज विश्व-विद्यालयों के सम्बन्ध में है, अध्यापक इसमें होंगे। उपाध्यक्ष जी, पर मेरी एक मान्यता यह और है कि राजनीति में संरक्षण-आरक्षण किसी को भी दिया जा सकता है, जो भी इस विधान सभा में चुनकर आयगा, योग्य हो जायगा, अपनी बात कहने के लायक हो जायगा। लेकिन कुछ सर्विसेज, कुछ स्थान ऐसे हैं जिनमें योग्यता का एक मापदण्ड हमको रखना पड़ेगा। यह विश्वविद्यालय हमारे देश के भावी कर्णधारों को निकालने वाली मशीन है और यदि वहां आरक्षण के नाम पर इस प्रकार के लोगों का रिक्रूटमेंट हो गया जो उस भावी पीढ़ी को उस सांचे में नहीं ढाल पायेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जायगा.. .(व्यवधान)। सुन तो लो, इसलिए यह मापदण्ड होने चाहिये.... (व्यवधान)। तिवाड़ी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा जिस लाइन पर आप लग गये उस लाइन

(श्री शिवनाथ सिंह)

पर आप लगे रहो। असेम्बली में क्या हो रहा है उस बात को छोड़ो। दो-तीन रोज में एक बार टी. वी. पर आ जाया करो। अच्छा रहेगा। एक कार्यक्रम आपने ले लिया उस कार्यक्रम को निभाये जाओ, हम आपके साथ हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं कि परमानेंट ही आऊं।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं ईमानदारी से आपके साथ हूं।

उपाध्यक्ष जी, बराबर आन्दोलन होते रहे। प्रमोशन में भेद-भाव बरता गया। रिक्रूटमेंट के नाम पर योग्य व्यक्ति नहीं मिले हैं इसलिए दूसरी श्रेणी के लोगों का रिक्रूटमेंट कर दिया जाता है। मेरी मान्यता यह है कि जब तक वह स्थान जिस वर्ग के लिए आरक्षित किये गये हैं उनमें यदि योग्य आशार्थी नहीं मिलते हैं तो उन स्थानों को खाली रखा जाय और जब तक योग्य व्यक्ति उस श्रेणी से नहीं आते हैं दूसरी श्रेणी के लोगों से उनको नहीं भरा जाये।

उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे उसी संदर्भ में मैंने कहा है कि आपके लिए हम स्थान सुरक्षित रखना चाहते हैं और यदि योग्य आशार्थी नहीं मिले तो दूसरों से उसको नहीं भरा जाना चाहिये। सन्तोष हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेरी मजबूरी है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अधिक समय नहीं लेते हुए एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रमोशन के लिए इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आन्दोलन होता है और वह लोग जो रिजर्वेशन के आधार पर रिक्रूटमेंट में चले गये हैं, सर्विसेज में चले गये हैं उनको बहुत लम्बा संघर्ष करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक मामले गये अदालतों में गये, सरकार से संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद में प्रमोशन का एक एवेन्यू उनके लिए खुला। तो यह जो ओ.बी.सी. का मामला है उसके बारे में सरकार की क्या नीति है? क्या रिक्रूटमेंट तक ही आप इसको सीमित रखना चाहते हैं या प्रमोशन एवेन्यूज में भी इस बात को ध्यान में रखना चाहते हैं। यह बिल में प्रावधान नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कि कोई जल्दी नहीं है और इस बात पर विचार कर लिया जाय, सबकी राय ले ली जाय और राय के बाद में संपूर्ण कानून, अच्छा कानून बन सके वह बनाने की चेष्टा की जाय।

अन्त में, मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूं कि जो समाज के अन्दर आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए भी आप संरक्षण का प्रावधान इसमें रखिये। आपने एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के लिए रख दिया। जो दस पर्सेण्ट का रिजर्वेशन आपने दूसरे के लिए हमारी मान्यता है उनके लिए भी इस बिल में प्रावधान कीजिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी (अनुपस्थित)। श्री रामनारायण मीणा (अनुपस्थित)। श्रीमती उजला अरोड़ा (अनुपस्थित)। श्री हरजीराम बुरड़क (अनुपस्थित)। श्री शिवकिशोर सनाढ्य (अनुपस्थित)। श्री हरि सिंह कुम्हेर (अनुपस्थित)। श्री अमराराम धोद।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार मैं समझता हूं कि किन्हीं मजबूरियों से ला रही है। जहां तक उन गरीब वर्ग को संरक्षण देने की बात है अगर सरकार, जो वर्तमान में राजस्थान में चला रहे हैं, और जिन्होंने पहले चलाई है वह वाकई में इन विश्वविद्यालयों में उनकी रहनुमाई करना चाहते तो यह स्थिति नहीं होती। पिछले सत्र में मैंने एक सवाल पूछा था, राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो राजस्थान का सबसे बड़ा और, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। वहां वास्तविक स्थिति यह है कि वहां शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन है, 28 प्रतिशत रिजर्वेशन है। लेकिन जहां तक रिक्रूटमेंट की बात है 28 प्रतिशत की बजाय मात्र 0.3 पर्सेंट रिक्रूटमेंट हुआ है। क्या राजस्थान में आज भी 48 साल की आजादी के बाद शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के योग्य प्रत्याशी, जिस तरह से इसमें रखा गया कि योग्य प्रत्याशी मिलने तक. क्या आज में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब व्यक्ति विश्वविद्यालय के व्याख्याता बनने के लायक नहीं हैं? लेकिन इनकी मानसिता जो रिक्रूटमेंट करने की नहीं है और इसमें भी यह रखना चाहते हैं कि केवल मात्र उनका प्रोविजन कर दिया जाय, उनको भरा नहीं जाय। अभी उदयपुरवाटी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे निश्चित रूप से पद खाली नहीं रखकर भर दिये जायं और रिक्रूटमेंट अगर निकलता है तो फुल्ली जो बैकलाग है उससे भर दिया जाना चाहिये। कहीं नहीं मिले, कोई ऐसा रिक्रूटमेंट हो हो सकता है, कोई नहीं आया है तो उसे खाली नहीं रखकर भर दिया जाय और जब भी और आवश्यकता हो, तो जितना बैकलाग है उससे पूरा का पूरा भर दिया एक विश्वविद्यालय में जितने विभाग हैं, वहां पहले शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का मैं समझता हूं कि फोर्थ क्लास से लेकर अपर क्लास तक का कोई भी रिक्रूटमेंट पूर्णतया नहीं है। और यह इस बात का द्योतक है कि केवल राजनैतिक कारणों से रिजर्वेशन तो कर दिया जाता है मगर उसको लागू नहीं किया जाता। यही हालत आज ओ.बी.सी. के अन्दर है। आज जहां रिजर्वेशन हम कर रहे हैं, जो सबसे एक्यूट है, टैक्निकल एजूकेशन है, मेडिकल में प्रोविजन नहीं है, इंजीनियरिंग में नहीं है और दूसरी जितनी भी टैक्निकल एजूकेशन हैं उनके अन्दर नहीं है तो इन चीजों को पूर्ण करने के लिए प्रोविजन होना चाहिये और जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, अगर हमने रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दिया और रिक्रूटमेंट पूर्ण नहीं करते हैं, तो सम्बन्धित अधिकारियों को पनिशमेंट का प्रोविजन भी इस एक्ट में होना चाहिये। यदि वह उसको पूरा नहीं करते हैं, तो उनको पनिश्ड किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है इस बिल के पीछे का प्रोविजन, इसके पीछे का मंतव्य यह है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं सामाजिक दृष्टि से और विशेषकर आर्थिक दृष्टि से कुछ अंशों में समाज के पिछले कई वर्षों से जो दबी रह गयी, जिनको चांसेज नहीं मिले उनको राज्य सरकार में और यूनिवर्सिटीज में निश्चित रूप से स्थान मिले इसी उद्देश्य को लेकर लाया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस बात को राजस्थान के कर्मचारियों के लिए बहुत पहले ही लागू कर दिया है। हम पहले करना चाहते थे, परन्तु सरकार चली गयी। कुछ उसकी व्यवस्थाएं थीं इसलिए राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए 21 प्रतिशत का आरक्षण ओ.बी.सी के बन्धुओं को लाने के मन्तव्य की दृष्टि से इस बात को किया गया। मैं तो चाहता था कि उदयपुरवाटी से आने वाले माननीय सदस्य इस बात के लिए राज्य सरकार का साधुवाद करते कि आज जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो 28 पर्सेंट का आरक्षण है सामाजिक दृष्टि से ये भी लोग पिछड़े हैं। राज्य सरकार में तो काम चालू हो गया, उनका आरक्षण हो गया। विश्वविद्यालय में भी उनको लागू कर दिया जाय इसके लिए उनको राज्य सरकार को साधुवाद देना चाहिये था। उन्होंने तो साधुवाद अपने शब्द में नहीं कहा लेकिन मान लेता हूं कि वह कह रहे हैं। किन्तु उन्होंने कुछ विषय उठाये हैं। उन विषय में निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बात उन्होंने कही है कि आरक्षण की पूरी सूची नहीं है। यह बात सच है। एक कमीशन बैठा हुआ है, एक जज के अधीन है पर यह प्रक्रिया तो लगातार चलने वाली है। केन्द्र सरकार की जो आरक्षित सूची है उस सारी सूची को, ओ.बी.सी. को राज्य सरकार ने ले लिया हमारे यहां की कुछ और जातियां जो कि ओ.बी.सी. में अदर बैकवर्ड क्लासेज में आना चाहती थीं, उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया हुआ है। उनकी स्क्रूटनी हो रही है। जुडिशियल रूप से एक-एक विषय में स्थिति को देखकर, वह बैकवर्ड नहीं है यह निर्णय लिया जा रहा है और इसलिए कुछ जातियां जिनका निर्णय होना बाकी है जो आज होगा, कल होगा, आगे होगा, चलता रहेगा और इसलिए उस बात की प्रतीक्षा करते हुए और जिन बैकवर्ड क्लासेज की सूची बन गयी है उनको भी महरूम रखा जाय, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने उनके लिए कदम उठाया है और विश्वविद्यालय के लिए कदम उठाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात अभी एलिजिबिलिटी की योग्यता की। लैक्चरर्स के लिए एलिजिबिलिटी कुछ अलग रहती है, रीडर्स के लिए कुछ अलग रहती है, प्रोफेसर्स के लिए कुछ अलग रहती है, इसलिए इसमें योग्यता शब्द प्रयोग किया

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

गया है और जिनकी क्वालिफिकेशंस पूर्व में निर्धारित है। इसलिए वह विचार प्रकट करना कि योग्यता से क्या मतलब है। आज योग्यता कह कर, जो-जो वहां एलिजिबिलिटी है उनकी क्वालिफिकेशंस की विभिन्न पदों का उसी प्रकार से उनका चयन हो इसी दृष्टि से इस बिल को लाने की व्यवस्था की गयी।

एक विषय प्रमोशन के लिए भी कहा गया। प्रमोशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की निश्चित रूप से डायरेक्शन है कि प्रमोशन में अभी इस बात का प्रावधान नहीं किया जाय। मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उदयपुरवाटी से आने वाले माननीय सदस्य को जिन्होंने कहा है कि इकोनोमिकली क्लासेज हैं उनका विचार किया जाय। भारतीय जनता पार्टी के इलैक्शन मेनिफेस्टो में हमने इस बात को कहा है। हम तो इस बात को चाहते हैं कि यह पब्लिक डिबेट का इश्यू बने। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस बात को आज हम चाहते हैं और जैसी उन्होंने भावना प्रकट की, उनकी भावना से मेरी पूरी सहमति है। धीरे-धीरे यह भावना, जो आज भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है और जिस नाते से हम अपनी भी तैयारी कर रहे हैं, और प्रदेश क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी बातों को मंगा रहे हैं। उसके साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि पब्लिक डिबेट का इश्यू बन कर पब्लिक में से यह बात इतने जोर से उठे ताकि इस बात को निश्चित रूप से लागू कर सकें और आगे लागू करेंगे मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। इसमें किसी प्रकार का संकोच करने वाली बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत छोटे से उद्देश्य को लेकर, किन्तु बड़े इम्पार्टेंट उद्देश्य को लेकर इस विधेयक को लाया गया है, फिर वह अध्यादेश का स्थान ले रहा है इसलिए जनमत जागृत करना, अध्यादेश आ गया आवश्यकता थी, अत्यन्त आवश्यकता थी उसी समय लागू हो गया। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य महोदय मेरे तर्क से सहमत होंगे और इस बिल को पास कराने में मुझे सहयोग देंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि "राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (अनुपस्थित)।
श्री अमराराम (धोद)।

(प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ)

प्रश्न यह है कि "राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी

(श्री उपाध्यक्ष)

(नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन), विधेयक 1995 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, प्रातः काल जिस समय सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रों का प्रश्न था उस समय कुछ विघ्न पैदा हो गया उसके कारण से एक लेखा-जोखा पेश नहीं कर सका. आपकी अनुमति हों, तो मैं उसको पेश कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 24वां प्रतिवेदन

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1992-93 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 31 अक्टूबर, 1995 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 14.47 बजे मंगलवार, 31 अक्टूबर, 1995 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।)

116

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 55 का विवरण

प्रधान मन्त्री रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1995-96 में माह सितम्बर, 1995 तक की
जिलेवार प्रगति का विवरण

क्र. संख्या	नाम जिला	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्रों की सं.	चयनित युवाओं/ बैंकों को प्रायोजित आवेदन पत्रों की संख्या	ऋण स्वीकृत युवाओं की संख्या	ऋण वितरण युवाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	408	746	587	50	—
2.	अलवर	545	1711	671	1	—
3.	बांसवाड़ा	273	410	368	35	—
4.	बाड़मेर	339	410	482	2	—
5.	भरतपुर	390	607	238	17	1

1	2	3	4	5	6	7
6.	भीलवाड़ा	375	908	453	142	—
7.	बारां	191	200	—	—	—
8.	बीकानेर	285	1404	58	3	—
9.	बून्दी	181	419	333	58	—
10.	चित्तौड़गढ़	350	770	431	111	7
11.	चूरू	374	436	542	64	—
12.	दौसा	200	340	334	76	—
13.	धौलपुर	176	264	116	7	—
14.	डूंगरपुर	206	270	213	63	—
15.	गंगानगर	320	1217	523	9	—
16.	हनुमानगढ़	300	816	310	33	—
17.	जयपुर	9 6	3517	1922	—	—
18.	जैसलमेर	81	215	159	10	—
19.	जालोर	270	86	40	8	—

1	2	3	4	5	6	7
20.	झालावाड़	226	1718	217	25	—
21.	जोधपुर	508	586	640	51	—
22.	झुन्झनूं	373	570	323	10	—
23.	कोटा	290	559	639	12	—
24.	नागौर	505	329	407	6	—
25.	पाली	350	320	448	58	—
26.	राजसमंद	196	378	296	28	—
27.	सवाई माधोपुर	463	1802	661	119	—
28.	सीकर	435	561	621	61	—
29.	सिरोही	155	187	162	34	—
30.	टोंक	231	627	346	29	—
31.	उदयपुर	488	697	746	38	—
	योग :	10400	23080	13316	1160	8

(119)

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा में बाढ़ से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति

56. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर में इस वर्ष बाढ़ से जान-माल एवं निजी तथा सार्वजनिक चल-अचल सम्पत्ति का नुकसान हुआ है? यदि हां, तो जानमाल निजी एवं सार्वजनिक चल-अचल सम्पत्ति के नुकसान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कोटा शहर में बाढ़ से हुई जान-माल तथा निजी चल-अचल सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति तथा प्रतिष्ठान को किस-किस रूप से क्षतिपूर्ति उपलब्ध करवायी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(3) कोटा शहर को भविष्य में बाढ़ से बचाने हेतु सरकार क्या कारगर कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां। कोटा शहर में दिनांक 26-8-95 को बाढ़ से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी तथा 718.988 लाख रुपये का नुकसान आंका गया जिसका विवरण परिशिष्ट–"अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(2) अतिवृष्टि के कारण आयी बाढ़ से मृतक एक व्यक्ति के परिवारजन को तथा मकान पूर्ण रूप से व आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण 78 व्यक्तियों को 65450/– रुपये की क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध करायी गयी है विवरण परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

(3) जी, हां।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्कालय में रखा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या 57

(स्थगित)

रामबाग (जयपुर) का गोल्फ मैदान

58. **श्रीमती बीना काक** (सुमेरपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में रामबाग क्षेत्र में गोल्फ कोर्ट की भूमि पर्यावरण की दृष्टि से हरा-भरा क्षेत्र है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की उक्त क्षेत्र को समाप्त कर बहुमंजिले व्यावसायिक काम्पलेक्स बनाने की योजना है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उपरोक्त गोल्फ कोर्ट को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित

(श्रीमती बीना काक)

करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) गोल्फ की भूमियां हरी-भरी होती हैं, परन्तु पर्यावरण की दृष्टि से हरी-भरी है या नहीं इसमें अलग-अलग राय हो सकती है इस सम्बन्ध में पर्यावरण विभाग ही निर्णय करता है।

(2) रामबाग क्षेत्र के जिस भाग पर भवन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है उसमें गोल्फ, क्षेत्र प्रभावित नहीं होता है, हालांकि प्रकरण में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) इस सम्बन्ध में भी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है, चूंकि कसैप्चुअल प्लान के अनुसार बनायी गयी योजना को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में 3 याचिकाएं विचाराधीन है और माननीय न्यायालय का इस सम्बन्ध में यथा स्थिति रखे जाने का आदेश हैं। अतः इस योजना के अनुसार कोई अग्रिम कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा नहीं की जा रही है।

यात्री वाहनों का अस्थायी परमिट

59. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विभाग द्वारा अस्थायी परमिट देने का प्रावधान है? यदि हां, तो उसका आधार क्या है?

(2) क्या ऐसे परमिट देते समय मार्ग व समय अवधि का निर्धारण परमिट में लिखा जाता है?

(3) क्या ऐसे परमिट द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की सूची मय वल्दीयत, स्थायी पता के ली जाती है?

(4) क्या स्थायी रूट परमिट की बसों को भी अस्थायी परमिट लेने पर उनके नियमित ट्रिप के रद्द कर देने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्या उदयपुर जिले की कोटड़ा एवं गोगुन्दा तहसील में चलने वाली बसों को अस्थायी परमिट दिये गये हैं? यदि हां, तो उसके क्या आधार रहे?

(5) क्या उक्त बसें उन्हें दिये गये अस्थायी परमिट के मार्ग पर ही चल रही हैं? यदि नहीं, तो विभाग ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी, हां। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 87(1) एवं 88(8) के अन्तर्गत अस्थायी विशेष अनुज्ञा-पत्र दिये जाने के प्रावधान हैं।

(2) जी, हां।

(3) मोटर वाहन अधिनियम की धारा 88(8) के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले विशेष अस्थायी अनुज्ञा पत्रों के साथ यात्रियों की सूची अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा मांगी जा सकती है।

(4) जी, नहीं। दिनांक 1-4-95 से 25-10-95 तक कोटड़ा एवं गोगुन्दा तहसील में नियमों के अनुरूप प्रार्थना-पत्र

(राज्य मन्त्री, यातायात)

प्राप्त होने पर 51 अस्थायी एवं विशेष परमिट जारी किये गये।

(5) यदि ऐसी वाहनें अपने अस्थायी अनुज्ञा-पत्र के मार्ग पर नहीं चलती पायी जाती हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

बंध बारेटा (भरतपुर) से जल रिसाव

60. **श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा** (बयाना) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बंध बारेटा (भरतपुर) में दरार पड़ गयी है एवं नहरों से पानी का रिसाव होकर नदी में फालतू पानी निकलता है ?

(2) नहरों के रिसाव को रोकने हेतु कितनी बार मरम्मत की गयी ? अब तक रिसाव नहीं रुकने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। बंध बारेटा में कोई दरार नहीं है। नहरें कच्चा हैं जिनमें रिसाव प्राकृतिक प्रक्रिया है। बांध एवं नहरों के कुछ स्थानों से लीकेज हो कर पानी नदी में जाता है।

(2) कच्ची नहरों में रिसाव स्वाभाविक है। रिसाव रोकने के लिए इन्हें पक्का करना पड़ता है। रिसाव रोकने के लिए अभी तक किसी भी नहर को पक्का नहीं किया गया है।

जिला बांसवाड़ा के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

61. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा की पंचायत समितियों के प्राथमिक विद्यालयों में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला परिषद् से चयन कर अध्यापकों की नियुक्ति सरकार कब तक करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि जिला परिषद् से चयन कर अध्यापकों की नियुक्ति नहीं होने पर ट्रेंड अस्थायी नियुक्ति के लिये पंचायत समितियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जिला परिषद द्वारा दिया जाता है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा की 7 पंचायत समितियों में 667 अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? पंचायत समितिवार सूची निम्न प्रकार है :—

(127)

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

नाम पंचायत समिति	अध्यापकों के रिक्त पदों की सूचना
1. बांसवाड़ा	65
2. घाटोल	93
3. पीपल खूंट	142
4. बागीदोरा	38
5. आनन्दपुरी	42
6. सज्जनगढ़	125
7. कुशलगढ़	162
	667

(2) अध्यापकों के चयन हेतु अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की जा चुकी है। साक्षात्कार कर नियुक्ति की कार्यवाही जारी है।

(3) जी, नहीं। क्योंकि वर्तमान में पर्याप्त ट्रेण्ड अध्यापक उपलब्ध हो जाते हैं एवं उनका चयन डी.ई.सी. द्वारा हो जाता है। अतः ट्रेण्ड अध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने प्रश्न ही नहीं होता है।

कोटा व बूंदी की ग्रीन बेल्ट भूमि का उद्योगों हेतु आबंटन

62. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मंडी) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा और बूंदी में औद्योगिक क्षेत्र होने के उपरान्त भी आर. टी. एक्सपोर्टर उद्योग, सेमकोर टी. वी. ट्यूब, कोठारी सोयाबीन कुसुम सोयाबीन उद्योगों को ग्रीन बेल्ट में भूमि दी गयी है ?

(2) यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा एवं बूंदी में औद्योगिक क्षेत्र निर्धारित किये हैं। कोटा में कोठारी सोया प्रा. लि. एवं कुसुम एग्रोटेक लि. की भूमि ग्राम ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है, जो ग्रीनबेल्ट में नहीं आती है। इन इकाइयों द्वारा कृषि भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराया गया है। मैसर्स सेमकोर ग्लास लि. कोटा एवं मैसर्स आर. टी. एक्सपोर्ट लि., बूंदी को भूमि राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा "ग्रीन बेल्ट" से 'औद्योगिक प्रयोजन" हेतु उपयोग करने की स्वीकृति के उपरांत आबंटित की गयी हैं।

(2) संपरिवर्तन एवं आबंटन की कार्यवाही राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ) नियम, 1961 राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 तथा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 के अन्तर्गत की गयी हैं। नियमों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

123

बाढ़ ग्रस्त भू-स्वामियों को राहत

63. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या अकाल एवं बाढ़ सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों को राहत पहुंचाने हेतु सरकार द्वारा राहत राशि प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी निर्देशों या नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।–

(2) क्या बाढ़ से क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए सिंचाई कुओं या नलकूपों के स्वामी किसानों को भी राहत दिये जाने बाबत सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। निर्धारित मापदण्ड दिनांक 26-8-92 की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–"क")

(2) वर्तमान में बाढ़ से क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए सिंचाई के कुओं या नलकूपों के स्वामी, किसानों के लिये सहायता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सहायता के कार्य मापदण्डों व दर आदि के पुनर्निर्धारण हेतु राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

परिशिष्ट "क"

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
RELIEF DEPARTMET

No. FB (1) RC/Flood/90/24/25/322-67 Jaipur, dated. 26-9-92

ORDER

The norms from flood relief are revised with effect from 15.7.92 as under :—

S.No.	Item	Unit	Present norms (Rs.)	Revised norms (Rs.)
1.	Ex-gratia payment to families of deceased Persons	Per deceased person	10,000	10,000
2.	Assistance for repair restoration of damaged houses :			
	(a) Partially damaged (pucca house)	Per unit	500	1,000
	(b) Partially damaged (kachha house)	Per Unit	200	500
	(c) Fully damaged.			
	1-Pucca house	Per Unit	1,750	3,500
	2-Kachha house with mud walls and tile roofs/corrugated sheets.	"	1,000	1,500

	3-Kachha House with mad walls and thatched roofs.	,,	500	1,000
3.	Gratuitous relief to adult.	Per head per day	4.00	5,00
4.	Gratuitous relief to child.	,,	2.00	3.00

Sd/
Spl. Secretary (Relief)

राजस्थान सरकार

सहायता विभाग

पत्रांक : एफ 8 (10) सेग्रा/बाढ़/90/28470-52 जयपुर, दिनांक 24-11-92

आदेश

अतिवृष्टि होने से सामान्यतः शुष्क रहने वाले स्थानों पर पानी एकत्रित होने के कारण उसी स्थान पर अवस्थित आवासीय मकानों को क्षति हो सकती है तथा वहां निवास करने वाले व्यक्तियों/परिवारों के लिये सुरक्षित स्थान पर निष्क्रमण की अस्थाई व्यवस्था भी करनी होती है। ऐसे प्रभावित परिवारों को बाढ़ से प्रभावित ही माना जावेगा तथा उन्हें इस विभाग के समसंख्यक आदेश एफ 8(1) बाढ़/90/24322-67 दिनांक 26.8.92 (प्रति संलग्न) के अनुसार यह सहायता 15.7.92 से देय होगी।

ह०/–
आयुक्त एवं शासन सचिव,
सहायता विभाग

पंचायत मुख्यालयों पर चीनी एवं कैरोसीन वितरण

64. **श्री रमाकान्त शर्मा (आनागाढ़ी)**: क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि चीनी एवं कैरोसीन आदि के वितरण के लिए प्रत्येक पंचायत में अलग से डीलर होना चाहिए ? यदि हां, तो जहां इस नीति की पालना नहीं हो रही है, वहां ऐसे मामलों में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

वर्तमान में चीनी एवं कैरोसीन आदि के वितरण के लिये प्रत्येक पंचायत में अलग डीलर नियुक्त करने की राज्य सरकार की नीति नहीं है।

दो हजार की जनसंख्या पर एक उचित मूल्य की दुकान खोलने की राज्य-सरकार की नीति है। अतः नीति की पालना नहीं होने एवं कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नगरपालिका भीण्डर व कानोड़ (उदयपुर) में रिक्त पद

65. **श्री गुलाबसिंह शक्तावत** (वल्लभनगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, भीण्डर एवं कानोड़ में विभिन्न स्तर के पद स्वीकृत हैं ?

(2) क्या स्वीकृत पदों के अनुसार इन नगरपालिकाओं में कर्मचारी नियुक्त हैं ? कर्मचारियों के नाम एवं पद की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) स्वीकृत पदों के अतिरिक्त कितने क्लर्क, नाकेदार, गार्ड एवं सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? ये कर्मचारी किस-किस पद पर कब से कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या नगरपालिका भीण्डर ने नाकेदार, गार्ड एवं सफाई कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया है ?

(5) क्या उक्त श्रेणी कर्मचारियों पर श्रम कानून की अवहेलना कर सेवा समाप्ति का निर्णय लिया गया ?

उत्तर

(1) नगरपालिका भीण्डर एवं कानोड़ के विभिन्न स्वीकृत पदों का विवरण संलग्न है।

(2) नगरपालिका भीण्डर एवं कानोड़ में स्वीकृत पदों से कम कर्मचारी नियुक्त हैं। कर्मचारियों के नाम मय पद की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) स्वीकृत पदों के अतिरिक्त कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

(4) नगरपालिका भीण्डर ने सब-नाकेदार व नाकागार्ड की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया है।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(5) जी, नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

वक्फ कमेटी, श्री गंगानगर

66. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्री गंगानगर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर शहर की वक्फ कमेटी का गठन दिनांक 29-11-1994 को एक वर्ष के लिये किया गया था ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही हैं कि राजस्थान वक्फ बोर्ड ने इस कमेटी को इसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही दिनांक 27–3–1995 को भंग कर नयी कमेटी का गठन कर दिया ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ;

(3) वर्ष 1994 में गठित कमेटी को समयावधि से पूर्व किस नियम के अन्तर्गत भंग किया गया, और क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान वक्फ बोर्ड के आदेश दिनांक 29-11-94 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। राजस्थान वक्फ बोर्ड के आदेश दिनांक 27-3-95 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) वक्फ अधिनियम, 1994 की धारा 16 एवं 42 के अन्तर्गत राजस्थान वक्फ बोर्ड की समिति के गठन एवं मुतवल्लिओं की नियुक्ति के अधिकार हैं। अधिनियम की धारा 43(2) के अन्तर्गत बोर्ड को मुतवल्लिओं को हटाने के अधिकार हैं।

बोर्ड ने उक्त कमेटी के गठन सम्बन्धी आदेश में यह स्पष्ट कर दिया था कि बोर्ड इस समिति में कभी भी संशोधन कर सकेगा। उक्त कमेटी के विरुद्ध शिकायत होने की वजह से वर्ष 1994 में गठित समिति को भंग कर नयी समिति का गठन कर दिया।

इस बारे में अध्यक्ष वक्फ बोर्ड ने अपील होने पर दिनांक 27-3-95 को गठित समिति के आदेश को वापस ले लिया तथा आदेश दिनांक 29-11-94 के द्वारा गठित समिति के आदेश को बहाल कर दिया।

(129)

राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फस् जलेब चौक, जयपुर (राज.)

क्रमांक –वक्फस्/कमेटी–गंगानगर/94 9232/1994 जयपुर, दिनांक 29/11/94

आदेश

श्रीगंगानगर शहर की समस्त वक्फ जायदादों के इन्तेजाम व इन्सेराम के लिए मुन्दजों जैल ओहदेदारान व मेम्बरान पर मुशतमिल एक वक्फ कमेटी तशकील की जाती है –

1.	श्री कासिम अली कुरेशी	सदर
2.	,, मोहम्मद इस्माईल (टेलर)	नायब सदर
3.	,, मोहम्मद इसहाक पुत्र श्री रमजान कुरेशी	सैकेट्री
4.	,, गुलाब हसन मनीहार	ज्वाईन्ट सैकेट्री
5.	,, अमीर दीन लुहार	खजान्ची
6.	,, यासीन खाँ मनिहार	मेम्बर
7.	हाजी मोहम्मद हेयात खां	मेम्बर
8.	श्री बघेल खां (दूधवाला)	मेम्बर
9.	,, निजामुद्दीन दमानी	मेम्बर
10	,, अब्दुल रजाक कुरेशी	मेम्बर
11.	,, शहाबुदीन पुत्र श्री जमालुदीन	मेम्बर
12.	,, मुजाहिर (अशोक नगर निवासी)	मेम्बर
13.	,, लाल खां (एडवोकेट)	मेम्बर
14.	,, मुन्शी पुत्र श्री जमालुद्दीन	मेम्बर
15.	,, शकरूद्दीन पुत्र चोबदार, एडवोकेट (कानूनी सलाहकार)	मेम्बर

(130)

यह कमेटी हस्बे कानून व कायदा वक्फ बोर्ड काम करेगी व वक्फ बोर्ड की जवाबदेह होगी इस कमेटी की मियाद एक साल होगी अर्थात् मियाद दिनांक 15.11.95 को समाप्त होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के स्वतः समाप्त हो जायेगी। कमेटी अपना चार्ज बोर्ड को या बोर्ड द्वारा गठित कमेटी को देने के लिए बाध्य होगी, वक्फ एक्ट की धारा 31 व 32 की पालना के लिए भी बाध्य होगी बोर्ड इस कमेटी में कभी भी तरमीम व तन्सीख, कमी व इजाफा कर सकेगा। कमेटी अपना सालाना बजट बोर्ड में पेश कर मन्जूरी करवायेगी और किसी प्रकार का खर्च बिना पूर्व अनुमति बोर्ड नहीं करेगी।

निर्देशानुसार जारी किया गया।

ह०
सचिव
राज. बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ्स-जयपुर

राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फस जलेब चौक, जयपुर (राज.)

क्रमांक वक्फस/कमेटी/श्री गंगानगर/2521–2544/90 जयपुर, दिनांक 27/3/95

आदेश

पूर्व गठित वक्फ कमेटी इन्तेजामिया जामा मस्जिदमय मकानात प्लाट मदरसा (एफ ब्लाक, कब्रिस्तान, ईदगाह, कृषि भूमि माफी मस्जिद, 5 बीघा चक जेड श्रीगंगानगर एवं श्री गंगानगर शहर की समस्त वक्फ जायदाद के इन्तेजाम व इन्तेराम के लिए इस कार्यालय आदेश क्रमांक कमेटी/85 94 दिनांक 7-4.94 के तहत गठित की गई थी व श्री गंगानगर 9232/94 दिनांक 29-11-94 के तहत गठित की गयी थी उन्हें तुरन्त प्रभाव से भंग किया जाता है इसके स्थान पर उपरोक्त समस्त वक्फ जायदादी, आमा मस्जिद व एफब्लोक शहर गंगानगर के इन्तेजाम व इन्तेराम के लिए मुन्द्रजा जेल ओहदेदारान व मेम्बरान पर मुतकिल एक वक्फ कमेटी की तशकील की जाती है।

1.	श्री हुसैन बक्ष	सदर
2.	श्री अजीज लुहार	नायब सदर
3.	श्री अब्दुल मजीद	सक्रेटरी
4.	श्री चांद मोहम्मद	नायब सेक्रेट्री
5.	श्री हारून	खजानची
6.	श्री फैसल खान	नायब खजानची
7.	श्री जमील अहमद	मेम्बर
8.	श्री मोहम्मद ऊमर	,,
9.	श्री इकबाल छीपा	,,
10.	श्री जान मोहम्मद	,,
11.	श्री लीलू खान	,,
12.	श्री निजामुद्दीन	,,
13.	श्री कबीर दूध वाला	,,
14.	श्री फुल मोहम्मद सीका	,,
15.	श्री मोहम्मद ईसाक	,,

यह कमेटी हस्बे कानून व कायदा वक्फ बोर्ड काम करेगी व वक्फ बोर्ड को जवाब देह होगी। इस कमेटी की मियाद एक साल होगी अर्थात मियाद 27-3-96 को समाप्त होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के स्वतः समाप्त हो जावेगी। कमेटी अपना चार्ज बोर्ड को या बोर्ड द्वारा गठित अन्य वक्फ कमेटी को देने के लिए बाध्य होगी, वक्फ एक्ट की धारा 31, 32 की पालना के लिए भी बाध्य होगी। बोर्ड इस कमेटी में कभी भी तरमीम व तन्सीख, कमी व इजाफा कर सकेगा। कमेटी अपना सालाना बजट बोर्ड में पेश कर मन्जूर कर पायेगी और किसी प्रकार का खर्च बिना पूर्व अनुमति बोर्ड नहीं करेगी।

निर्देशानुसार जारी किया गया।

ह०
सचिव
राज. बोर्ड आफ, मुस्लिम वक्फ, जयपुर

यमुना जल समझौता

67. **श्री अरुण सिंह** (डीग) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) यमुना नदी के जल बंटवारे पर पांच राज्यों यथा; दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के लिये जो समझौता हुआ है, उसमें राजस्थान को कितना पानी उपलब्ध होगा ? समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) यमुना जल समझौता के अन्तर्गत अब तक सरकार की ओर से क्या क्रियान्विति हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) भरतपुर और उप-खण्ड डीग के लिए भरतपुर फीडर, गुड़गांवा कैनाल और डीग स्कैप से जल वितरण की क्या योजना बनायी गयी है ? ये नहरें इसके लिये सक्षम हैं, या नहीं ?

(4) क्या सरकार भरतपुर फीडर, गुड़गांवा कैनाल और डीग स्कैप से पानी लेने में सक्षम है ?

उत्तर

(1) यमुना नदी से राजस्थान को 1·119 बी सी. एम जल उपलब्ध होगा। समझौते की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) यमुना जल समझौते के तुरन्त बाद ही राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को आबंटित हिस्से के अनुरूप यमुना जल दिलवाने का अनुरोध किया गया। विभिन्न बेसिन राज्यों में यमुना जल के आबटन के अनुरूप जल नियमन हेतु गठित अपर यमुना रिवर बोर्ड की विभिन्न बैठकों में भी राज्य को हिस्सा दिलाने हेतु राज्य द्वारा अपना पक्ष रखा गया। अपर रिवर यमुना बोर्ड द्वारा राज्य को अप्रैल, 95 से 15-5-95 तक 100 क्यूसेक, 16-5-95 से 5-7-95 तक 290 क्यूसेक तक 16.5.95 से 5-7-95 तक 290 क्यूसेक तथा 6-7-95 से 31-10-95 तक 350 क्यूसेक जल आबंटित किया गया।

(3) भरतपुर और उपखण्ड डीग के लिये भरतपुर फीडर एवं गुड़गांवा कैनाल द्वारा सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है। डीग स्कैप को केवल पेयजल आपूर्ति हेतु ही उपयोग में लिया जायेगा। यह नहरें इनकी क्षमता के अनुरूप जल लेने में सक्षम हैं।

(4) जी, हां।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार

68. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1 क्या यह सही है कि राजस्थान पंचायती राज संस्था अधिनियम के तहत अभी तक नियम सरकार ने नहीं बनाये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? अब ये नियम कब तक बनाकर लागू किये जायेंगे ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) क्या यह भी सही है कि भारत के संविधान के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं को सरकार ने अभी तक कोई प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार नहीं दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों, तथा कब तक यह अधिकार दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियम बनाये जा रहे हैं जैसे ही नियम बन जायेंगे उन्हें लागू किया जायेगा। अब तक सत्तर प्रतिशत नियम बनाने का कार्य सम्पादित हो चुका है।

(2) पंचायती राज संस्थाओं को ज्यादातर अधिकार भारत के संविधान के अनुसार ही दिये गये हैं। जहां तक और अधिकार देने का प्रश्न है, राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। निर्णय होने पर अधिकार दिये जायेंगे।

औद्योगिक क्षेत्र, निवाई

69. **श्री बनवारीलाल बैरवा** (निवाई) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निवाई क्षेत्र में रीको नया औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस औद्योगिक क्षेत्र से कितने काश्तकार प्रभावित होंगे तथा उनका पुनर्वास करने की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी, हां। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-अ)

(2) इस औद्योगिक क्षेत्र की भूमि-अवाप्ति से 70 काश्तकार प्रभावित होंगे। इन काश्तकारों को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत मुआवजा दिया जायेगा।

135

विवरण

1. निवाई क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु रीको द्वारा ग्राम रूपवास तहसील निवाई, जिला टोंक की 36 बीघा 11 बिस्वा राजकीय भूमि एवं 371 बीघा 05 बिस्वा निजी खातेदारी भूमि का चयन किया गया है।

2. राजकीय भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने पर आवंटित की जायेगी।

3. निजी खातेदारी भूमि को अवाप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना दिनांक 15-9-94 को प्रसारित कर दी गयी है।

4. भूमि अवाप्ति अधिकारी, टोंक से अधिनियम की धारा 5-ए की रिपोर्ट के साथ धारा 6 की अधिसूचना प्रसारित करने के लिए अभिशंषा प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 24-8-1995 को प्रसारित की गयी है।

5. भूमि अवाप्ति अधिकारी, टोंक द्वारा सम्बन्धित खातेदारों को धारा 9(1)(3) के नोटिस बाबत मुआवजा मांग पेश करने के जारी हो चुके हैं।

6. अब भूमि के मुआवजे की राशि का अवार्ड तैयार करने की प्रक्रिया चालू है।

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के बाढ़ग्रस्त भवन

70. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इस वर्ष आयी बाढ़ तथा अतिवृष्टि मे कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में कच्चे व पक्के मकानात क्षतिग्रस्त हुए हैं ? इन मकानात की सर्वे प्रशासन ने किस माध्यम से करायी है ? क्या ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने भी प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष मकानात के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी है ? कुल कितने मकानात क्षतिग्रस्त हुए हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त क्षतिग्रस्त मकानात में से कितनों को सहायता सरकार ने उपलब्ध करायी है ? ग्रामवार सूची, दी गयी सहायता दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें ।

(3) ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को क्षतिग्रस्त मकानात को दी गयी सूचियों में से कितने लोगों को सहायता प्रदान नहीं की गयी है, और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । इस वर्ष गयी बाढ़ से तथा अतिवृष्टि से कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में कच्चे तथा पक्के 3299 मकानात क्षतिग्रस्त हुए हैं । ग्रामवासियों के कुछ प्रार्थना पत्र सरपंचों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को अग्रेषित किये थे । बाढ़ क्षति का सर्वे जिला प्रशासन के अधीनस्थ राजस्व अधिकारीगण, तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी तथा अध्यापकगण से करवाया गया था ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(3) ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष क्षतिग्रस्त मकानात की कोई पृथक सर्वे सूची प्रेषित नहीं की वरन् तहसीलों से प्राप्त सर्वे सूची की पुनः मौके पर जांच करवाकर क्षतिग्रस्त मकानों से लिए सहायता राशि वितरित की गयी ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नीमकाथाना (सीकर) में उचित मूल्य की दुकानें

71. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां किस किस को आबंटित की गयी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) स्वीकृत शुदा उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां चालू हो गयी हैं ? अन्य स्वीकृत शुदा दुकानें चालू नहीं होने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में उचित मूल्य की दुकानें जहां-जहां जिस जिसको आवंटित की गयी है, की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) सभी स्वीकृत शुदा उचित मूल्य की दुकानें चालू हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

इन्दिरा गांधी नहर लिफ्ट योजना से जिला झुन्झुनू को पेयजल वितरण

72 **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनू जिले में फ्लोराइड युक्त पानी को ध्यान में रखकर 120 गांवों तथा शहरों की इंदिरा गांधी नहर से लिफ्ट के जरिये पानी मुहैया कराने की योजना जर्मन सरकार के सहयोग से बनायी गयी है ? यदि हां, तो इसकी प्रगति के बारे में क्या सरकार संतुष्ट है ? यदि हां, तो कैसे तथा नहीं तो सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि झुन्झुनू जिले के इन गांवों को इस योजना से पानी मुहैया करवाने के लिये वर्तमान सरकार ने तीसरे फेज में डालने की तजवीज प्रस्तावित की है जबकि पूर्व में जोशी मंत्रि-मण्डल तथा माथुर मंत्रिमण्डल ने इसे राजगढ़, तारानगर तहसीलों के साथ ही रखने के प्रस्ताव बनाये थे ? यदि हां, तो किन कारणों से यह तब्दीली की गयी है ?

(3) इस योजना में जर्मन सरकार/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आर्थिक योगदान किस प्रकार निर्धारित किया गया है ? क्या जर्मन सरकार के प्रतिनिधियों ने इन क्षेत्रों का दौरा कर कार्य प्रारम्भ करने हेतु ताकीद की है तथा अपनी तकनीकी राय दी है ?

उत्तर

(1) जर्मन सरकार द्वारा नियुक्त कंसलटिंग एजेन्सी ने क्षेत्रों की पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुए कुल 956 ग्राम 11 शहरों के लिये एक पेयजल योजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनायी थी। योजना में झुन्झुनू जिले के 96 ग्राम और 1 कस्बा सम्मिलित थे। योजना की अन्तरिम लागत रु 847.80 करोड़ आंकी गयी थी। संसाधनों की सीमा को ध्यान में रखते हुए कंसलटिंग एजेंसी द्वारा योजना का प्रथम चरण 325 ग्रामों एवं 2 कस्बों हेतु प्रस्तावित किया गया जिसकी लागत रु. 253.01 करोड़ आंकी गयी। इस प्रथम चरण की स्वीकृति जुलाई, 1994 में जारी की गयी इसमें झुन्झुनू जिले का कोई ग्राम सम्मिलित नहीं है योजना पर कार्य किया जा रहा है। योजना पर वर्ष 1994-95 तक 728 लाख रु. खर्च किया जा चुका है व वर्ष 1995-96 में 1625 लाख रु. खर्च करना प्रस्तावित है। योजना की प्रगति सन्तोषजनक है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी नहीं, स्वीकृत प्रथम चरण में झुन्झुनूं जिले का कोई ग्राम नहीं है। योजना का प्रथम चरण संसाधनों की सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुरूप स्वीकृत किया गया है।

(3) योजना अन्तर्गत के तकनीकी कार्य हेतु राज्य सरकार 25 प्रतिशत धनराशि लगायेगी, शेष 75 प्रतिशत जर्मन सरकार से सहयोग/ऋण के रूप में प्राप्त होंगे। क्षेत्र में जन सहयोग को प्रोत्साहन देने का कार्य एवं तकनीकी कंसलटेशन कार्य हेतु धनराशि जर्मन सरकार द्वारा शत-प्रतिशत सहयोग के रूप में दी जानी है। योजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट जर्मन सरकार द्वारा नियुक्त जर्मन एवं भारतीय कंसलटेन्ट्स के कन्जोरटियम के द्वारा बनायी गयी है। योजना पर कार्य करते समय भी उक्त कन्जोरटियम के प्रतिनिधि तकनीकी सहयोग कर रहे हैं।

हाड़ौती क्षेत्र की नदियों में नाव चलाने हेतु स्वीकृति

73. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) हाड़ौती सम्भाग के कौन-कौन से स्थान हैं जहाँ बरसात में रियासतकाल में बनी रपटों पर पानी आ जाने के कारण वाहनों का आना-जाना बन्द हो जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गत दो वर्षों में नदी व नालों में वाहनों के बह जाने के कारण इस संभाग में लोगों की मृत्यु हो गयी है ?

(3) क्या यह सही है कि वाहनों के वर्षा ऋतु में बन्द हो जाने पर गत वर्ष तक यातायात विभाग अनेक स्थानों पर नाव चलाने के परिमिट जारी करता रहा है ? यदि हां, तो उन सभी की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) इस वर्ष विभाग ने नाव चलाने के कितने लाइसेंस जारी किये हैं ?

उत्तर

(1) विभागीय सूचनानुसार हाड़ौती संभाग में बरसात में जिन मार्गों पर पानी आ जाने से वाहनों के बह जाने से वाहनों का आना जाना बन्द हो जाता है, की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) हाड़ौती सम्भाग में गत दो वर्षों में नदी व नालों में वाहनों के बह जाने के कारण 28 लोगों की मृत्यु हुई। मृतकों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। गत वर्ष तक कोटा सम्भाग में परिवहन विभाग द्वारा पानी के कारण रास्ते बन्द होने पर नाव चलाने के लाइसेंस निम्न स्थानों के लिये जारी किये गये हैं :—

1. चौसाघाट
2. गणेशघाट
3. बोरदाघाट

(राज्य मंत्री, यातायात)

4. मज़रावदाघाट
5. कल्याणपुरा
6. बागलीघाट
7. ढिबरीघाट
8. चंदाघाट
9. कैथूदाघाट
10. सूरथाक
11. बूगोरमाताजी की घाट
12. घानाहेंड़ा
13. बडोदघाट
14 निमोदा
15. बिसलाई
16 किशनपुरा
17. जगमनिछर तालाब कोटा
18. वाक्याघाट
19. कालाटोल
20. ककरावंदा
21. उमरावदा
22. घोरड़ाकलां
23. घारोदघाट
24. छीपाघाट
25. मियानीघाट
26. गंताघाट
27. रेलवदा से चूरेलियाघाट
28. महादेवघाट
29. जेठसागर बून्दी
30. चम्बल गार्डन
31. सन्याघाट

(4) वर्ष 1995-96 में विभाग द्वारा कोटा परिवहन क्षेत्र में नावो को कोई लाइसेंस जारी नहीं हुआ।

क्र.सं.	मार्ग का नाम	नदी/नाला आदि का नाम जिन पर पर्याप्त ऊंचाई की पुलिया न होने/रपट आदि होने के कारण अधिक पानी आ जाने से रास्ता बन्द हो जाता है
1.	कोटा-बारां-शिवपुरी-ग्वालियर झांसी	1. काली सिन्ध नदी 2. अन्ता नाला 3. पार नदी 4. कुनु नदी
2.	कोटा-सुल्तानपुर-इटावा-खातोली-श्योपुर-बड़ौद	1. मुंडला का नाला 2. मारवाड़ चौका नाला 3. बड़ौद नदी 4. खातोली नदी
3.	कोटा-सांगोद	1. करवास के पास आजादपुरा नदी 2. देवली के पास देवली का खाल
4.	कोटा-झालावाड़-उज्जैन-इन्दौर तथा भोपाल	1. तीनधार (काली सिन्ध नदी) 2. इकलेरा के पास अरनियां नदी
5.	बून्दी-तालेड़ा-कोटा	1. तालेड़ा नदी
6.	बारां-बपावर-झालावाड़	1. बारां चौकी से 20 कि.मी. बाद स्थित नदी
7.	बारां-इकलेरा-वाया-छीपा-बड़ौद	1. कलमोरियां चौराहे के पास परवन नदी
8.	झालावाड़ाखानपुर	1. काली सिन्ध नदी पर मुन्डेरी पुलिया पर

(१५)

1	2	3
		2. गोलाना की नदी
		3. नागोनियों की नदी
9.	इकलेरा-मनोहरथाना	1. लहास नदी
		2. छोटी परवन नदी
10.	भवानीमण्डी-डग-चोमेहला	1. सिलेगढ़ की नदी
		2. कुरावत की नदी
		3. पगारिया की नदी
		4. गंगाधार काली सिन्ध नदी
11.	बून्दी-खटकड़	1. बासोली नदी

मृतकों की सूची

1. श्री ईश्वर लाल पुत्र श्री भंवरलाल मेड़ता उम्र 55 वर्ष ग्राम गुहाल, पोस्ट केलवाड़ ।
2. श्री मथुरालाल मेड़ता पुत्र श्री मोती लाल मेड़ता उम्र 50 वर्ष ग्राम कटकड़ पोस्ट केलवाड़ा ।
3. श्री शिशुपाल पुत्र श्री प्रभुलाल मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी पलायथा ।
4. ,, सत्यनारायण पुत्र श्री कल्याण सोनी उम्र 33 वर्ष निवासी शाहबाद बारां ।
5. ,, राजेन्द्र श्रृंगी पुत्र श्री गोपाल लाल श्रृंगी उम्र 35 वर्ष ।
6. ,, रतनलाल पुत्र श्री रामलाल खींची उम्र 25 वर्ष किशनगंज ।
7. सुश्री मोनिका पुत्री श्री घनश्याम बैरागी उम्र 8 वर्ष भंवरगढ़ ।
8. श्री दीपक पुत्र श्री घनश्याम बैरागी उम्र 5 वर्ष ।
9. ,, श्रीनिवास झा ठेकेदार निवासी अजीतपुरा बालाजी की बगीची बारां
10. ,, मोहनलाल पुत्र श्री रामकिशनजी आयु 50 वर्ष ।
11. श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री रामप्रसाद जाति कुम्हार आयु 30 वर्ष अन्ता
12. श्री दौलतराम पुत्र श्री अज्ञात जाति मीणा आयु 26 वर्ष मांगरोल ।
13. ,, इकलाक पुत्र श्री नजीर मोहम्मद आयु 30 वर्ष श्रमिक कालोनी, बारां
14. ,, बन्टी पुत्र श्री रामप्रसाद कुम्हार आयु 3 वर्ष अन्ता
15. ,, रमेश पुत्र श्री सुवालाल आयु 40 वर्ष, केलवाड़ा
16. ,, सियानन्द वर्मा पुत्र श्री अज्ञात निवासी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा रावतभाटा ।
17. श्री संजय कुमार सक्सैना पुत्र श्री इन्द्र सेन सक्सैना आयु 30 वर्ष
18. ,, चन्द्रप्रकाश शर्मा पुत्र श्री के. एल. शर्मा आयु 57 वर्ष, दादाबाड़ी कोटा
19. ,, मनीष खत्री पुत्र श्री एम. खत्री आयु 25 वर्ष
20. ,, दीपक सक्सैना पुत्र श्री दिनेश सक्सैना आयु 27 वर्ष
21. ,, देवीसिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह जिला मन्दसौर, मध्य प्रदेश

22. श्री मोहन सिंह पुत्र श्री किशन सिंह जिला मन्दसौर, मध्य प्रदेश

23. श्रीमती दाऊ बाई पत्नी श्री भंवर लाल लुहार आयु 25 वर्ष निवासी मटरन

24. श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी श्री प्रभुलाल लुहार आयु 38 वर्ष निवासी मटरम

25. सुश्री माना बाई पुत्री श्री प्रभुलाल लुहार आयु 5 वर्ष निवासी मटरम

26. श्री नाथूलाल पुत्र श्री मुरलीधर छीपा आयु 35 वर्ष निवासी देवरी

27. श्री तोरनलाल पुत्र श्री रूपचन्द निवासी फतेहपुर

28. श्री बाबूलाल ड्राइवर पुत्र श्री हलकीराम जाटव आयु 30 वर्ष निवासी शिवपुरी

144

अन्तरराज्यीय नदी जल समझौता

74. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अन्तरराज्यीय नदी जल समझौतों के तहत किस-किस समझौते के तहत प्रदेश का पानी का हिस्सा कितना-कितना निर्धारित हुआ है ? और वर्तमान में कितना-कितना पानी प्राप्त हो रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समझौतों के तहत निर्धारित हिस्से से कम पानी प्रदेश को प्राप्त हो रहा है और कितना-कितना पानी किस-किस समझौते के तहत कम मिल रहा है तथा क्यों, एवं पूर्ण हिस्से का पानी प्राप्त किये जाने के लिये क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अन्तरराज्यीय नदी जल समझौते के तहत प्राप्त हो रहे पानी से प्रदेश के कुल कितने हिस्से में सिंचाई होनी चाहिये और वर्तमान में वास्तव में कितने क्षेत्र में हो रही है और वर्तमान में कम क्षेत्र में सिंचाई होने के कारण क्या है ?

(4) क्या सरकार ने इस आशय का कोई सर्वे करवाया है कि उक्त समझौतों के तहत मिल रहे पानी में से कितना पानी व्यर्थ बहकर चला जाता है ? यदि हां, तो उस पानी को रोके जाने अथवा काम में लिये जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं, अथवा उठाये जाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अन्तरराज्यीय नदी जल के विभिन्न समझौतों के तहत प्रदेश के पानी का निर्धारित हिस्सा परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया हैं वर्तमान में मिल रहे पानी की मात्रा परिशिष्ट "ब" में दर्शायी गयी है।

(2) जी नहीं, रावी व्यास, सतलज, चम्बल एवं माही का पानी निर्धारित हिस्से के अनुसार मिल रहा है। नर्मदा जल गुजरात में निर्माणाधीन नर्मदा नहर के पूर्ण होने पर वर्ष 1999 में राजस्थान को प्राप्त हो सकेगा। यमुना जल प्राप्ति अप्रेल, 1995 में प्रारम्भ हुई है, अतः जल-वर्ष की समाप्ति पर ही कुल प्राप्ति का आकलन हो सकेगा। नर्मदा जल एवं यमुना जल के प्राप्ति के लिये किये गये प्रयास का विवरण परिशिष्ट "स" पर है।

(3) वांछित सूचना परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(4) जी, नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को चयनित वेतनमान

75. **श्री जितेन्द्र नीनामा** (घाटोल) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1968 से पूर्व राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा

(श्री जितेन्द्र नीनामा)

चयन आयोग जयपुर द्वारा जिन तृतीय श्रेणी अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं का चयन किया गया उनमें से कितनी अध्यापिकाएँ बांसवाड़ा जिले में हैं ?

(2) क्या उनको दो वर्ष बाद उक्त पद पर स्थायी कर दिया गया था ?

(3) क्या उन्हें, 9, 18, 27 वर्ष का चयनित वेतनमान देने हेतु अवधि की गणना नियुक्ति दिनांक से की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 1968 से पूर्व का चयनित कुल 46 अप्रशिक्षित अध्यापिकाएं बांसवाड़ा जिले में हैं।

(2) जी, हां।

(3) अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को 9, 18, 27 वर्ष का चयनित वेतनमान का लाभ उन्हें उनके कार्यग्रहण की दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के पश्चात् उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ 9 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर देय है।

उदयपुर संभाग में अकाल राहत कार्य

76. श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के कई जिलों/तहसीलों में इस वर्ष सितम्बर माह में वर्षा की कमी से फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है ?

(2) क्या सरकार उक्त जिलों/तहसीलों में जिला कलेक्टरों को निर्देश देकर जिन्सवारी करवाने का विचार रखती है ?

(3) सरकार उक्त जिलों में अकाल राहत कार्य कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने उदयपुर सम्भाग में नवम्बर, माह में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा की है ?

उत्तर

(1) फसल खराबे की गिरदावरी करवायी जा रही है। गिरदावरी के बाद ही फसल खराबे की सही सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। कुछ इलाकों में वर्षा की कमी के कारण फसल प्रभावित होने की सम्भावना है।

(2) जी, हां।

(3) गिरदावरी की जिलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही इसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

(4) प्रभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के पश्चात् अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।

राज्य में चुंगी की समाप्ति

77. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(146)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा चुनावों के समय भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में चुंगी समाप्त करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो क्या चुंगी समाप्त करने की सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या प्रदेश में चुंगी ठेके पर वसूल करने की कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो किन-किन नगर परिषदों एवं नगरपालिकाओं में ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार चुंगी समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

(4) क्या ठेके पर चुंगी वसूली से सम्बन्धित मामलों में शिकायतें या ज्यादतियों की जानकारी सरकार को मिली है ? यदि हां, तो ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । चुंगी कर समाप्त करने के लिये भारतीय जनता पार्टी द्वारा 14-2-90 को स्व. श्री मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में चुंगी समाप्ति के लिए और उसको वैकल्पिक व्यवस्था पर रिपोर्ट देने के लिये समिति का गठन किया गया था । समिति की अन्तरिम रिपोर्ट फरवरी, 1992 में प्राप्त हो गयी थी । इस रिपोर्ट के विचाराधीन रहते हुए भारत सरकार द्वारा चुंगी समाप्ति के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट में चुंगी समाप्त नहीं करने की सिफारिश केन्द्र सरकार को की गयी । स्व. श्री मथुरादास माथुर समिति को रिपोर्ट में चुंगी के तीन विकल्प सुझाये गये :—

1. प्रवेश कर
2. बिक्री कर पर सरचार्ज
3. टर्न ओवर टैक्स

इन तीनों विकल्पों पर सभी व्यापारिक संगठनों, नगरपालिकाओं, नाकों के कमचारियों तथा राज्य सरकार अभी तक एक नहीं हुई है । इसके अतिरिक्त चुंगी समाप्त करने का बहुत ही बेहतर तरीका भारत सरकार चुंगी से होने वाली आय की आपूर्ति विशेष अनुदान के रूप में किये जाने का सुझाव है । जिस पर केन्द्र सरकार रजामन्द नहीं है । नगरपालिकाओं को चुंगी कर से होने वाली आय ही बड़ी नगरपालिकाओं में लगभग 70–75% तथा छोटी नगर पालिकाओं को 90–95% तक आय चुंगी से होती है ।

अतः चुंगी समाप्ति पर अभी राज्य सरकार का अन्तिम निर्णय होना शेष है ।

(2) जी, हां । जिन नगरपालिकाओं में चुंगी ठेके चालू हैं उनकी की सूची सदन मेज पर रख दी गयी है ।

(3) इस प्रश्न का उत्तर भाग 1 के उत्तर में सम्मिलित है ।

(4) जी, हां । कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । जिन्हें निपटाया जा चुका है । ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

147

नगरपालिका की सूची जहां चुंगी ठेका चालू है

क्र. सं.	नगर परिषद/पालिका	वर्ष 93–94 की चुंगी की वास्तविक आय	अन्तिम नीलामी बोली (रु. लाखों में)
1	2	3	4
1.	हिण्डोन सिटी	77.22	142.21
2.	कोटपूतली	23.38	75.00
3.	केसरीसिंहपुर	13.08	37.00
4.	नोहर	36.76	76.00
5.	श्री करणपुर	22.91	51.00
6.	श्री रावतसर	32.75	78.00
7.	सगरिया	43 30	90 00
8.	श्रीविजयनगर	33.41	55.16
9.	गंगापुरसिटी	54.17	90.16
10.	नागौर	72.70	168.10
11.	सवाईमाधोपुर	71.62	126.01
12.	दौसा	54.57	121.01
13.	तारानगर	11.53	28.01
14.	रामगढ़-शेखावाटी	8.78	16.63
15.	सूरजगढ़	11.78	75.00
16.	उनियारा	4.75	18.00
17.	चाकसू	34.00	75.00
18.	सीकर	148.91	414.01
19.	जालोर	34.41	72.91

शिकायतों का विवरण

क्र.सं.	नगरपरिषद/पालिका	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही
1	2	3	4
1.	नागौर	बारदाने पर चुंगी के सम्बन्ध में।	दिनांक 6–6–95 को स्पष्टीकरण भेजा गया।
2.	नागौर	रेडीमेड वस्त्रों पर चुंगी बाबत।	दिनांक 6–6–95 को स्पष्टीकरण भेजा गया।
3,	जालौर	चुंगी उप नाका के सम्बन्ध में।	दिनांक 31–8–95 को पत्र भेजकर निपटाया गया।
4.	दौसा	केरोसीन पर चुंगी के सम्बन्ध में।	इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी नगरपालिका दौसा से विस्तृत जानकारी मंगवायी जा रही है।

1	2	3	4
5.	दौसा	खाद पर चुंगी के सम्बन्ध में।	इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी नगरपालिका दौसा के विस्तृत जानकारी मंगवायी जा रही है।
6.	दौसा	किराना व सूखे मेवे, साड़ियां, कन्फैक्शनरी इत्यादि पर चुंगी के सम्बन्ध में।	इस सम्बन्ध में चुंगी संग्रहण ठेकेदार को निदेशालय में बुलवाकर मौखिक निर्देश भी दिये गये है।
7.	विजयनगर (श्रीगंगानगर)	चुंगी नियमों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	दिनांक 16–9–95 को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण दिया गया।
8.	सवाईमाधोपुर	टेरीकाट, टेरीवूल पर चुंगी बाबत।	इस सम्बन्ध में दिनांक 13–10–95 को अधिसूचना जारी कर मामले को निपटाया गया।
9.	नवलगढ़	चुंगी अनुसूची के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	दिनांक 21–4–95 को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण दिया गया।
10.	नवलगढ़	चुंगी आफिस हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।	इस सम्बन्ध में चुंगी संग्रहण ठेकेदार को मौखिक निर्देश दिये गये।

1	2	3	4
11.	नवलगढ़	दो अतिरिक्त चुंगी संग्रहण केन्द्र स्थापित करने बाबत ।	इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी व ठेकेदार को निदेशालय में बुलवाकर मौखिक निर्देश दिये गये ।
12.	नवलगढ़	चैकिंग कमेटी के सम्बन्ध में ।	अधिशासी अधिकारी से इसकी रिपोर्ट मांगी गयी है ।

(151)

इन्दिरा गांधी नहर के अन्तिम चरण से सिंचाई

78. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या इन्दिरा गांधी नहर के अन्तिम चरण बाड़मेर जिले में पूर्व की योजना में जो गांव सिंचाई से लाभान्वित होने वाले थे उनमें कोई फेरबदल किया गया है ?

(2) अन्तिम चरण में से बाड़मेर जिले में से कौन से गांवों को सिंचित क्षेत्र में से निकाला गया है और कौन से नये गांवों को जोड़ा गया है ? दोनों सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) सिंचित क्षेत्र में से कोई गांव नहीं निकाला गया है। सिंचित क्षेत्र में निम्न गांवों को जोड़ने हेतु विचार है जिसके लिए सर्वेक्षण किया जाना है :—

1. पांचला
2. चान्दनिया
3. चोथियारी
4. मीनानी

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 89 का विवरण

नगर परिषद, जयपुर

स्वीकृति पत्र

प्रेषिती—श्री ठाकुर सुरेन्द्र सिंह मोरिजा
मोरिजा हाउस, रास्ता मिश्र राजाजी चौ. तोपखाना देश

संख्या—बुक नं. 3 सम्वत् 2051 दिनांक 28-11-94

प्रिय महोदय,

रास्ता./सड़क के वार्ड संख्या ......में स्थित भूखण्ड/मकान...... पर भवन (परिनिर्मित) (Erect) करने/पुन: परिनिर्मित करने/में परिवर्तन करने (ADD) परिवर्तन करने। विनिर्दिष्ट कार्य का निष्पादन करने के लिए स्वीकृति देने के लिए आपको नोटिस संख्या 36/2046 15-9-89 के संदर्भ में मुझे यह कहना है कि भवन अधिकारी द्वारा उसको तारीख 24-10-94 को निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन स्वीकार कर लिया गया है :—

1. निर्माण कार्य, इसके साथ संलग्न यथा विधि पृष्ठांकित तथा हस्ताक्षरित नक्शे/संशोधित नक्शे के अनुसार किया जायगा।

2. निर्माण के निम्नांकित चरणों पर आयुक्त को सूचना दी जायेगी :—

   (1) कार्य आरम्भ होने पर नगर परिषद् (भवन) उपविधियां 1970 के संलग्न अनुसूची 2 में।

   (2) कुर्सी की ऊंचाई निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर तथा भवन का ऊपर का ढांचा खड़ा करने से पूर्व जयपुर नगर परिषद् उपविधियां 1970 की अनुसूची 5 में।

   (3) कार्य पूर्णत: पूर्ण हो जाने पर उक्त उप-विधियों की अनुसूची 7 में।

(153)

3. मौके के किसी भी ओर विद्यमान चालू (LINE) विद्युत लाइन से से डेढ़ मीटर के अन्दर भवन का निर्माण नहीं किया जायगा ।

4. सैट बैंक के नियम के प्रवृत्त होने के परिणाम स्वरूप खाली की गई भूमि सार्वजनिक रास्ते का ही अंग होगी ।

5. भवन का परिनिर्माण या निर्माण कार्य का निष्पादन इस स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर-अन्दर आरम्भ कर दिया जायगा और प्रारम्भ करने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कर लिया जायगा। यदि निर्माण कार्य पूर्वोक्त अवधि में पूर्ण न हो, तो अनुज्ञा-पत्र की उपविधि के अनुसार पुनः वैध कराना होगा ।

6. अन्य शर्तें यदि कोई हो । माफिक पास शुदा नक्शों के अनुसार ही निर्माण कार्य कराया जाना । पूर्व दिशा की बालकोनी नहीं बनाई जावे ।

7. मुझे यह भी कहने का निर्देश मिला है कि स्वीकृति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 194 के साथ पठित धारा 170 के अधीन दी गई है और उक्त स्वीकृति सरकार, नगर परिषद या नगर सुधार न्यास या किसी भी अन्य स्थानीय सत्ता या किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है ।

1. व्यय राशि अन्तर (राशि)	10,25,980.00
2. व्यय तहखाना (राशि)	4,69,475.00
3. मलवा अमानता (राशि)	500.00
4. अन्वेषण फीस	250.00
5. W.C. फीस	350.00
6. गैट फीस	250.00
7. नक्शा फीस	10.00
	14,96,815.00

ह०
भवन अधिकारी,
नगर परिषद, जयपुर

154

परिशिष्ट-"अ"

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या-90 का विवरण.

अप्रेल से सितम्बर-1995 तक की ट्यूब लाइट, और मर्करी बल्ब की खरीद का विवरण

(अ) ट्यूब लाइट फिक्चर्स

क्रमांक	नाम फर्म	मात्रा	राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	मै. नवोम इण्डस्ट्रीज, जयपुर	500 नग.	1,65,000-00	निविदा में निम्नांकित फर्मों ने हिस्सा लिया (1) मै. फेयरडील्स, (2) मै. मोदी एन्टरप्राइजेज, (3) मै. नवीम इण्डस्ट्रीज, (न्यूनतम निविदादाता) (4) मै. सरोलिन इलेक्ट्रिक, (5) मैं. सन इलेक्ट्रिकल्स, (6) मैं. आई.वी.एस.टेक्नीलोजी, लि.

1	2	3	4	5
2.	मै. शिकोलाइट प्रा. लि. नयी दिल्ली	1800 नग	8,73,669–90	डी.जी.एस. एण्ड डी. दर व मापदण्डों पर।
		2300 नग	10,38,669–00	

(ब) सोडियम फिटिंग

क्रमांक	नाप फर्म	मर्करी वाट	मात्रा	राशि	विशेष विवरण
1.	2	3	4	5	6
1.	मै. जैन इण्डस्ट्रियल लाईटिंग कारपोरेशन नयी दिल्ली	70 वाट	480 नग	5,96,502–25	डी.जी.एस. एण्ड डी. दर व मापदण्डों पर
2.	मै. अरिस्टो लाईटिंग इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली।	70 वाट	500 नग	5,64,858–60	,, ,,
3.	मै. एटलस इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली।	150 वाट	300 नग	6,91,976–73	,, ,,

155

1	2	3	4	5	6	
4.	मै. केसलक लाईटिंग फिक्चर्स, नई दिल्ली ।	250 वाट	300 नग	6,77,510–00	,,	,,
			1380 नग	25,30,847–66		
(स) मर्करी बल्ब						
1.	मै. पाथोटेक लाईटिंग स्विचनियर्स, जयपुर	125 वाट	64 नग	9,856–00	सीमित निविदा ।	

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 92 का विवरण

जलमहल परियोजना पर नगर निगम द्वारा किये गये व्यय का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	परियोजना में प्रावधान लाखों में	94-95 तक व्यय लाखों में	95-96 में व्यय लाखों में	व्यय (कुल) लाखों में
1	2	3	4	5	6
1.	जल महल की मरमम्त	55.00	8.64	8.96	17.60
2.	हिंल एरिया में वृक्षारोपण	8.00	—	—	—
3.	सफारी पार्क का विकास	18.00	—	—	—
4.	जलमहल झील में मिट्टी खुदायी	172.00	21.93	18.21	40.14
5.	नलकूप तथा पाइप लाइन	15.00	—	—	—

1	2	3	4	5	6
6.	बोटिक डेक फव्वारें	30.00	—	—	—
7.	कंगूरा दीवार का निर्माण व सर्विस रोड, पार्किंग इत्यादि	15.00	—	—	—
8.	जलकुंभी हटाने का कार्य	3,50	0.30	—	0.30
9.	लैण्डस्कैप डिजाइन फीस	8.00	—	—	—
10.	एम्यूजमेन्ट पार्क का विकास	30.00	—	—	—
11.	ट्यूरिस्ट काटेज़ का निर्माण	15.00	—	—	—
12.	मछली प्रजनन पोन्ड	6.00	—	—	—
13.	सौन्दर्यकरण तथा पेड़ पौधे लगाने का कार्य	18.00	—	—	—
14.	विद्युतीकरण	30.00	—	—	—
15.	फ्लोटिंग पुल निर्माण	20.00	6.25	4.22	10.47

1	2	3	4	5	6
16.	सर्वेक्षण कार्य	2.00	—	—	—
योग		445.50	37.12	31.39	68.51
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की परियोजना		374.76	—	—	—
कुल योग		820.26	37.12	31.39	68.51

(159)

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 93 की सूची

ऋषि गालव नगर योजना में निरस्त भूखण्ड संख्या की सूची

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या
1.	468
2.	473
3.	484
4.	487
5.	547
6.	553
7.	557
8.	559
9.	535
10.	571
11.	577
12.	525
13.	586
14.	321
15.	239
16.	442
17.	559

161

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या
18.	540
19.	389
20.	426
21.	231
22.	244
23.	389
24.	371
25.	426
26.	416
27.	451
28.	455
29.	458
30.	459
31.	607
32.	589
33.	590
34.	592
35.	595
36.	612
37.	717
38.	718

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 95 का विवरण

क. संख्या	नियमितीकरण हेतु प्राप्त आवेदन व समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि	
	आवेदनों की संख्या	प्रकाशन तिथि
1.	17	25.2.94
2.	9	1.5.94
3.	7	7.7.94
4.	8	2.9.94
5.	16	20.12.94
6.	34	25.12.95
7.	51	25.2.95
8.	33	9.4 95
Total	175	

163

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 101 का विवरण

परिशिष्ट "क"

गत 15 दिनों में सप्लाई किये गये पानी की मात्रा का विवरण

क्रमांक	दिनांक	जवाहर नगर	सेतया कालोनी जी-ब्लाक मुकर्जी नगर हाउसिंह बोर्ड सुरजीतसिंह कालोनी	एल-ब्लाक पुरानी आबादी शास्त्री बस्ती	देवनगट
1	2	3	4	5	6
1.	1-10-95	75.5 एल. पी. सी. डी.	80 एल. पी. सी डी.	130 एल. पी. सी. डी.	0 एल. पी. सी. डी.
2.	2-10-95	76.0 ,,	78 ,,	135 ,,	0 ,,
3.	3-10-95	75 ,,	73 ,,	132 ,,	0 ,,
4.	4-10-95	70 ,,	76 ,,	130 ,,	0 ,,
5.	5-10-95	80 ,,	60 ,,	120 ,,	0 ,,

1	2	3		4		5		6	
6.	6-10-95	8[illegible]	एल.पी.सी.डी.	88	एल.पी.सी.डी.	135	एल.पी.सी.डी.	[illegible]	,,
7.	7-10-95	80	,,	75	,,	135	,,	0	,,
8.	8-10-95	80	,,	85	,,	130	,,	0	,,
9.	9-10-95	80	,,	05	,,	135	,,	0	,,
10.	10-10-95	70	,,	65	,,	120	,,	0	,,
11.	11-10-95	75	,,	70	,,	130	,,	0	,,
12.	12-10-95	75	,,	75	,,	135	,,	0	,,
13.	13-10-95	82	,,	75	,,	135	,,	0	,,
14.	14-10-95	81	,,	70	,,	13[illegible]	,,	0	,,
15.	15-10-95	73	,,	72	,,	135	,,	0	,,

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 113 का विवरण

परिशिष्ट - "अ"

क्र. सं.	नाम कृषक जिसे मुआवजा भुगतान नहीं हुआ	गांव का नाम	खसरा नं.	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा	किस्म जमीन	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कालू आ रामचन्द्र व कजोड़ आ. भागोता मीणा	दुगारी	1872	—	3	नहरी अवल	
2.	,, ,,	,,	1871	—	7	,,	
3.	रामनारायण आ भूरामीणा	,,	1870	—	1	,,	
4.	नारायण आ. हीरा रैगर	,,	1864	—	5	,,	

166

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	शोदत्त आ. रामनारायण ब्रा.	दुगारी	1865	—	1	नहरी अवल	
6.	पेमा आ. कालू व मन्ना आ चेना रैगर	,,	1850	—	1	,,	
7.	काना, नोला आ माधो माली	,,	1813	—	1	,,	
8.	नारायण आ ऊंकार माली	,,	1816	—	1	,,	
9.	काना, नोला आ. माधो माली	,,	1801	—	4	,,	
10.	काना, छोटा आ. माधो माली	,,	1795	—	1	बारानी अवल	
11.	खाना छोटा आ. माधो माली	,,	1794	—	3	चाही अवल	
12.	नोला आ माधो माली	,,	1772	—	6	चाही अवल	
13.	गोमा आ. दूध्या नाई	,,	1769	—	4	नहरी अवल	
14.	मु. काली वेवा ग्यारस्या माली	,,	1636	—	7	बरड़ा	
15.	सुवालाल, मोहनलाल, बृजसुन्दर आ. भंवरलाल ब्राह्मण	,,	1637	—	4	नहरी दोयम	
16.	कालू आ. रामचन्द्र हि. 1/4 कजोड़ आ. मागोता हि. 1/4 केसरा, भूरा, कल्याण आ. नैनक्या मीणा	,,	1634	—	11	नहरी अवल	

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	बरघा श्रा. कंवरा मीना	डुगारी	1635	—	1	नहरी दोयम	
18.	मियाला श्रा. मांगीलाल मीणा	,,	1631	—	9	,,	
19.	सुवालाल, मोहनलाल, बृजसुन्दर श्रा. भवरलाल ब्राह्मण	,,	1620	—	3	,,	
20.	,, ,,	,,	1617	—	2	नहरी अवल	
21.	बशीर श्रा. अल्लानूर हि. 4/5 रामजीवन श्रा. चन्द्रामाली हि. 1/5	,,	1606	—	8	चाही दोयम	
22.	भंवरलाल श्रा. भवानीशंकर प्रा.	,,	1604	—	2	नहरी होयम	
23.	बशीर श्रा. अल्लानूर हि. 4/5 रामजीवन श्रा. चन्द्रा माली 1/5	,,	1605	—	13	चाही दोयन	
24.	बशीर श्रा. अल्लानूर हि. 4/5 व रामजीवन श्रा. चन्द्रामाली हि. 1/5	,,	1591	—	10	,,	
25.	,, ,,	,,	1592	—	11	,,	
26.	बशीर आ. अल्लानूर हि. 4/5 रामजीवन श्रा. चन्द्रामाली हि. 1/5	,,	1594	—	1	नहरी दोयम	

167

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	मोती श्रा. रामा चमार	दुगारी	1330	—	5	बारानी सा.	
28.	काना, बरधा, रामनारायण श्रा. रघुनाथ बजरंगा, श्योजी श्रा. रामचन्द्र मीणा रामचन्द्र मीणा	भजनेरी (हरिपुरा)	1603	—	16	वा. च.	
29.	,, ,,	,,	1602	—	1	,,	
30.	श्री किशन श्रा. भारमल मीणा, लक्ष्मीपुरा	,,	1584	1	4	वा. च.	
31.	भूरा श्रा. रामकरण श्रा. नारायण मीणा	,,	531	—	5	वा च. प्रथम	
32.	पटिया श्रा. गोरया मीणा	,,	371	—	2	चा. I	
33.	हीरालाल श्रा. भूरसिंह राव	,,	56	—	2	चा. श्र.	
34.	मोविन्दजी, माधोजी, वेरीसालजी राव	,,	55	—	3	,,	
35.	नारायण श्रा. हीरा व पेमा श्रा. कालू रैगर	दुगारी	1421	—	1	वा. सो.	

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	किसना श्रा. तारा कोली	दुगारी	1419	—	2	वा. सो.	
37.	रामचन्द्र व भूरा श्रा. बख्तावर कोली	,,	1480	—	1	नहरी दोयम	
38.	,, ,,	,,	1457	—	11	,,	
39.	रामनिवास श्रा. जीतर बारेट	,,	1479	—	10	बीड़	
40.	,, ,,	,,	1453	—	1	न. दो.	
41.	,, ,,	,,	1454	—	11	न. दो.	
42.	,, ,,	,,	1555	—	8	न. दो.	
43.	श्रोंकार श्रा. कालू चमार	,,	4462	—	9	चा. II	
44.	,, ,,	,,	4461	—	10	,,	
45.	श्रोंकार, मौजी श्रा. कालू चमार	,,	4468	—	2	,,	
46.	,, ,,	,,	4469	—	1	वा. सो.	
47.	मोजी श्रा. लालु चमार	,,	4474	—	13	,,	
48.	,, ,,	,,	4477	—	15	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	मंदिर श्री ठाकुरजी गोपाललाल महाराज स्थान बूंदी	,,	4473	—	14	,,	
50.	सिवाय चक लगानी	बांसी	1409	2	8	बजड़ II	
51.	रघुनाथ ग्रा. बिसना माली	,,	2034		3	वा. सौ.	
52.	कल्याण भूरा, सुन्दरा ग्रा. माली	,,	2033	—	1	,,	
53.	जगन्नाथ रघुनाथ ग्रा. बिसना माली	,,	2032	1	3	,,	
54.	किसना ग्रा. सांवला मीणा	उरासी	17	—	11	बा. दो.	
55.	देव्या, माधो, रोड, सुखा ग्रा. रघुनाथ मीणा		332	—	1	माल प्र.	
56.	,, ,,	,,	333	—	3	बा. तृ.	
57.	बजरंगलाल ग्रा. धन्ना मीणा	,,	409	—	2	चा. प्र.	
58.	मांगीलाल ग्रा. शोकरण खाती	लक्ष्मीपुरा	549	—	2	बा. तृ.	
59.	मांगीलाल ग्रा. शोकरण खाती	,,	579	—	1	गे. मु. चा.	

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 115 का विवरण

क्षतिग्रस्त बांधों, तालाबों व नहरों पर वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में जयपुर, अजमेर एवं कोटा जिलों में की गयी व्यय राशि का विवरण।

क्र.सं.	वर्ष	जयपुर जिला	अजमेर जिला	कोटा जिला
1.	1992-93	7.49 लाख रुपये	0.90 लाख रुपये	शून्य
2.	1993-94	16.53 लाख रुपये	82.33 लाख रुपये	शून्य
3.	1994-95	60.00 लाख रुपये	108.42 लाख रुपये	शून्य

स्वीकृत राशि—क
व्यय—ख

	योग	कार्य की वर्तमान स्थिति
	ख	
7	18	19
3	1.55	कार्य पूर्ण
6	2.84	,,
)	11.86	,,
3	4.28	,,
2	6.28	,,
3	5.70	,,
7	7.33	,,
)	5.05	,,
9	5.92	,,
	9.06	शेष कार्य को पूर्ण करने के प्रस्ताव सुनिश्चित योजना में प्रेषित किये गये हैं। स्वीकृति अपेक्षित है।
	6.90	कार्य पूर्ण
	7.96	,,
	5.93	,,
	6.35	,,
	6.35	,,

173

18	19
6.43	कार्य प्रगति पर है। किन्तु यजंस कमेठी के गठन में कठिनाई के कारण कार्य वर्तमान में अपूर्ण बन्द है।
4.93	,,
2.31	,,
0.51	सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रगति पर है।
2.77	,,
5.44	,,
0.08	,,
2.45	,,
2.58	,,
2.40	,,
3.96	,,
3.56	,,
5.87	,,
4.39	,,
2.24	,,
5.24	,,
5.00	,,